खण्ड-187, अंक-6
सोमवार, 18 भाद्रपद, शक संवत् 1879
(9 सितम्बर, 1957 ई0)

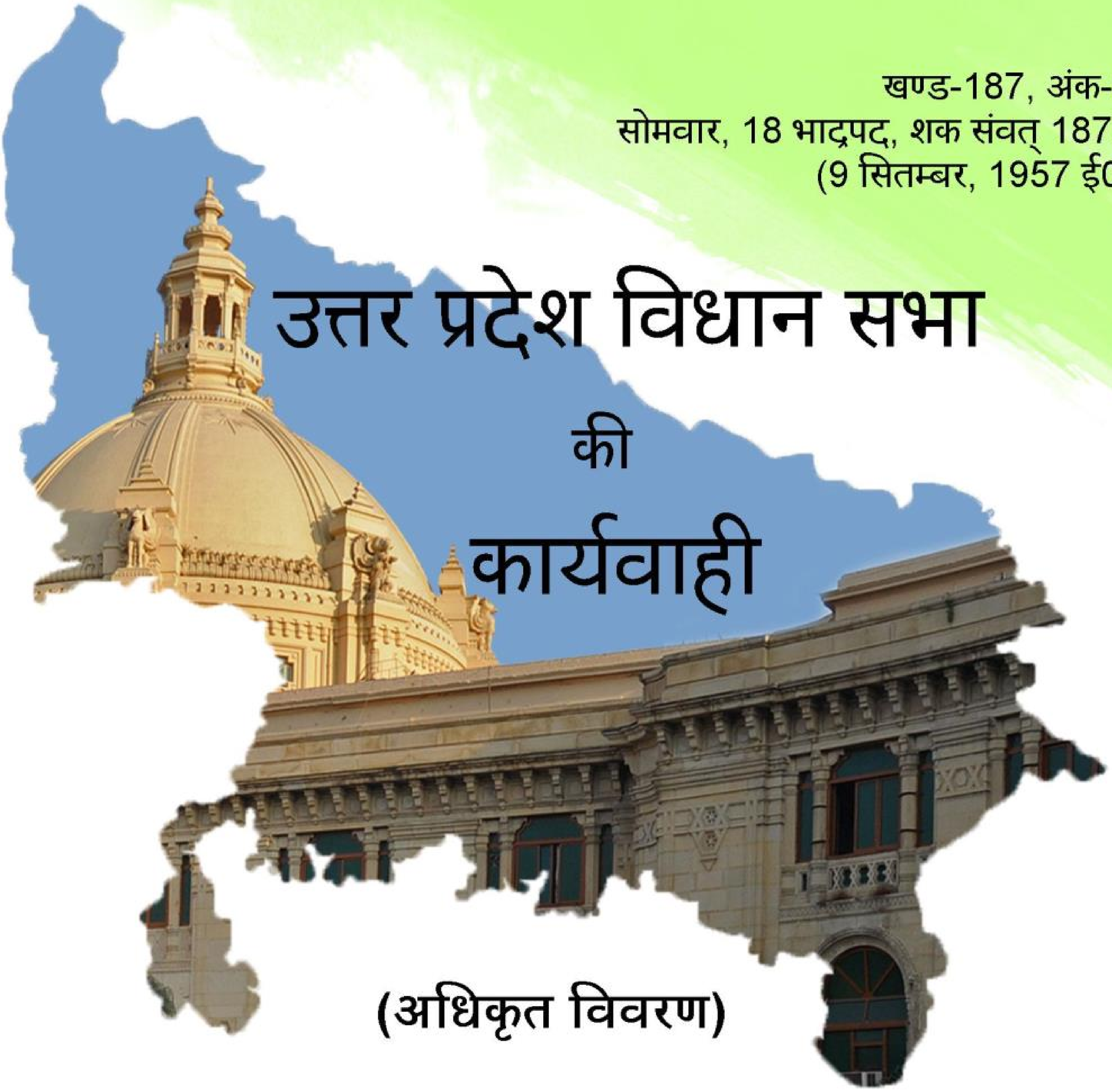

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

## (अधिकृत विवरण)

खण्ड 187 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५७

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार ९ सितम्बर, १९५७ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

## उपस्थित सदस्य (२७२)

अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
असगर अली खां, कुंवर
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
उग्रसेन, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उलफ़तसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस०, अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री उपनाम कमले
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाश कुमार सिंह, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवाल सिंह भदौरिया, श्री
कृपाशंकर, श्री
खजानसिंह, चौधरी
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाबख्श सिंह, श्री
ग़यूर अली खां, श्री
ग़रीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरु प्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छेदीलाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री

जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ, चौधरी
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडे राय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम, चौधरी
दीनदयालु करुण, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पन्नेरराम, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रतापभानप्रकाश सिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूलाल कुसमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजवासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुल नबी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखान सिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारी लाल अग्रवाल, श्री

मुक्तिनाथ राय, श्री
मुनीन्द्रपाल 'सिंह', श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज़
मुहम्मद हुसैन, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री उपनाम लाल साहब
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी , श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
राम समझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूम सिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लुत्फ़ अली खा, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी

श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीपालसिंह, कुंवर
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुरथबहादुर शाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिहरबख्श सिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

# प्रश्नोत्तर

---

## सोमवार, ९ सितम्बर, १९५७ ई०

### तारांकित प्रश्न

### ग.जीपुर जिले में ओवरसियरी के स्कूल की आवश्यकता

*१--श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में ओवरसियरी का स्कूल कब से खुलने जा रहा है ?

वित्त मंत्री (श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम)--सरकार का गाजीपुर में कोई ओवरसियर स्कूल खोलने का विचार नहीं है।

*२--श्री यमुनासिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार को पता है कि उक्त कार्य के लिये लाखों रुपये की बनी बनाई इमारत मिलने वाली है ?

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम--इमारत का वायदा किया था। इसकी कीमत के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है।

*३-४--श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--[१७ सितम्बर, १९५७ के लिये प्रश्न ४-५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

### झांसी जिले की गरौठा तहसील में नहरों तथा बांधों में ली गयी जमीन का मुआवजा न मिलना

*५--श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने गरौठा तहसील (झांसी) के उन किसानों के खेतों की जमीनों का मुआवजा अदा कर दिया है जो उसने वहां नहरें बनाने के लिये ले ली हैं ? यदि नहीं, तो वह मामला कब से विचाराधीन है ?

स्वशासन मंत्री के सभा-सचिव (श्री रामस्वरूप यादव)---जिला झांसी के गरौठा तहसील में नहरों, बांधों इत्यादि के लिये किसानों की जो जमीनें ली गयी हैं उनका मुआवजा सब किसानों को अभी तक नहीं दिया जा सका है। कुछ जमीन का मुआवजा दे दिया गया है और बाकी का मुआवजा शीघ्र देने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है। यह मामला सन् १९५५ से सरकार के विचाराधीन है।

*६--श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या सरकार को पता है कि किसानों से उक्त जमीनों का लगान बराबर वसूल किया जा रहा है?

श्री रामस्वरूप यादव--तहसील के कागजों में इन जमीनों का अमलदरामद न होने के कारण ऐसी जमीनों का लगान वसूल किया जाता रहा है, किन्तु अब कलेक्टर्स को आदेश दे दिये गये हैं कि ऐसी जमीनों का लगान जो सरकारी कामों में ले ली गई हैं, वसूल न किया जाय।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या सरकार को पता है कि मुआवजा मिलने में देर का कारण यह है कि वहां पर लगभग साल भर से कोई लैण्ड ऐक्वीजीशन आफीसर नहीं था? यदि हां, तो क्यों नहीं मुकर्रर किया गया?

श्री रामस्वरूप यादव---स्पेशल लैंड एक्वीजीशन आफीसर की अब नियुक्ति हो गई है। हां, देरी इस कारण से भी हुई कि वहां लैण्ड एक्वीजीशन आफीसर नहीं था।

श्री लक्ष्मणराव कदम--जो लगान वसूल किया गया है वह कब तक वापस कर दिया जायगा?

श्री रामस्वरूप यादव---मुआवजे के साथ वह लगान भी वापस कर दिया जायगा और उसके आदेश भेज दिये गये हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितने किसानों की जमीन ली गई और अब तक कितनों को मुआवजा मिल चुका है?

श्री रामस्वरूप यादव---किसानों के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। १३० एकड़ भूमि का मुआवजा दिया जा चुका है और १,१०० एकड़ भूमि ली गई थी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---पहले माननीय मंत्री जी ने कहा था कि आदेश दे दिये गये हैं कि अब यह न वसूल किया जाय, लेकिन लगान और मालगुजारी वसूल कर ली गई है, क्या वे वापस किये जावेंगे?

श्री रामस्वरूप यादव---जो वसूल कर ली गई है उसे भी मुआवजे के साथ वापस करने का आदेश दे दिया गया है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--उन तमाम किसानों को कुल कितनी धनराशि मुआवजे में दी गई है?

श्री रामस्वरूप यादव--नोटिस की आवश्यकता है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--जो जमीन ली गई है उसका मुआवजा किस हिसाब से दिया जायगा?

श्री रामस्वरूप यादव---लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट के अन्तर्गत नियम बने हुए हैं उनके मताबिक मुआविजा दिया गया है।

## अलीगढ़ जिले की सिकन्दराराऊ तहसील में सिंचाई के लिए माइनरों का निर्माण

*७--श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)--क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील हाथरस और तहसील सिकन्दराराऊ (अलीगढ़) में कौन-कौन माइनर्स किस-किस लम्बाई के नये चालू किये जाने की योजना है ?

श्री रामस्वरूप यादव--तहसील हाथरस में नये माइनर्स बनाने की कोई योजना नहीं है। तहसील सिकन्दराराऊ में निम्नलिखित दो माइनर बन रहे हैं :--

| नाम | लम्बाई | | |
|---|---|---|---|
| | मील | फर्लांग | फीट |
| १--धौरी माइनर .. .. .. | २ | १ | ० |
| २--मछ्रा रजबहा के कुलावा नं० १९५ का माइनर में परिवर्तन | १ | २ | ३३० |

*८--श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ--क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मांट ब्रांच से जो माइनर भरतपुर तक निकाला जा रहा है वह रोक दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव--मांट ब्राञ्च डिवीजन में इस नाम का कोई गांव नहीं है, यदि तात्पर्य आगरा नहर के मील ६९ दायें किनारे से भरतपुर फीडर के निर्माण से हो तो यह प्रस्ताव राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश सरकारों के मध्य विचाराधीन है। इसको रोकने का अभी कोई प्रश्न नहीं है।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ--क्या सरकार यह मानती है कि उस क्षेत्र में पानी की कमी के कारण खेती प्रति वर्ष सूख जाती है और क्या सिंचाई के लिये वहां सरकार कोई नई माइनर नहीं बना रही है या ट्यूबवेल की कोई योजना है ?

श्री रामस्वरूप यादव--जब तक रामगंगा बांध नहीं बनेगा तब तक पानी की इतनी मिकदार नहीं है कि हर जगह सिंचाई का काम हो सके। अभी कोई योजना भी और नहीं है।

श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रामगंगा डैम कब तक बन कर तैयार हो जायगा ?

श्री रामस्वरूप यादव--द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त से पहले ही बन जायगी।

*९--श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)--[हटा दिया गया।]

## गृह उद्योग बढ़ाने के लिये अलीगढ़ जिले के लिये योजनाएं

*१०--श्री रामप्रसाद देशमुख--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ में गृह-उद्योग बढ़ाने के लिये उसने इस पंचवर्षीय योजना में क्या-क्या योजनाएं बनाई हैं ?

उद्योग उपमंत्री (श्री रऊफ़ जाफरी)--अलीगढ़ जिले में गृह उद्योग बढ़ाने के लिये पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित योजनाएं हैं :

(१) पिछड़े तथा अविकसित क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों के विकास की योजना के अन्तर्गत पांच शिक्षण तथा उत्पादन केन्द्र खोले जाने की व्यवस्था है।

(२) औद्योगिक शिक्षालय योजना के अन्तर्गत दो औद्योगिक शिक्षालयों की स्थापना का लक्ष्य रक्खा गया है।

(३) लघु स्तरीय उद्योग योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित योजनाएं हैं :
(क) हाथरस में कटलरी योजना,
(ख) अलीगढ़ में ताला फैक्ट्री,
(ग) अतरौली में सरकारी अग्रगामी यंत्रालय।

(४) सुगंधित तेल उद्योग योजना के अन्तर्गत दस व्यक्तियों को शिक्षा देने का विचार है।

(५) चर्म उद्योग योजना के अन्तर्गत तीन चर्म उद्योग केन्द्रों के खोले जाने का विचार है।

(६) औद्योगिक सहकारिता योजना के अन्तर्गत २५ सहकारी समितियों के बनाने का विचार है।

(७) ऋण व अनुदान योजना के अन्तर्गत छोटे पैमाने तथा गृह उद्योगों के हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने की व्यवस्था है।

*११--श्री रामप्रसाद देशमुख---क्या सरकार अलीगढ़ जिले में गृह उद्योग कालोनी भी खोलने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रऊफ़ जाफरी--अलीगढ़ के लिये राज्य सरकार ने आस्थान की २५ लाख रुपयों की योजना भारत सरकार को भेजी है। उनसे आर्थिक सहायता मिलने पर ही अलीगढ़ में औद्योगिक आस्थान खोलना सम्भव हो सकेगा।

श्री राम प्रसाद देशमुख---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ये जो ५ शिक्षा केन्द्र खोले जा रहे हैं वे कहां-कहां हैं और उनमें क्या उत्पादन बढ़ाया जायगा ?

श्री रऊफ़ जाफरी---अभी इसका फैसला नहीं हुआ है कि कहां-कहां खोले जावेंगे। वहां की जिला प्लानिंग कमेटी की सलाह से यह तय होगा।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन पांचों में क्या-क्या चीजें सिखाई जावेंगी ?

श्री रऊफ़ जाफरी---यह बात भी प्लानिंग कमेटी की सलाह से तय होगी।

श्री रामप्रसाद देशमुख---अतरौली में जो अग्रगामी केन्द्र खोला जा रहा है उसे सरकार ने क्या सहायता दी है और क्या चीजें बनाई जावेंगी ?

श्री रऊफ़ जाफरी---वहां मशीनें बनाई जावेंगी। सहायता के आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं।

श्री रामप्रसाद देशमुख---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि चर्म उद्योग के दोनों सेंटर्स कहां-कहां खोले जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष-- यह प्रश्न पूछा जा चुका है और इसका उत्तर भी दिया जा चुका है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--- क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि अलीगढ़ में गृह उद्योग के लिये केन्द्रीय सरकार से कब लिखा-पढ़ी हुई और कितनी सहायता मांगी गयी है ?

श्री रऊफ़ जाफरी---२५ लाख रुपये के लिए लिखा गया है।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि अलीगढ़ जिले में जो गृह उद्योग बढ़ाने की योजना है उसके लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितने व्यय का अनुमान है ?

श्री रऊफ जाफरी--अभी तो 'टोटल सम' ५ साल के लिए रखा गया है। हर जिले के लिए कितना रुपया होगा, अभी यह तय नहीं किया गया है।

श्री अब्दुल लतीफ नोमानी (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि अलीगढ़ में जो चर्खा केन्द्र खोला जाने वाला है, उस में कर्घा उद्योग का भी कोई केन्द्र होगा ?

श्री रऊफ़ जाफरी--करघा उद्योग के सिलसिले में कुछ सहकारी समितियां बनायी जायंगी, कुछ चालू भी हैं और कुछ और बढ़ाई जायंगी।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह उद्योग कालोनी जो खोली जायगी वह पुरानी बस्ती में खोली जायगी या उसके लिए नये मकान बनाये जायेंगे ?

श्री रऊफ़ जाफरी--जब कोई नयी इंडस्ट्रियल स्टेट खोली जाती है तो उसके लिये जमीन लेकर छोटी-छोटी फैक्ट्रियों के लिये मकान बनाये जाते हैं। उनमें मशीनें लगाकर लोगों को दे दी जाती है। बाद में उन से रुपया वसूल कर लिया जाता है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या सरकार बतायेगी कि यह जो २५ सहकारी समितियां बनेंगी वह मजदूरों की बनेंगी अथवा व्यापारियों की ?

श्री रऊफ़ जाफरी--जो काम करने वाले होते हैं, उन्हीं की सहकारी समितियां होती हैं। जैसे कटलरी का काम है या और काम हैं जिनकी ट्रेनिंग दी जा रही है, उन्हीं कामों में जो लोग ट्रेनिंग पायेंगे, उन्हीं की सहकारी समितियां बनायी जायंगी, वही उनमें काम करेंगे।

*१२-१३--श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--[२३ सितम्बर, १९५७ के के लिये स्थगित किये गये।]

## प्रादेशिक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना

*१४--श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रादेशिक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कब तक बनेगा ?

श्री रऊफ़ जाफरी--आशा है कि बोर्ड इस साल के अन्दर बन सकेगा। इस काम में पूरी तौर से जल्दी की जा रही है।

श्री सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी--क्या यह सही है कि लगभग ७ वर्षों से इस बोर्ड को बनाने का सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस बोर्ड को न बनाने के क्या कारण थे ?

श्री रऊफ़ जाफरी--यह सही नहीं है कि ७ वर्षों से इस पर विचार हो रहा था। यह जरूर है कि जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऐक्ट पास हुआ था उसमें कहा गया था कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्डस् बनाये जायं, लेकिन बहुत सी स्टेट्स, जिनमें एक यह भी थी, ऐसी थीं जो इससे सहमत न थीं। उनके बारे में खतोकिताबत चल रही थी, लेकिन अब यह तय हो गया है कि एक-एक अधिकारी इसके लिये रक्खा जाय और वह जल्द ही इस संबंध में अपनी रिपोर्ट दे।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या सरकार बतायेगी कि इस बोर्ड की रूप-रेखा क्या होगी ?

श्री रऊफ़ जाफरी—इसके लिये बेहतर यह होगा कि आप ऐक्ट को देखें। आमतौर पर उसके सुपुर्द पब्लिक सेक्टर में इनर्जी बढ़ाने और ट्रान्समिशन लाइन बढ़ाने और प्राइवेट सेक्टर में जो पावर हाउसेज हैं उनका कोआर्डीनेशन हासिल करके एनर्जी बढ़ाने का काम उनके सुपुर्द है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—१९४८ के इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट के अनुसार यह इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड तो बनाया जा रहा है, लेकिन क्या रीजनल इलक्ट्रिसिटी बोर्ड भी बनाये जायेंगे ?

श्री रऊफ़ जाफरी—चूंकि अभी यह तमाम मामला जो है, वह स्पेसल आफिसर इसके बनाने के सिलसिले में देख रहा है और तमाम चीजें कर रहा है, उसके कुछ दिनों बाद पोजीशन का ठीक अन्दाजा होगा तो जवाब दिया जा सकेगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि बोर्ड का फंक्शन तो उन्होंने बतला दिया, बोर्ड का कम्पोजीशन क्या होगा ?

श्री रऊफ़ जाफरी—बोर्ड का कम्पोजीशन क्या होगा, इसकी इन्फारमेशन इस वक्त मेरे पास नहीं है। इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह बोर्ड बनाने का विचार सरकार कब से कर रही है और इस में किन-किन लोगों का प्रतिनिधित्व होगा ?

श्री अध्यक्ष—इसका पहले जवाब दिया जा चुका है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी जो इस पर विचार कर रहा है, कब नियुक्त किया गया और यह कब अपनी रिपोर्ट दे देगा ?

श्री रऊफ़ जाफरी—ये पिछले कुछ दिनों से काम कर रहे हैं, और कब तक रिपोर्ट देंगे, इस का जवाब मैं दे चुका हूं कि इस साल के अन्दर वे रिपोर्ट दे देंगे। अब किस तारीख को ये मुकर्रर हुए, इसके लिये सूचना की जरूरत है।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि इस बोर्ड का चेयरमैन कोई स्पेशलिस्ट या एक्सपर्ट होगा, कोई आफिशियल होगा या नानआफिशियल होगा ?

श्री रऊफ़ जाफरी—यह जैसा ऐक्ट में लिखा है, वैसा ही होगा। माननीय सदस्य उसे पढ़ लें।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में अभी हाल ही में केन्द्रीय सरकार का कोई पत्र सरकार के पास आया है ? यदि हां, तो उसमें क्या लिखा है ?

श्री रऊफ़ जाफरी—जैसा कि बतलाया गया कि इलेक्ट्रिक सप्लाई बोर्ड के सिलसिले में केन्द्रीय सरकार से काफी खतोकिताबत रही और जैसा कि जवाब में दिया गया है कि अब राज्य सरकार ने यह तय कर लिया है कि वह इलेक्ट्रिक सप्लाई बोर्ड बनावेगी और इसी सम्बन्ध में खतो किताबत हुई होगी।

*१५-१७--श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़)--[२३ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१८-१९--श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--[२३ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

## कोआपरेटिव डिपार्टमेंट के आडिटर्स को संशोधित वेतन

*२०--श्री गेंदासिंह ( जिला देवरिया ) ( अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कोआपरेटिव डिपार्टमेंट के आडिटर्स का वेतन तथा अन्य सुविधाएं रिवाइज्ड स्कूल के अनुसार दी जा रही हैं ? यदि नहीं, तो उन्हें कब तक दिये जाने का विचार है ?

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम--जिन कोआपरेटिव आडिटरों ने उनके वेतन-क्रम में संशोधन के सम्बन्ध में जारी किये गये सरकारी आदेश में निर्धारित शर्तों को पूरा कर लिया है वह संशोधित वेतन क्रम पा रहे हैं । यह संशोधित वेतनक्रम शेष आडिटर्स को भी, जैसे-जैसे वह उक्त सरकारी आदेश में दी हुई शर्तों को पूरा करते जावेंगे, मिलता जावेगा । प्रश्न में जो " अन्य सुविधाओं " का जिक्र किया गया है, उनसे क्या मतलब है यह स्पष्ट नहीं है ।

*२१--श्री गेंदासिंह ( अनुपस्थित)--क्या यह सच है कि दूसरे आडिटर्स को यह सुविधाएं मिल चुकी हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--यह स्पष्ट नहीं है कि प्रश्न में किन "अन्य सुविधाओं " का जिक्र किया गया है । यह भी स्पष्ट नहीं है कि प्रश्न केवल कोआपरेटिव आडिटरों से ही सम्बन्धित है अथवा अन्य विभागों के आडीटर भी इसमें शामिल हैं । अगर प्रश्न अधिक स्पष्ट कर दिया जावे तभी ठीक-ठीक उत्तर दिया जा सकता है ।

*२२--श्री गेंदासिंह (अनुपस्थित)--उत्तर प्रदेश में कितने आडिटर्स इन सुविधाओं से वंचित हैं और उन्हें ये सुविधाएं दे देने में कितने धन की आवश्यकता पड़ेगी ?

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम--इस प्रश्न में भी किन सुविधाओं का जिक्र किया गया है यह स्पष्ट नहीं है । प्रश्न का उत्तर तभी दिया जा सकता है जब प्रश्न और स्पष्ट कर दिया जावे और वस्तुतः (Infact) क्या सूचना चाहिये यह स्पष्ट कर दिया जावे । इसके लिये भी सूचना एकत्र करने में कुछ समय लगेगा ।

## बिजली सम्बन्धी मशीनों के निरीक्षण के लिये कानपुर से कुछ व्यक्तियों का यूरोप जाना

*२३--श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या कानपुर इलेट्रिक ऐडमिनिस्ट्रेशन के कुछ उच्च अधिकारी हाल ही में यूरोप के कुछ देशों में मशीनों के निरीक्षण के सम्बन्ध में भेजे गये हैं ? यदि हां, तो किन-किन देशों में ?

श्री रऊफ़ जाफरी--जी नहीं । अभी प्रस्ताव विचाराधीन है ।

*२४--श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन अफसरों के मार्ग-व्यय में कितना व्यय होगा ।

श्री रऊफ़ जाफरी--प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कैसा कानपुर के जनरल मैनेजर और उच्च अधिकारी कुछ ही दिन पहले यूरोप के लिए रवाना हुए हैं, इसकी सूचना सरकार को है ?

श्री रऊफ़ जाफरी—जी हां, सरकार को इसकी सूचना है, वे निरीक्षण के लिये वहां गये हैं। कुछ मशीनें जो सप्लाई हो चुकी थीं, उनमें कुछ डिजाइनल डिफेक्ट था उसी के सिलसिले में जाना जरूरी था कि वे वहां जाकर प्रिंसपल मैनुफैक्चरर से बातचीत करें। इसलिये वे वहां गये हैं।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या यह सही है कि बिजली प्लांट लगाने की जिम्मेदारी मैनुफैक्चरर की भी होती है? यदि हां, तो ये अधिकारी इन मशीनों के सम्बन्ध में फिर वहां क्यों जा रहे हैं?

श्री रऊफ़ जाफरी—उन्हीं सब बातों पर बात करने के लिये और तय करने के लिये वे गये हुए हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि किन अफसरों को विदेश भेजने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है?

श्री अध्यक्ष—वे तो भेजे जा चुके हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, पहले बताया गया है कि उनको डिजाइनल डिफेक्ट के सम्बन्ध में भेजा गया है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि निरीक्षण के लिये किन अफसरों को विदेश भेजने का प्रश्न है?

श्री रऊफ़ जाफरी—वह अभी निरीक्षण के लिये नहीं गये हैं। एक आर्डर जर्मनी को दे दिया गया है वहां के बारे में अभी तय नहीं है और जिस फर्म ने लिखा था उससे यह तय था, अगर ऐसा हो गया तो हमारे इंजीनियर्स फैक्टरी साइट पर भी देख सकेंगे, उन्हें तो मई में ही जाना चाहिये था, लेकिन कुछ फारेन एक्सचेन्ज की दिक्कत की वजह से वह उस वक्त नहीं जा सके। जनरल मैनेजर निरीक्षण के लिये नहीं गये हैं, वह अभी विचाराधीन है कि जायं या न जायं। जो मशीनें ली जा चुकी हैं उनके लिये बात करने वह अभी गये हैं। मुमकिन है जरूरत हुई तो वह जर्मनी भी हो लें, क्योंकि वहां से कम खर्च पड़ेगा, अभी कुछ तय नहीं है।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो दो सरकारी अफसर अभी विदेश गये हैं और इसलिये गये हैं कि मशीनों को फिट करने में कुछ गलती महसूस हुई, उसके बारे में बातचीत करने गये हैं, तो उनके आने जाने का खर्च सरकार देगी या वह मैनुफेक्चरर देगा?

श्री रऊफ़ जाफरी—उनके आने जाने का ५ हजार का खर्च है और वहां पहुंचने पर वह इस सिलसिले में बातचीत करेंगे।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो अधिकारी यूरोप भेजे गये हैं वे कितने हैं और किस-किस डिजिगनेशन के हैं?

श्री रऊफ जाफरी—केवल जनरल मैनेजर ४ सप्ताह के लिये गये हैं, उनके जर्मनी जाने की बात तय नहीं हुई है। इन ४ सप्ताहों में आने-जाने का वक्त भी शामिल है।

*२५-२६—श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—[१३ सितम्बर, १९५७ के लिये प्रश्न ४७-४८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*२७-२८—श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—[१९ सितम्बर, १९५७ के लिये प्रश्न ६१-६२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

## आगरा जिले में फतेहपुर सीकरी के सूखे क्षेत्र को सींचने की योजना

*२९—स्वामी विश्वेश्वरानन्द (जिला आगरा)—क्या सरकार के सामने आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी के सूखे क्षेत्र को सिंचित करने के लिये कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह कब तक कार्यान्वित होगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां, फतेहपुर सीकरी शाखा से जिसका कि ५.५८ लाख रुपये की लागत से पुनर्निर्माण (रिमाडलिंग) किया जा रहा है, साढ़े १४ मील लम्बी रबी प्लेबा नहरें निकाली जा रही हैं ।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह कब तक कार्यान्वित होगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह काम तो चालू है और रुपया भी प्रोवाइड कर दिया गया है, जितनी दर काम पूरा होने में लगेगी वही लगेगी ।

श्री उग्रसेन—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नहर बनाने के लिये कितना रुपया प्रोवाइड किया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—रिमाडलिंग के लिये ५ लाख ५८ हजार ।

## फतेहपुर सीकरी के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में कुछ गांवों को ऊंचा करने की योजना

*३०—स्वामी विश्वेश्वरानन्द—क्या सरकार ने फतेहपुर सीकरी के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में कुछ गांवों को ऊंचा करने की कोई योजना बनाई थी ? यदि हां, तो वह कब तक आरम्भ होगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां, फ़तेहपुर सीकरी के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में २३ गांवों को ऊंचा किया जा रहा है, जिनकी अनुमानित लागत १,३६,५८८ रुपये है ।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह काम शुरू हो गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह ठीक नहीं बताया जा सकता, लेकिन शायद अभी नहीं हुआ है और बरसात बाद ही शुरू होगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के इन्हीं २३ गांवों को ऊंचा किया जायगा या किन्हीं और गांवों को भी ?

श्री रामस्वरूप यादव—फतेहपुर सीकरी से सम्बन्धित यह प्रश्न है और वहां के २३ गांव उसमें आते हैं ।

*३१-३३—श्री शिवराज बहादुर (जिला बरेली)—[२६ सितम्बर, १९५७ के लिये प्रश्न ६२-६४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*३४—श्री भुवनेश भूषण शर्मा (जिला इटावा)—[२४ सितम्बर, १९५७ के लिये प्रश्न ४७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*३५—श्री रामसुन्दर पांडेय—[१६ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

## बाढ़ विभाग गाजीपुर से मेजरमेंट बुक का खो जाना

*३६—आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में बाढ़ विभाग की कुछ मेजरमेंट बुक्स गायब हैं ? सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री रामस्वरूप यादव—बाढ़ विभाग मलीपुर में केवल एक मेजरमेंट बुक नम्बर ३४, मार्च १९५७ ई० में खो गई थी। जांच करने के पश्चात् यह प्रतीत हुआ कि मेजरमेंट बुक का खोना आकस्मिक था। इस समय यह मामला अधीक्षक अभियन्ता के विचाराधीन है।

आचार्य दीपंकर—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आडिट रिपोर्ट में ३० नवम्बर की किताब के गुम हो जाने की भी बात है ?

श्री रामस्वरूप यादव—मैंने तो यह निवेदन किया कि यह मेजरमेंट बुक ३४ नम्बर की खो गयी है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा है कि मेजरमेंट बुक नम्बर ३४ खो गयी है, तो क्या उनका ध्यान इस बात पर गया है कि आडिट पार्टी की रिपोर्ट है कि मेजरमेंट बुक नम्बर ३० खोयी है ? अगर उनको मालूम नहीं है तो क्या वह जांच करके रिपोर्ट देंगे कि नम्बर ३० की मेजरमेंट बुक खोयी है ?

श्री रामस्वरूप यादव—आडिट रिपोर्ट तो इस वक्त नहीं है। उसके लिए सूचना की आवश्यकता है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि यही अकेली मजरमेंट बुक खोयी है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय मंत्री महोदय मेरे प्रश्न को सूचना मानकर इस पर जांच करायेंगे कि ३० नम्बर की मेजरमेंट बुक के खोने की रिपोर्ट, आडिट पार्टी की रिपोर्ट में है या नहीं और अगर वह खोयी है तो उसकी जांच करायी जायगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—यदि आडिट रिपोर्ट में है तो करा ली जायगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी इस बात की भी जांच करायेंगे कि यह पुस्तकें खो गयी हैं या गायब कर दी गयी हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह पुस्तक खो गयी है, यह जांच की जा चुकी है और यह विश्वास है कि इसमें ओवरसियर का कोई हाथ नहीं था। यह मेट की गलती से खो गयी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस मेट से यह किताब खोयी हुई बतायी गयी है उस मेट का नाम बदलकर वह दूसरी जगह नौकरी पर रख लिया गया है, इस बात की वह जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—यह तो आप नयी नयी सूचना दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को इकट्ठी दे दीजिये तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह किताब गायब होने की सूचना जिला अधिकारियों को आडिट रिपोर्ट से पहले थी या नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव—मैंने तो अभी यह नहीं कहा है कि आडिट रिपोर्ट के आधार पर जांच हुई है, तो आगे का प्रश्न कैसे उठा ?

श्री सुरथबहादुर शाह (जिला खीरी)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो किताब खोयी है इसकी एंट्रीज ओवरसियर द्वारा थी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चढ़ायी हुई थीं ?

**श्री रामस्वरूप यादव**—मेजरमेंट बुक की जो एंट्रीज है वह ओवरसियर या उनके अधिकारी ही करते हैं । इसके लिये सूचना चाहिये कि किसने एंट्रीज की थीं, लेकिन जब किताब ही खो गयी है तो यह कैसे पता चल सकता है । एंट्रीज ओवरसियर या इंजीनियर ने ही की होंगी और मेट ले जा रहा था उस वक्त खोई हुई है ।

## लखनऊ में रायल होटल के पीछे फैमिली सूट की सैनिटरी फिटिंग पर व्यय

*३७—**श्री गनेशीलाल चौधरी** (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रायल होटल के पीछे जो फैमिली सूट बने हैं उनकी सैनिटरी फिटिंग में कितना धन खर्च किया गया ?

**श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम**—रायल होटल के पीछे बने फैमिली सूट के सैनिटरी फिटिंग में ७९९४ रुपये व्यय हुए ।

*३८—**श्री गनेशीलाल चौधरी** (अनुपस्थित)—इस फिटिंग के लिये किस कम्पनी को ठेका दिया गया ?

**श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम**—इस फिटिंग का ठेका मेसर्स मजदा इलेक्ट्रिक स्टोर्स कैसरगबाग, लखनऊ को दिया गया था ।

*३९—**श्री गनेशीलाल चौधरी** (अनुपस्थित)—सैनिटरी फिटिंग में एक सूट पर औसत कितना खर्च किया गया ?

**श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम**—सैनिटरी फिटिंग में एक सूट पर औसत व्यय लगभग ४०० रुपये हुए ।

## चुर्क सीमेंट फैक्टरी मिर्जापुर में मजदूरों की कमी की शिकायत

*४०—**श्रीमती राजेन्द्र किशोरी** (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी, मिर्जापुर में मजदूरों की कमी एवं कार्य पर अनुपस्थिति से उत्पन्न कार्यक्षमता के ह्रास को रोकने के लिये सरकार ने कौन-कौन से कदम उठाये हैं ?

**श्री रऊफ़ जाफ़री**—चुर्क सीमेंट फैक्टरी में मजदूरों की कोई ऐसी कमी या गैरहाजिरी नहीं रही जिससे कार्यक्षमता में कमी आई हो या उत्पादन में विपरीत प्रभाव पड़ा हो ।

**श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि इस समय चुर्क फैक्टरी में कितने मजदूर काम कर रहे हैं ?

**श्री रऊफ़ जाफरी**—इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी ।

## मऊ डाईनिंग एण्ड कलेण्डरिंग फैक्टरी का आय-व्यय

*४१—**श्री अब्दुल लतीफ नोमानी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मऊ डाईनिंग एण्ड कलेण्डरिंग फैक्टरी की मासिक आय कितनी है ?

**श्री रऊफ़ जाफरी**—इस वर्ष मऊ फैक्टरी की मासिक आय औसतन ८,५१५ रुपये है ।

*४२—**श्री अब्दुल लतीफ नोमानी**—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त फैक्टरी पर मासिक व्यय कितना होता है ?

**श्री रऊफ़ जाफरी**—मऊ फैक्टरी पर औसतन, ७,५७८ रुपये मासिक व्यय हो रहे हैं ।

श्री अब्दुल लतीफ़ नोमानी---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस फैक्टरी की जो मासिक औसतन आमदनी है उसमें कलेन्डर के शोबे की कितनी आमदनी है और रंगाई के शोबे की कितनी ?

श्री रऊफ़ जाफरी---अलग-अलग आंकड़े तो नहीं हैं, इसके लिये नोटिस चाहिये ।

श्री अब्दुल लतीफ़ नोमानी---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो खर्च है मासिक उसमें तनख्वाह का कितना खर्चा है और दूसरा खर्चा कितना है ?

श्री रऊफ जाफरी---मेरे पास जो आंकड़े हैं उसमें कुल खर्च है, अलग-अलग आंकड़े नहीं लिखे हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह मऊ फैक्टरी सरकारी है ? यदि हां, तो इसकी बैलेंस शीट बजट में पब्लिश क्यों नहीं की जाती ?

श्री रऊफ जाफरी---यह सरकारी फैक्टरी तो है, लेकिन यह कि इसकी बैलेंस शीट क्यों नहीं दी जाती, इसकी वजह मैं इस वक्त नहीं बतला सकता ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि इस समय वे इस प्रश्न का उत्तर देने में क्यों असमर्थ हैं, जबकि वे उसका नोटिस भी नहीं मांग रहे हैं ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---सम्भवतः माननीय उप-मंत्री जी की दिक्कत यह होगी कि उनको इसका पूरा इतिहास याद नहीं होगा । इसलिये शायद उनका ख्याल यह होगा कि उनको सूचना की जरूरत है। इस फैक्टरी को टेक्नीकली सरकारी फैक्ट्री कहना, इसमें घोर संदेह है । यह उस माने में सरकारी फैक्टरी नहीं है जिस माने में चुर्क सीमेंट फैक्टरी, या प्रीसीजन इंस्ट्रूमेंट फैक्टरी । यह सही है कि इसमें सरकार का बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन जाब्ते से सरकारी फैक्टरी नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि इस प्रकार की जो सरकारी फैक्टरी है, जैसे क्लटरबकगंज में टर्पेनटाइन फैक्ट्री उसकी बैलेंस शीट फाइनेंस रिपोर्ट में छपती है और उसके एकाउन्ट का जिक्र प्रदेश की ऐप्रोप्रीएशन आडिट रिपोर्ट में भी होता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैंने कहा इस किस्म की फैक्टरीज की अजीब हालत है । यद्यपि बहुत कुछ कंट्रोल गवर्नमेन्ट का है इसलिये किन्हीं मानों में सरकारी फैक्टरी कही जा सकती है । जाब्ते से सरकारी फैक्टरी नहीं है । सम्भव है कि कुछ दिनों बाद इसकी स्थिति कानूनन क्या होनी चाहिये, यह निश्चित हो जाय ।

*४३---श्री लक्ष्मणराव कदम---[८ अक्तूबर, १९५७ के लिये प्रश्न २२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*४४-४५---श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)---[२३ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

*४६-४८---श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)---[२३ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

*४९-५१---श्री रामलखन (जिला वाराणसी)---[२३ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

*५२-५४---श्री गौरीशंकरराय (जिला बलिया)---[२३ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

*५५-५६---श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)---[२३ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

*५७—श्री नागेश्वर प्रसाद (जिला जौनपुर)—[२३ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

*५८-६०—श्री प्रभुदयाल (जिला बस्ती)—[२३ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*६१-६२—श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—[२३ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

*६३—स्वामी विश्वेश्वरानन्द—[१६ सितम्बर, १९५७ के लिये प्रश्न १५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

## आगरा जिले के कस्बा अछनेरा, किरावली तथा फतेहपुर सीकरी को बिजली देने की प्रार्थना

*६४—स्वामी विश्वेश्वरानन्द—क्या सरकार यह बात बताने की कृपा करेगी कि आगरा जिले के कस्बा अछनेरा, किरावली तथा फतेहपुर सीकरी में बिजली पहुंचाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह कब तक कार्यान्वित होगी ?

श्री रऊफ़ जाफरी—जी नहीं ।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि क्यों नहीं ? और दूसरी पंचवर्षीय योजना में कोई ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती कि यहां बिजली पहुंचायी जा सके ?

श्री रऊफ़ जाफरी—जो योजना बनी है उसमें यह बात तो है ही कि कहीं पहले इलेक्ट्रिसिटी पहुंचेगी और कहीं बाद में । यहां चौथे फेज में उम्मीद है कि बिजली पहुंच जायगी ।

*६५-६७—श्री रामलक्षण तिवारी (जिला बलिया)—[२३ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*६८—श्री किशनसिंह (जिला मुरादाबाद)—[२६ सितम्बर, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ७२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*६९—श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)—[२६ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

*७०—श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—[२३ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

*७१-७३—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—[२३ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

## इकानामी कमेटी की सिफारिशें

*७४—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इकानामी समिति (Economy Committee) की कौन-कौन सी सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं ?

श्री रऊफ़ जाफरी—इस समय इकानामी समिति (Economy Committee) की कोई सिफारिश सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि कुछ ही दिन हुए माननीय गेंदासिंह जी के प्रश्न के उत्तर में सरकार ने कहा था कि इकानामी कमेटी की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं ।

श्री रऊफ जाफरी--जिस वक्त कहा गया था उस वक्त गालिबन विचाराधीन रही होंगी इसलिये कि बहुत सी उसकी सिफारिशें ऐसी हैं कि जो लागू कर दी गईं, तो वह तो विचाराधीन हो नहीं सकती । और बकिया उसकी रिपोर्ट फौरमली सबमिट नहीं हुई है, इसलिये विचाराधीन नहीं हो सकती ।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जब रिपोर्ट नहीं है तो सिफारिश किस बुनियाद पर की जायगी ?

श्री रऊफ़ जाफरी--कुछ सिफारिश इंटरिम रिपोर्ट के तरीके पर सामने आ गई थी और उस पर जो ऐक्शन था वह भी ले लिया गया ।

*७५--श्री नारायणदत्त तिवारी--[१ अक्तूबर, १९५७ के लिये प्रश्न ६९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*७६-७७--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)--[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर १६ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

## गाजीपुर जिले में गंगा नदी से कुछ गांवों को कथित खतरा

*७८--श्री यमुन सिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में कौन-कौन से ग्राम टूट कर गंगा नदी में विलीन हो गये हैं ।

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राम मूर्ति)--गाजीपुर जिले में बाढ़ विभाग नवम्बर, १९५४ में खुला था और तब से अब तक गंगा नदी के किनारे कोई भी ग्राम टूटकर नदी में विलीन नहीं हुआ है ।

*७९--श्री यमुना सिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कौन-कौन से ग्राम ऐसे हैं जो खतरे के बिन्दु तक पहुंच चुके हैं ?

श्री राममूर्ति--अब किसी भी ग्राम को कोई खतरा नहीं है ।

## माता टीला बांध के निर्माण पर व्यय

*८०--श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि माताटीला बांध के बनने में उसके ओरिजनल एस्टीमेट के अनुसार कितना रुपया व्यय होना था ?

श्री रामस्वरूप यादव--माताटीला बांध का प्रारंभिक एस्टीमेट लगभग ४ करोड़ रुपये का था ।

*८१--श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अभी तक उस पर कितना रुपया खर्च हो चुका है और अभी कितना काम शेष है तथा वह कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री रामस्वरूप यादव--जुलाई, १९५७ तक माताटीला बांध पर ७,६४,४२,६५० रुपये व्यय हो चुके हैं । इसके प्रथम चरण का कार्य समाप्त हो चुका है और दूसरे चरण (विद्युत् भाग) जिसमें बांध पर शक्ति उत्पत्ति सम्मिलित है, में कार्य हो रहा है, जिसके सन् १९६१ के अन्त तक समाप्त होने की सम्भावना है ।

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करगे कि ओरिजिनल एस्टीमेट के चार करोड़ रुपयों के अलावा लगभग ४ करोड़ रुपया और ज्यादा क्यों खर्च हुआ है ?

श्री रामस्वरूप यादव---जो पहला एस्टीमेंट चार करोड़ का था वह सन् १९५१ में वैसे ही सर्वे कराकर तैयार कर लिया गया था, लेकिन १९५३ में जब काम शुरू हुआ है उसी समय उसका स्पष्टीकरण आ गया था कि ७ करोड़ ९९ लाख रुपया इस प्रोजेक्ट पर खर्च होगा और पहला जो एस्टीमेट ४ करोड़ का है वह ठीक नहीं है ।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में क्या कोई कमेटी मुकर्रर की गई है ? अगर हां, तो उसमें कौन-कौन सज्जन नियुक्त किये गये हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---इसके लिये श्रीमन्, सूचना की आवश्यकता है ।

आचार्य दीपंकर---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि पहला जो एस्टीमेट लगाया गया था ४ करोड़ रुपये का उसका दूना हो जाना कोई साधारण बात नहीं है, इसकी कोई जांच सरकार की तरफ से की गई ?

श्री रामस्वरूप यादव---जो कमेटी के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा गया उसमें मैंने अभी निवेदन कर दिया कि मुझे नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार का ध्यान अभी एक हफ्ते पूर्व नेशनल हेरल्ड में प्रकाशित एक समाचार की ओर आकर्षित हुआ है, जिसमें यह कहा गया है कि चीफ इंजीनियर पी० डब्ल्यू० डी० के कन्वीनरशिप में एक कमेटी नियुक्त की गई है ?

श्री अध्यक्ष---किसी अखबार में क्या छपा था उसके बारे में प्रश्न नहीं पूछा जा सकता ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय सिंचाई मंत्री इस माताटीला बांध पर जो इतना ज्यादा रुपया खर्च हुआ है उस सम्बन्ध में कोई जांच कराने की कृपा करेंगे ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---रुपया खर्च हो रहा है, बांध बन रहा है, आप किस चीज की जांच कराना चाहते हैं ? उसका उत्तर दिया जा चुका है कि पहला एस्टीमेट सन् १९५० में बना था वह चार करोड़ का था । उसके बाद जब १९५३ में काम लगा तो मजदूरी के बढ़ जाने या और कारणों से जिनसे कि एस्टीमेट बढ़ सकता है उनकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ और वह काम हो रहा है । अब और किस चीज की जांच आप कराना चाहते हैं ?

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि लेटेस्ट एस्टीमेट माताटीला बांध के बनाने का क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---अब इसके लिये तो सूचना की आवश्यकता पड़ेगी ।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो चार करोड़ का एस्टीमेट बना था और वह फिर सात करोड़ का हो गया तो क्या एस्टीमेट गलत हो गया था या काम में कुछ एक्सटेंशन कर दिया गया ?

श्री अध्यक्ष---अब यह जवाब दिया जा चुका है । फिर से आप बहस कर रहे हैं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो आज सूचना कम दी जा रही है यहां उसका कारण क्या यही है कि आज सिंचाई मंत्री जी उपस्थित नहीं हैं ?

श्री अध्यक्ष---यह कुछ समझ में नहीं आया. . .

श्री मोतीलाल अवस्थी---श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, आज जितने भी जवाब दिये जा रहे हैं सबकी नोटिस मांगी जा रही है । मैं समझता हूं कि उसका कारण यह है कि सिंचाई मंत्री जी आज उपस्थित नहीं हैं ?

श्री अध्यक्ष—इसका तो आपको समझ ही लेना चाहिये । सिंचाई मंत्री जी तो हैं ही नहीं इस समय सदन में ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार बतलायेगी कि इस माताटीला बांध को सन् १९५० में बिना पूरा एस्टीमेट बने हुये क्यों स्वीकृत कर लिया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—एस्टीमेट तो बना ही था और बनने के बाद पहली पंचवर्षीय योजना में वह रक्खा गया था और उस पर काम शुरू हुआ । पहले नहर का काम उससे लेना था, जिसके लिये काम शुरू किया गया । फिर जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि चीजों की कीमत बढ़ने से खर्चा ज्यादा बढ़ता ही है ।

## मिर्जापुर नगर को गंगा के कटाव से बचाने से उपाय

*८२—श्री अमरेशचन्द्र पांडेय (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि मिर्जापुर नगर गंगा नदी के कटाव के कारण खतरे में आ गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—मिर्जापुर नगर गंगा नदी के कटाव के कारण कोई निकटतम खतरे में नहीं है, यद्यपि कटाव से कुछ घाट जो कि पक्के कुओं पर नहीं बने थे कट गये हैं और इससे किनारे की इमारतों को खतरा उत्पन्न हो गया है । शहर को खतरे से बचाने के लिये बाढ़ नियंत्रण बोर्ड (State Flood Control Board) ने योजना बनाने के लिये सर्वे के कार्य को स्वीकार कर लिया है तथा बहुत कुछ सर्वे का काम हो भी चुका है । इस सम्बन्ध में सिंचाई विभाग की अनुसंधान शाखा (Director Irrigation Research Institute Roorkee) से भी सहायता मांगी गई है और वे प्रयोग (Model Experiments) कर रहे हैं । सर्वे तथा प्रयोग के पूरे हो जाने के पश्चात् शहर के बचाव की योजना बनाई जायेगी जो कि स्टेट फ्लड कंट्रोल बोर्ड को स्वीकृत्यार्थ भेजी जायेगी ।

श्री अमरेशचन्द्र पांडेय—क्या यह सही है कि पिछले वर्ष जब इस सदन में बाढ़ की समस्या पर विवाद हो रहा था उस अवसर पर माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में बतलाया था कि गंगा नदी में कटाव के कारण मिर्जापुर नगर खतरे में हो गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—उस समय माननीय मुख्य मंत्री ने क्या कहा था उसके बारे में तो इस समय कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यह अवश्य है कि मिर्जापुर नगर खतरे में नहीं है और जो कुछ भी खतरा उन घाटों को है उसका सर्वे हो रहा है और जो कुछ बनाना होगा वह बन जायगा ।

श्री अमरेशचन्द्र पांडेय—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सर्वे का काम कब से प्रारम्भ हुआ है ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिस स्थान पर इस समय गंगा कटाव कर रही हैं वहां से मिर्जापुर नगर में कितना फासला है ?

श्री रामस्वरूप यादव—मिर्जापुर नगर तो ऊंचाई पर है और गंगा के किनारे है, लेकिन कटाव जहां हो रहा है वहां एक घाट है, उसकी पुष्टि करने के लिये एक योजना बन भी गई है ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त सर्वे के लिये कितनी धनराशि की स्वीकृति दी गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव—सर्वे के लिये धनराशि की जरूरत नहीं होती सर्वे तो हो रहा है । सर्वे क बाद प्रश्न उठगा कि कितना धन व्यय होगा ।

## जौनपुर जिले की शाहगंज तहसील में नहरों का निर्माण

*८३—कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले की तहसील शाहगंज में जो नहरें खोदी जा रही हैं वे कितने प्रतिशत गांवों में "लो लेबिल" पर हैं जहां किसानों को अपने खेतों की सिंचाई के लिये नहर के पानी को ऊपर उठाने के लिये दुबला आदि अन्य साधनों की आवश्यकता होगी।

श्री रामस्वरूप यादव—जौनपुर जिले की शाहगंज तहसील में जो नहरें बनाई जा रही हैं वे कमांड के अन्दर क्षेत्र के लगभग ३० प्रतिशत ग्रामों में लो लेबिल पर हैं जहां पानी को सिंचाई के उपयोग में लाने के लिये दुबला आदि साधनों की आवश्यकता होगी।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिन गांवों में पानी को खेतों तक ले जाने में दुबला लगाना होगा उनसे पानी के दाम उतने ही लिये जायेंगे जितने बिना दुबले वाले गांवों से लिये जाते हैं या कम लिये जायेंगे?

श्री रामस्वरूप यादव—जहां दुबले वाले पानी का प्रयोग होता है नार्मल रेट से आधे लिये जाते हैं।

## ग्राम भाऊवाला, जिला देहरादून में सिंचाई के साधनों का अभाव

*८४—श्री त्रिलोकीसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम भाऊवाला, परगना पछबहून, जिला देहरादून में सिंचाई के क्या साधन हैं?

श्री रामस्वरूप यादव—भाऊवाला नाम का कोई ग्राम परगना पछबाईन, जिला देहरादून में नहीं है। भाऊवाला नाम का ग्राम अवश्य है जिसमें सिंचाई के कोई साधन नहीं हैं।

*८५—श्री त्रिलोकीसिंह—क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उस क्षेत्र में स्वर्ण नदी से महलडंग के पास कोई सिंचाई की योजना है?

श्री रामस्वरूप यादव—देहरादून जिले में ११ बरसाती नहरों की योजनाएं बनाई गई हैं जिन पर ४०·१८ लाख रुपये की लागत का अनुमान है। इन्हीं में से एक योजना स्वर्ण नदी से महलडंग की सिंचाई के लिए भी है। इस योजना का सर्वे (Survey) हो रहा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार ग्राम भाऊवाला को पानी देने के सम्बन्ध में कोई योजना बना रही है?

श्री रामस्वरूप यादव—स्वर्ण नदी की योजना जब बनेगी तब पानी उसको मिल सकता है, लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उसके बनने की कोई संभावना नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि ग्राम भाऊवाला के पास एक पुरानी नहर बनी हुई है, लेकिन उसमें पानी नहीं जाता है, इसलिये गांव को पानी नहीं पहुंच रहा है?

श्री रामस्वरूप यादव—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

## हरैया तहसील में गांवों और सड़कों को ऊंचा करने का काम

*८६—श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती)—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील हरैया में कितने गांव ऊंचे किये गये और कितनी सड़कों का निर्माण हुआ? क्या यह सच है कि ऊंचे किये हुये गांवों में कुयें चार-चार फीट नीचे हैं और उनकी पक्की मरम्मत नहीं हुई है?

श्री रामस्वरूप यादव---हरैया तहसील में १६० ग्रामों का स्तर ऊंचा किया गया तथा लगभग ६० मील लम्बी १९ सड़कें ऊंची की गयीं ।

उक्त ऊंचे किये ग्रामों के ५०३ पानी पीने वाले कुओं की जगत पटाई की सतह से डेढ़ फीट ऊंची कर दी गयी है और १०० कुओं की जगत की ऊंचाई का कार्य जारी है ।

श्री रणबहादुर सिंह---क्या माननीय सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १६० गांव जो ऊंचे किये गये हैं उनका काम पूरा हो गया है या अब भी कुछ गांवों में काम बाकी है ?

श्री रामस्वरूप यादव---१६० गांवों का तो स्तर ऊंचा हो चुका है ।

श्री रणबहादुर सिंह---क्या माननीय सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ६० मील जो नयी सड़कें बनायी गयीं, उन पर पुल या नया पाइप भी लगा दिया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव---पुल इत्यादि बना दिये गये हैं, इसकी सूचना तो श्रीमन्, नहीं है ।

## हरदोई जिले की संडीला तहसील के उत्तरी क्षेत्र में नालों और खारजों की कमी

*८७---श्री राजेन्द्र सिंह---क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि जिला हरदोई की तहसील संडीला के उत्तरी क्षेत्र में ऐसे कई स्थान हैं जहां उचित नालों और खारजों के न होने के कारण लगभग दो हजार एकड़ भूमि कृषि के अयोग्य होती जा रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव---इस प्रश्न से स्पष्ट विदित नहीं होता कि किस विशेष क्षेत्रफल के विषय में यह प्रश्न किया गया है। तहसील संडीला के उस भाग में जहां पर कृषि योग्य भूमि है, पर्याप्त नाले बने हुए हैं। गोमती के तट पर स्थित क्षेत्र ऊंचा-नीचा तथा कटा-फटा है, इसलिये इस क्षेत्र में नालों का बनवाना असम्भव है। बीच के क्षेत्र में भी बहुत से झील, ताल आदि हैं और वहां भी खेती योग्य भूमि बहुत कम है। इस तहसील का क्षेत्रफल बेहता नाला से जो कि उत्तर-दक्षिण बहता है, दो भागों में विभक्त है। इस क्षेत्रफल में १४७ मील के सरकारी नाले बने हुए हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में २० मील नये नालों को बनाने का प्रस्ताव है। इन [illegible] से लगभग ९०० एकड़ क्षेत्रफल लाभान्वित होगा ।

*८८---श्री राजेन्द्र सिंह---क्या सिंचाई मंत्री इस तथ्य [illegible] जांच कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव---जैसे कि पहले कहा गया है कि जांच कर ली गयी है ।

श्री राजेन्द्र सिंह---क्या सरकार को यह ज्ञात है कि गोमती नदी से १० मील की दूरी पर ऐसे गांव जैसे मल्लपुर, बेनीगंज, बरिया, सुहेलामऊ, नवादालोचन, सैरबहादुरपुर, जनगांव हैं जहां यदि नाले खोल दिये जायं तो लगभग ५,००० एकड़ भूमि कृषि योग्य निकल आयेगी और ये नाले ४-५ फर्लांग के होंगे ?

श्री अध्यक्ष---यह तो सुझाव है, मंत्री जी के पास आप लिखकर भेज दें ।

श्री राजेन्द्र सिंह---क्या माननीय मंत्री महोदय मेरे साथ किसी सरकारी अफसर को भेजने की कृपा करेंगे कि जिससे मैं बता सकूं कि ऐसे कौन-कौन से स्थान हैं जहां नाले खुद सकते हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह तो मंत्री महोदय से आप कष्ट करके मिल लीजियेगा, वही इसका प्रबंध कर सकेंगे ।

**श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या माननीय मंत्री कृपया बतलायेंगे कि उन्होंने जो बतलाया कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ये प्रस्ताव अब निश्चित हो चुके हैं, ये अभी विचाराधीन हैं ?

**श्री रामस्वरूप यादव**—प्रस्ताव तो स्वीकृत हो चुके हैं, लेकिन यह कि चालू हो सकेंगे, वह तो धन के ऊपर है। जैसा बजट में रुपया होगा, वैसे ही उसको व्यय किया जायगा।

## शाख इटावा डिवीजन के ६२वें मील से ७२वें मील तक बम्बी बनाने के लिये प्रार्थना-पत्र

*८९—**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शाख इटावा डिवीजन के ६२ वें मील से ७२ वें मील तक कोई बम्बी निकालने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

**श्री रामस्वरूप यादव**—रामगंगा जलाशय प्रोजेक्ट के अन्तर्गत बाहरपुर रजबहा को उसके वर्तमान टेल (अंत) से, जो ८ मील ४ फर्लांग पर है, १३ मील तक इटावा ब्रांच मील ६४ से ६८ तक के बायें किनारे के समानान्तर बढ़ाने का प्रस्ताव है, जो स्वीकृत हो जाने पर, कार्यान्वित किया जावेगा।

*९०—**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**—क्या यह सही है कि लगभग छः साल से उपर्युक्त क्षेत्र के निवासियों ने बम्बी के लिये अनेक प्रार्थना-पत्र दिये। सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की ?

**श्री रामस्वरूप यादव**—इस क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा के लिये कुछ प्रार्थना-पत्र सन् १९५१ व १९५४ में प्राप्त हुए थे। परन्तु उस समय तक रामगंगा जलाशय के अन्तर्गत नयी नहरें बनाने का प्रश्न तय नहीं हुआ था इसलिये काश्तकारों को उस समय यह सूचित कर दिया गया था कि सिंचाई की सुविधा पानी की कमी के कारण नहीं दी जा सकती थी।

## गोरखपुर, देवरिया तथा बस्ती जिलों के नल कूप

*९१—**श्री केशव पांडेय** (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर, देवरिया, बस्ती के जिले में बने विद्युत् नलकूपों में से कितने गत वर्ष डीजल से चलते रहे और कितने बिजली से ?

**श्री रऊफ़ जाफरी**—

| | बिजली से | डीजल से |
|---|---|---|
| गोरखपुर .. .. .. .. | १२६ | २४ |
| देवरिया .. .. .. .. | १४१ | २० |
| बस्ती .. .. .. .. | १९२ | ५ |

**श्री केशव पांडेय**—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर में जो १२६ बिजली से चलने वाले नलकूप लगाये गये हैं वह सब के सब चले हैं या कोई बंद भी रहा है ?

**श्री रऊफ़ जाफरी**—बिजली जहां तक पहुंचायी गयी है, वहां सब चले हैं।

**श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या यह सही है कि गोरखपुर, देवरिया के नलकूप बिजली से चलने चाहिये थे क्योंकि डीजल से ज्यादा खर्चा होता है ?

**श्री रऊफ़ जाफरी**—डीजल से ज्यादा खर्चा होता होगा।

श्री केशव पांडेय---क्या यह सही है कि डीजल वाले कुएं गत वर्ष से बिल्कुल नहीं चले और फसल जो बोयी गयी वह सब की सब सूख गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मान्यवर, यह बात सही है कि वहां पर बिजली से चलने वाले कुएं इस बार जो शिड्यूल बना था उसके अनुसार चल नहीं सके। इसकी वजह यह थी कि गोरखपुर में स्टीम का पावर हाउस बन रहा है, उसके लिये मशीनरी वगैरा का आर्डर किया जा चुका है और उम्मीद की जाती थी कि मई या जून में वहां बिजली पहुंचा सकेंगे। लेकिन मिस्र के झगड़े की वजह से मशीन नहीं आ सकी और हमारे शिड्यूल में गड़बड़ी पड़ गयी। यह कठिनाइयां थीं और अब रिलीज हो गयी है और हमारा ख्याल है कि आगे रबी में उसको अच्छी तरह से चला सकेंगे।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि उन्होंने डीजल के बारे में सवाल पूछा है, उसके बारे में जवाब नहीं दिया।

श्री कमलापति त्रिपाठी---वहां जो छोटा मोटा पावर हाउस है, जिससे वहां बिजली दी जाती है और वहां कुछ इंडिविजुअल सेट्स भी हैं उनको लगाये जाकर कुयं चलाये जाते रहे हैं और जब इंडिविजुअल सैट्स से चलाये जाते हैं तो जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा, इसका उत्तर दिया कि कम खर्चा पड़ता है। फिर उसमें रोस्टरिंग की जरूरत पड़ी और थोड़े से इंजिन चल रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर लगाया गया और दूसरी जगह से तीसरी जगह। इस तरह से काम हुआ और संतोषजनक ढंग से पानी मिलना चाहिये था, नहीं मिल सका क्योंकि हम बिजली नहीं दे सके, इसलिये वह ठिकाने से नहीं चल सके।

श्री केशव पांडेय---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह २४ कुएं जो डीजल से चलने वाले थे उनको बिजली से चलाने की स्कीम थी और जब तक बिजली न मिल जाती तब तक वह डीजल से चलाये गये तो बिजली मिलने से पहले डीजल सेट्स क्यों हटा दिये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मैंने अनुभव से बताया कि सम्भवतः रोस्टरिंग की होगी, एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से तीसरी जगह। जितने अनएलेक्ट्रिफाइड कुएं थे उतने इंडिविजुअल डीजल सेट्स नहीं थे। थोड़े से सेट्स को लेकर कभी इस कुएं को चलाया कभी उस कुएं को चलाया।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)---क्या यह सही है कि इस दुर्व्यवस्था के कारण हजारों एकड़ गन्ने की खेती का नुकसान हो गया ?

श्री रऊफ़ जाफरी---हजारों एकड़ गन्ने की खेती का नुकसान हो गया, यह तो मेरे ख्याल में सही नहीं हो सकता। लेकिन जैसा कि अभी बतलाया गया जो कबाहतें थीं, उनकी वजह से जो हमारी स्कीम थी वह वक्त से पूरी नहीं हो पायी।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बिजली द्वारा चलाये हुए कुओं से या डीजल द्वारा चालित नलकूपों से पानी न मिलने के कारण जो कुछ भी फसल की क्षति हुई है उसकी क्षतिपूर्ति सरकार करेगी ?

श्री रऊफ़ जाफरी---जी नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार इस बात की जांच करेगी कि खेती का नुकसान जैसा कि बताया गया, डीजल सेट्स की रोस्टरिंग के कारण नहीं हुआ बल्कि वास्तव में वे हटा लिये गये हैं ?

**श्री कमलापति त्रिपाठी**—जांच करने का प्रश्न नहीं है। मुझे तो वास्तव में उसकी जानकारी है। और जगहों में भी ऐसा ही हुआ है। जहां तक नुकसान की बात है, मान्यवर, वे तो ऐसी ही जगह लगाये गये हैं जहां कभी ट्यूबवेल्स लगे नहीं थे। गन्ने की खेती तो बहुत दिनों से होती रही है। कोई ट्यूबवेल से हमेशा उनको पानी थोड़े ही मिलता था।

## गोरखपुर कमिश्नरी में नलकूपों से पर्याप्त पानी न मिलने के कारण गन्ने को नुकसान

*९२—**श्री रामसूरत प्रसाद** (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष नलकूपों से व्यवस्थित रूप से पानी न मिलने के कारण गोरखपुर कमिश्नरी में कितने एकड़ गन्ने सूख गये?

**श्री रामस्वरूप यादव**—वर्तमान खरीफ (अप्रैल से अगस्त, १९५७) में केवल गोरखपुर में ८० एकड़ तथा देवरिया में ३३ एकड़ गन्ने की फसल को नलकूपों से पर्याप्त जल न मिलने के कारण नुकसान हुआ है।

*९३—**श्री रामसूरत प्रसाद**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इसकी जिम्मेदारी किस पर है तथा जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

**श्री रामस्वरूप यादव**—इस क्षति का कारण बिजली की कमी है क्योंकि यह नलकूप रोस्टरिंग करके चलाये गये। कोई व्यक्ति विशेष अथवा विभाग इसके लिये जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता।

**श्री रामसूरत प्रसाद**—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ट्यूबवेल्स से पानी न मिलने के कारण जो करीब ८० एकड़ गोरखपुर में और ३३ एकड़ देवरिया में गन्ना सूख जाने के कारण आर्थिक क्षति किसानों को हुई है, उसकी पूर्ति सरकार करेगी?

**श्री कमलापति त्रिपाठी**—उसकी पूर्ति का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि वे नये कुएं लगाये गये हैं। जितना बचा सकते थे उतना बचाया। कोई खास हमारे ट्यूबवेल्स लगाने से तो यह नुकसान हुआ नहीं।

## केन्द्रीय सरकार से लाइसेन्स प्राप्त सहकारी चीनी मिलें

*९४—**श्री वीरेन्द्र वर्मा**—क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की कितनी और कहां-कहां की सहकारी गन्ना फैक्टरियों के लाइसेंस केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जा चुके हैं?

**श्री रऊफ़ जाफरी**—प्राप्त सूचना के अनुसार अब तक प्रदेश की केवल नीचे दी हुई तीन सहकारी चीनी मिलों को भारत सरकार ने लाइसेंस दिये हैं :—

(१) बाजपुर कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी लिमिटेड, बाजपुर, जिला नैनीताल।
(२) बागपत कोआपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, बागपत, जिला मेरठ।
(३) सरसावा कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी लिमिटेड, सरसावा, जिला सहारनपुर।

*९५—**श्री वीरेन्द्र वर्मा**—क्या उद्योग मंत्री बतायेंगे कि प्रत्येक सहकारी समिति ने अलग-अलग मिल के लिये कितना-कितना धन एकत्रित कर लिया है?

**श्री रऊफ़ जाफरी**—मांगी गयी सूचना संलग्न तालिका "क" में दी हुई है। बाजपुर और बागपत के आंकड़ों की पूरी तफसील संलग्न तालिका "ख" और "ग" में है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५१५-५१६ पर।)

*९६--श्री वीरेन्द्र वर्मा--सहकारी गन्ना मिलों के अतिरिक्त प्रदेशीय सरकार ने और कहां-कहां Private Sector में गन्ना मिल स्थापित किये जाने की शिफारिश की है और उसकी क्या प्रगति है ?

श्री रऊफ़ जाफरी--सरकार ने सहकारी चीनी मिलों के अलावा प्राइवेट सेक्टर के लिये नीचे दी हुई दो सिफारिशें की थीं--

(१) एक नयी मिल किच्छा, जिला नैनीताल में स्थापित होने के लिये ।

(२) गोंडा जिले की नवाबगंज शुगर फैक्ट्री के एक बेकार पड़े हुए प्लान्ट को अलीगढ़ जिले की हरदुआगंज नामक जगह में लेजाकर लगाने के लिये ।

किच्छा की फैक्ट्री का लगाने का काम हो रहा है। मशीनरी का आर्डर दे दिया गया है और जमीन भी ले ली गयी है परन्तु हरदुआगंज वाली मिल के लिये अभी तक जमीन वगैरह न मिल पाने की वजह से अभी उस मिल के बारे में कोई प्रगति नहीं हो पायी है । इस मामले में भारत सरकार से लिखा-पढ़ी हो रही है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या माननीय उद्योग मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार से सहकारिता के ढंग पर ४ फैक्टरीज बनाने का कोटा यू० पी० के लिये रखा गया था ?

श्री रऊफ़ जाफरी--सही है, लेकिन लाइसेन्स अभी तीन को ही मिला है ।

## मुजफ्फरनगर जिले में नहरों और नलकूपों से सिंचित क्षेत्र

*९७--श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुजफ्फरनगर जिले में १९५५-५६ व १९५६-५७ में अलग-अलग कितने एकड़ भूमि का सिंचन सरकारी नहरों और सरकारी ट्यूबवेल्स द्वारा किया गया ?

श्री राममूर्ति--१९५५-५६ व १९५६-५७ में मुजफ्फरनगर जिले में सरकारी नहरों व नलकूपों से सिंचित क्षेत्र इस प्रकार है :--

| | १९५५-५६ एकड़ | १९५६-५७ एकड़ |
|---|---|---|
| सरकारी नहरों से .. .. | २,२७,२६४ | २,१७,७१९ |
| सरकारी नलकूपों से .. .. | ७७,०१३ | ८३,५४१ |
| दौराला कन्वर्जन स्कीम जिसके अन्तर्गत नलकूपों का पानी एक नहर से ले जाया जाता है .. | ३,३३७ | २,७१४ |

*९८-१००--श्री कल्याणचन्द मोहिले--[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर १६ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

## अतारांकित प्रश्न

## गोंडा जिले में कुटीर उद्योगों को बढ़ाने के लिये योजना

१--श्री शीतला प्रसाद (जिला गोंडा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य भर में कुटीर उद्योग कहां-कहां पर जारी किये गये हैं और इस सम्बन्ध में गोंडा जिले में सरकार ने क्या कदम उठाया है ?

---

नोट:--तारांकित प्रश्न संख्या ९६ के उपरांत प्रश्नोत्तर का समय समाप्त होगया ।

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम--राज्य भर में सन् १९५६-५७ में जारी किये गये कुटीर तथा गृह-उद्योगों की सूचना स्थानों सहित संलग्न तालिका "अ" में दी हुई है।

जहां तक गोंडा जिला का सम्बन्ध है उद्योग विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्य किये गये हैं :--

१--बलरामपुर में एक औद्योगिक शिक्षालय चल रहा है जिसमें केन बास्केट बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

२--गुड़ योजना जिला की अतरौली, तरबगंज और गोंडा तहसीलों में चल रही है।

३--खादी विकास योजना मलावा-तरबगंज तहसील में चल रही है।

४--चर्म विकास योजना के अन्तर्गत जिला में इमामाबाद तहसील गोंडा में एक केन्द्र खोला जा रहा है। चर्मशोधकों की सहकारी समिति का निर्माण हो गया है। इसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है और १५,००० रुपये का अनुदान तथा ५,००० रु० का ऋण स्वीकृत किया गया है।

५--हस्त करघा की योजना के अन्तर्गत दो बिक्री केन्द्र बलरामपुर तथा गोंडा में खोले गये और इनमें सन् १९५६-५७ में २२,००० रु० की बिक्री हुई।

६--प्राविधिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत एक सहायता-प्राप्त बुनाई संस्था जिला बोर्ड के अधीन चल रही है। इसमें १५ व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया और ७१० रु० अनुदान दिया गया।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५१७-५२० पर।)

## लिबलाइज्ड टर्म लोन स्कीम के अन्तर्गत कुटीर उद्योगों के लिये कर्ज

२--श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या सरकार ऐसी सूची मेज पर रखने की कृपा करेगी जिसमें यह दिखाया गया हो कि Liberalised term loan scheme के अन्तर्गत राज्य सरकार को प्राप्त धन किस-किस कुटीर उद्योग के लिये कितना-कितना किन-किन व्यक्तियों को दिया गया है ?

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम--*सूची मेज पर रख दी गयी है।

## तहसील मांट, जिला मथुरा में भीषण वर्षा के कारण उत्पन्न संकटापन्न स्थिति के सम्बन्ध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--यह एक काम-रोको प्रस्ताव श्री टीकाराम पुजारी जी का है :

"तहसील मांट जिला मथुरा के ग्रामों में भीषण वर्षा के फलस्वरूप ग्रामों के चारों ओर पानी भरा हुआ है तथा निवासियों का जीवन असुरक्षित और संकटापन्न स्थिति में है। स्थानीय अधिकारियों की ओर से फसल के बचाने व पीड़ित लोगों की सहायता करने का उचित प्रबंध न किये जाने के कारण जिले की जनता में क्षोभ का वातावरण व्याप्त है और परिस्थिति विषम हो गयी है, अतः इससे उत्पन्न परिस्थिति पर विचार करने के लिये सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

---

*सूची छापी नहीं गयी है।

इस विषय पर ६ तारीख को काफी बहस हो चुकी है और उसके बाद की कोई बात भी इसमें नहीं लिखी है यदि बाद की कोई बात भी होती तो भी मैं स्वीकार नहीं करता इसलिये कि कहीं बाढ़ अधिक आ जाय, बारिश ज्यादा हो जाय, यह सब तो होता ही रहेगा। इस विषय का वाद-विवाद यहां हो चुका है इसलिये इसका महत्व अब इतना रहता नहीं है कि सदन का कोई काम उसके लिये रोका जाय। जो सुझाव माननीय सदस्यों को किसी खास स्थान के लिये देना हो, वह लिखा पढ़ी से माननीय मंत्री महोदय को दे सकते हैं। मैं इसकी इजाजत नहीं देता और इसको अनिश्चित भी करार देता हूं।

## मरवा, तहसील सलेमपुर, जिला देवरिया में भुखमरी से हुई मृत्यु के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---श्रीमन्, मैंने सदन में एक कामरोको प्रस्ताव मरवा, तहसील सलेमपुर, जिला देवरिया में श्री रामदीन की भुखमरी से हुई मृत्यु के सम्बन्ध में दिया था और माननीय मंत्री जी ने दो दिन के बाद उस सम्बन्ध में वक्तव्य देने का वायदा किया था। तो क्या माननीय मंत्री जी वक्तव्य देंगे ?

श्री अध्यक्ष---मैंने यह कहा था कि जांच करके माननीय मंत्री जी उसकी क्या परिस्थिति है, बतायें। तो अन्न मंत्री जी आज यहां हैं नहीं। कल आप इस प्रश्न को उठायें और उनकी जांच का जो फल होगा वह इस आदरणीय सदन के सामने रखेंगे।

## उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५७

### *खंड ४ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष---अब उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५७ पर विचार जारी रहेगा। उस दिन श्री जगन्नाथ लहरी भाषण कर रहे थे।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, ५ तारीख को जब सदन के सम्मुख प्रवर समिति की रिपोर्ट से अनुमोदित बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५७, पर विचार चल रहा था उस समय मैंने यह विचार रखा था कि खंड ४ में जो उप-धारा ६ प्रस्तावित की जा रही है उसको पूर्णतया निकाल दिया जाय। यद्यपि उस दिन मैंने उस संबंध में अपने काफी विचार प्रकट किये थे, फिर भी मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रान्त में व्यापारियों की गिरती हुई दशा को देख कर तथा प्रान्त के व्यापारियों को संरक्षण देने के लिये वह इस उपधारा को पूर्णतया हटाने की कृपा करें। कुछ समझ में नहीं आता कि इस उपधारा की आवश्यकता क्यों आ पड़ी। सेल्स टैक्स अधिकारियों को जब इस प्रकार के अधिकार दे दिये जायंगे तब संभवतः यह हो सकता है कि हमारे यह सेल्स टैक्स अधिकारी अपने इस नये अधिकार का दुरुपयोग करें। उससे इस विभाग में भी और विभागों की तरह भ्रष्टाचार का बोलबाला हो जाने की संभावना है। यदि वास्तव में सेल्स टैक्स अधिकारियों को किसी फर्म या व्यापारी के प्रति इस प्रकार का संदेह उत्पन्न हो जाता है और वह देखते हैं कि उस व्यक्ति को लाइसेन्स देना राजस्व की सुरक्षा की दृष्टि से अहितकर है तब मैं समझता हूं कि हर व्यापारिक क्षेत्र में, हर बड़े-बड़े नगर में जहां व्यापारिक संगठन बने हुए हैं, उन व्यापारियों के संगठन के द्वारा यह किया जा सकता है कि वहां सेल्स टैक्स अधिकारी गुप्त रूप से या प्रत्यक्ष रूप से, जैसा भी उचित समझे, उस व्यापारिक फर्म या उस व्यापारी के बारे में पूछताछ कर लें। उन्हें अच्छी तरह से यह पता चल सकता है कि उस व्यापारी की या उस फर्म की आर्थिक दशा क्या है ? आया उससे सेल्स टैक्स का रुपया प्राप्त होने में अड़चन पैदा होगी जिससे राजस्व के लिये कोई खतरा पैदा हो सकता है या उस व्यापारी

*५ सितम्बर १९५७ कीकार्यवाही में छपा है।

[श्री जगन्नाथ लहरी]

के बारे में कुछ लोगों ने कोई झूठी शिकायत या गलत सूचना दे दी है जिससे सेल्स टैक्स अधिकारी के ऐसा कदम उठाने पर उसको नुक्सान पहुंच सकता है तो इस तरह की सूचना का प्रत्यक्ष या गुप्त रूप से, सेल्स टैक्स अधिकारी को सही सही पता चल सकता है .....

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर यह है कि परसों इस विधेयक को माननीय हाफ़िज साहब और माननीय धर्मसिंह जो पायलेट कर रहे थे किन्तु इस समय उन दोनों में से कोई भी नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष---माननीय रऊफ़ जाफरी साहब मौजूद हैं । आप यह क्यों समझते हैं कि वह पायलेट ठीक तरह से नहीं कर सकते । यह आपका प्वाइन्ट आफ आर्डर उचित नहीं है ।

श्री जगन्नाथ लहरी---इसके अतिरिक्त हमारी सरकार का हमारे प्रदेश में एक शक्तिशाली गुप्तचर विभाग भी है । यदि किसी व्यापारी के प्रति इस तरह का सन्देह उत्पन्न हो जाता है कि उससे सेल्स टैक्स प्राप्त नहीं हो सकेगा या कुछ उसमें रुकावट पैदा हो सकती है तो सेल्स टैक्स अधिकारी लाइसेन्स को रिन्यू करते समय या नया लाइसेन्स देते समय गुप्तचर विभाग द्वारा इसकी सूचना प्राप्त कर सकता है ।

इसके साथ-साथ मेरा यह भी कहना है कि इस धारा के साथ जो प्रतिबन्ध रखा गया है जिसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यापारी, सेल्स टैक्स अधिकारी द्वारा लाइसेन्स देने या रिन्यू करने के लिये अपेक्षित धनराशि जमा करने की आज्ञा दी गयी हो, उसका विरोध करता है तो फिर वह रिवाईजिंग अथारिटी के सामने अपना रिवीजन ३० दिन के भीतर दाखिल कर सकता है लेकिन वह तभी अपने रिवीजन को दाखिल कर सकता है जब कि उसने अपेक्षित धनराशि को जमा कर दिया हो । यदि सरकार मेरे इस संशोधन को मान लेती और वह विधेयक में इस तरह के संशोधन करने के लिये तैयार हो जाती कि रिवाईजिंग अथारिटी के सामने, रिवीजन दाखिल करने के पहले अपेक्षित धनराशि के जमा करने की आवश्यकता नहीं है, तो शायद हम लोगों को इस संशोधन को उपस्थित करने की आवश्यकता नहीं होती । मैं सरकार से मांग करता हूं कि यदि किसी सेल्स टैक्स अधिकारी को इस तरह का सन्देह उत्पन्न हो जाता है कि किसी व्यापारी या फर्म से इस तरह का राजस्व के लिये खतरा पैदा होता है और उसको लाइसेन्स देना हितकर नहीं है तो वह सेल्स टैक्स अधिकारी अपने से ऊपर वाले अधिकारियों के पास एक खुफिया रिपोर्ट भेज सकता है और वहां से इस तरह का आदेश मंगा सकता है कि उस व्यापारी को लाइसेन्स न दिया जाय और उसको वार्निंग दे दी जाय । अगर वह इस पर उचित आश्वासन नहीं देता है तो फिर वह लिखित वार्निंग का उत्तर आने पर उसके ऊपर उचित विचार किया जाय और तब वह ऊपर के अधिकारियों के पास भेजी जाय । लेकिन ऊपर से यदि इस प्रकार की आज्ञा सेल्स टैक्स अधिकारी कोई प्राप्त कर लेता है कि उस व्यक्ति को लाइसेन्स देने के लिये एक सिक्योरिटी की आवश्यकता है तो वह अधिकारी कोई उचित कदम, जो उसको उचित प्रतीत हो, उठा सकता है ।

(इस समय १२ बजकर ८ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त, पीठासीन हुए ।)

लेकिन इस प्रकार से जो विधेयक में अधिकार दिये गये हैं कि वह किसी व्यापारी को या व्यापारी फर्म को लाइसेन्स देने के लिये इंकार कर सकता है तो मैं श्रीमन् के द्वारा सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इसको गंभीरतापूर्वक सुने और इस पर विचार करे और फिर कुछ इस तरह का संशोधन करने की कृपा करे जिससे उन व्यापारियों को जोकि अपना विरोध प्रकट करना चाहते हैं, उनको कोई

धनराशि जमा न करनी पड़े। इन शब्दों के साथ में इस संशोधन विधेयक का विरोध करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि जो नयी उपधारा जोड़ी जा रही है, उसको इस विधेयक से निकाल दिया जाय।

*श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)--मान्यवर, मैं संपूर्ण खंड ४ का विरोध करता हूं। श्रीमन्, इस खंड के विरोध करने का कारण यह है कि इस विधेयक के द्वारा असेसिंग अथारिटी को एक ऐसा अधिकार दिया जा रहा है, जिसके सम्बन्ध में मैं यह कह रहा हूं कि बहुत से स्थानों पर, बहुत-सी परिस्थितियों में, इन अधिकारों का दुरुपयोग होगा।

इसके अलावा, श्रीमन्, यह तो ठीक है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एक परम आवश्यक वस्तु होती है परन्तु लेजिस्लेचर का यह काम होता है कि वह यह देखे कि जिस पावर को हम डेलीगेट कर रहे हैं उसका मिसयूज़ तो नहीं होगा। उस दुरुपयोग को रोकने के लिये हर तरह से यथासंभव प्रयत्न करना चाहिये। मान्यवर, यह शिकायत इस प्रदेश में काफी आ चुकी है कि सेल्स टैक्स आफीसर अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस वातावरण में उनको यह अधिकार न दिये जायं।

इस खंड के विषय में दूसरी मेरी आपत्ति यह है और इस विधेयक में जो यह अंकित है कि "ऐसे अधिकारी द्वारा अपेक्षित धनराशि की तथा उसी के द्वारा अपेक्षित रीति से प्रतिभूति देगा"। इसके द्वारा श्रीमन्, असेसिंग अथारिटी को यह भी अधिकार प्रदान किया जा रहा है कि वह एमाउन्ट भी निर्धारित करे और साथ ही साथ यह भी निर्धारित करे कि वह एमाउन्ट कैश में देगा अथवा काइन्ड में यानी किस किस्म से देगा या दोनों रूप में देगा। डेलीगेशन तो इसलिये किया जाता है कि बिल बहुत भारी न हो जाय और इसलिये यह डेलीगेशन का प्रिंसिपल हर मुल्क में माना गया है। लेकिन मेरा कहना केवल इतना है कि आप उसके ऊपर क्यों छोड़ते हैं, आप स्वयं ही साफ-साफ क्यों नहीं बता देते कि जो जमानत वह दे किस किस्म की होगी, कैश में होगी या काइन्ड में होगी अथवा दोनों रूप में होगी। अगर आप केवल असेसिंग अथारिटी के ऊपर छोड़ेंगे तो वह इन अधिकारों का दुरुपयोग करेगा। इस विचार से आप उसको जरूरत से ज्यादा अधिकार दे रहे हैं।

श्रीमन्, एमाउंट डिटरमिन करने के लिये और साथ ही साथ मैनर डिटरमिन करने के लिये असेसिंग अथारिटी को अधिकार होगा कि धनराशि क्या होगी और वह धनराशि किस तरीके से जमा होगी, या वसूल होगी। ये दो मूल सिद्धान्त हैं जिनके विरुद्ध में अपनी आवाज उठा रहा हूं।

कभी-कभी इस सम्बन्ध में इनकम टैक्स और एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स का भी जिक्र किया गया है। एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स, इनकम टैक्स और इस सिक्योरिटी में महान् अन्तर है। इसी सदन के किसी माननीय सदस्य ने यह कहा था कि इनकम टैक्स में जब अपील करने की जरूरत होती है तो वे पूरी धनराशि जमा करा लेते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं आपके द्वारा सदन को यह सूचना देना चाहता हूं कि इनकम टैक्स में यह नियम है लेकिन जहां तक एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स का सम्बन्ध है, असेसिंग अथारिटी के डिस्क्रीशन पर ही निर्भर करता है कि वह चाहे तो रुपया फौरन जमा करा ले या न जमा करावे। रुपया जमा करा लेना कोई लाजिमी नहीं है, यह उसके डिस्क्रीशन पर है। किसी टैक्स और किसी सिक्योरिटी में बड़ा अन्तर हुआ करता है। टैक्सेशन तो श्रीमन्, उस पर होता है जब किसी को किसी प्रकार की आय हुई हो। जो आय होती है उसको देखते हुए उसी के अनुसार टैक्स लगाया जाता है और आय वाले को यह बात मालूम होती है कि हमको इतना टैक्स देना है। आमदनी का एक सिद्धान्त है, एक नियम और व्यवस्था है, उसका एक कानून है कि यह आमदनी होगी तो यह टैक्स देना होगा। यह चीज अपनी जगह पर मालूम होगी लेकिन जहां तक सिक्योरिटी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेशप्रताप सिंह]

की बात है, कितना एमाउंट है, किस रूप में वह जमा होगा, जब सरकार यह भ्रम कर रही है तो मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि टैक्स और सिक्योरिटी में महान् अन्तर है।

दूसरी ओर, जहां तक समय देने की बात है, यदि किसी को आपत्ति हो, यानी वह यह समझता हो कि असेसिंग अथारिटी जो आज्ञा दे रहा है, वह अनुचित है और उसके खिलाफ अगर वह अपील करना चाहे तो श्रीमन्, उसके लिये जो समय दिया जा रहा है वह केवल ३० दिन के लिये है।

जहां तक संशोधन की बात है एजेंडे को देखने से मैंने यह पाया है उनकी संख्या में वृद्धि ही होती जा रही है और एक संशोधन बजाय ३० दिन के ४५ दिन कर देने का भी है। मैं आपके द्वारा सदन से यह अनुरोध करूंगा कि ४५ दिन भी कम हैं क्योंकि सरकार को तो अवधि बढ़ाने में कोई आपत्ति की बात है ही नहीं। इसलिये मैं चाहता हूं कि कम से कम उसे तीन महीने का अवसर होना चाहिये। क्योंकि एक तो असेसिंग अथारिटी इतना लम्बा चौड़ा मतालबा दे सकता है कि व्यापारी के लिये एकदम से इकट्ठा करना बहुत कठिन हो जाय। दूसरी बात यह कि किस सूरत से वह सिक्योरिटी जमा कराना चाहता है, वह भी ऐसी चीज होगी जो असेसिंग अथारिटी के ऊपर निर्भर है कि उसकी रूपरेखा क्या हो। तीसरी बात यह कि टैक्स तो उसके ऊपर है नहीं, क्योंकि कोई आमदनी तो उसको मिली नहीं है। वह सिर्फ व्यापार करना चाहता है लिहाजा व्यापार करने में जो उसके ऊपर प्रतिबन्ध लगाया जाता है तो इसके लिये उसको काफी वक्त मिलना चाहिये।

इसकी दो सूरतें हो सकती हैं। एक तो यह कि रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो सरकार को कोई क्षति पहुंच नहीं रही है। सरकार से तो व्यापारी जाता है और कहता है कि मेरे फर्म का रजिस्ट्रेशन कर दिया जाय। अगर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराता तो उसमें सरकार को क्या आपत्ति है? व्यापारी तो जल्द से जल्द चाहेगा कि अपील करे और इसलिये यह तो उसके हक में है। लेकिन अगर वह रुपया नहीं इकट्ठा कर पाता है तो इस रूप में उसे काफी अवसर मिलना चाहिये कि वह धनराशि एकत्रित करके जमानत दे सके और अपील कर सके।

मान्यवर, मैं यह समझता हूं कि यह एक ऐसी चीज होती जा रही है कि जिस रूल, कायदे और कानून की बात है, उसी के मूल अधिकार का इससे अपहरण हो रहा है। मैं मानता हूं कि उस मौलिक अधिकार पर कुछ नियंत्रण आप लगा सकते हैं लेकिन वह नियंत्रण भी उचित होना चाहिये।

जहां तक इस प्रतिबन्ध की बात है इस पर मुझे शंका और आपत्ति है। मैं कहता हूं कि जो मौलिक अधिकार हमारे संविधान में हैं कि हम कोई भी व्यापार कर सकते हैं वह हमें रहने चाहिये और अगर उन पर आप कोई प्रतिबन्ध लगाते हैं तो वह उचित और रीजनेबिल होना चाहिये, तो उस कसौटी पर भी क्या और कानूनों की आपके यहां कमी है कि मुट्ठी भर बनियों के लिये, कि जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं या जो नियमों को भंग करने के लिये तत्पर रहते हैं, यह हो रहा है। कानपुर के मुट्ठी भर व्यापारी हैं उनके लिये इस सदन में ऐसा बिल लाया जाय और मैं जानता हूं कि सरकार के पास ऐसे लोग भी आये हों जो कि चाहते हैं कि उनकी दुकानें बन्द हों ताकि उनकी आमदनी न मारी जाय लेकिन उसके लिये क्या भारतीय दंड विधान में या दूसरी जगह ऐसे संशोधन नहीं आ सकते हैं कि कहीं फिर ऐसी चीज न हो। इस तरह से मुट्ठी भर बनियों के लिये आप यह कानून ला कर मौलिक अधिकारों पर ठेस लगा रहे हैं और इस तरह की अनियमित चीज पर उतारू हैं। इसके माने यह हैं कि सरकार इस कदर निर्बल है कि थोड़े से कानपुर के पूंजीपतियों के लिये सारे प्रदेश के मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात कर रही है। इसलिये यह खंड ४ इस बिल से निकाल दिया जाय।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, इस प्रस्तुत संशोधन पर कोई सम्मति व्यक्त करने के लिये यह समझना जरूरी है कि इस संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी। इस समय जो असेसिंग सेक्शन सेल्स टैक्स ऐक्ट में है यानी धारा ३, उसमें ऐसा प्राविजन है कि यदि एक प्रिन्सिपल फर्म कोई टर्नओवर दिखलाये और उस में वह टर्नओवर भी शामिल हो जो स्वयं उसकी न हो, उसके व्यापारियों की हो तो उस पर सेल्स टैक्स नहीं लगता। देखा जाता है कि जब केस असेसिंग सेल्स टैक्स आफिसर के पास जाता है तो चाहे उसकी ग्रास टर्न ओवर कितनी ही लगायी गयी हो लेकिन उसका नेट टर्न ओवर कुछ हजार का ही होता है उस लिस्ट में जिस से वह एग्जेम्पशन चाहता है, मुक्ति चाहता है, और जो उसका अधिकार है, तो उसमें कभी-कभी यह देखा जाता है कि ऐसे नाम आ जाते हैं कि जिन पर टैक्स देने का कोई साधन ही नहीं होता। कभी-कभी ऐसा भी हुआ कि उस लिस्ट में ऐसे व्यक्तियों के नाम भी आ गये जो केवल पकौड़ी बेचने का काम या खोमचे का काम करते थे, उनके नाम से कोई कोई लाखों रुपये का व्यापार, धन्धा चलाते थे। तो इसलिए इसकी आवश्यकता प्रतीत हुई कि ऐसे व्यक्तियों पर ऐसा प्रतिबन्ध लग सके कि वह उस बड़ी धनराशि को छिपा न पायें।

मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि किसी भी विभाग को या अधिकारी को असीमित अधिकार नहीं देने चाहिये। लेकिन मैं समझता हूं कि इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की यह इच्छा भी होगी, और होनी चाहिये, कि सेल्स टैक्स का इवेजन न हो। आज वास्तविकता यह है कि टैक्स का एवेजन बड़ी मात्रा में होता है। मैं तो यह भी कहने को तैयार हूं कि उस टैक्स के इवेजन का सारा दायित्व उन लोगों पर ही नहीं है जो उस टैक्स को बचाते हैं, उसका काफी दायित्व हमारी सरकार पर और सरकार की शासन नीति पर भी है। हमने जो समय-समय पर नियम बनाये हैं, मैं कह सकता हूं कि उनमें ऐसे दोष हैं कि वह दोष ही उस टैक्स इवेजन को प्रोत्साहित करते हैं। श्रीमन्, इस विचार को रखते हुए सरकार यदि कभी भी ऐसा संशोधन प्रस्तुत करे या ऐसी कोई पावर विभाग को देना चाहे जिसके द्वारा उस इवेजन की सम्भावना रुक सके तो मैं समझता हूं कि हम सबको उसका हृदय से स्वागत करना चाहिए। यह संशोधन जो सरकार द्वारा आया है उसमें यही भावना मुख्य है कि वह इवेजन रोकने का पूरा यत्न हो। यदि हम इस देश के सारे प्रदेशों के सेल्स टैक्स पर निगाह डालें तो हम देखेंगे कि ऐसी असाधारण शक्ति केवल मद्रास के सेल्स टैक्स ऐक्ट में ली गयी है और किसी प्रदेश में नहीं है।

श्रीमन्, मैं जहां इसका स्वागत करता हूं, जहां मैं यह आवश्यक समझता हूं कि ऐसे प्रतिबन्ध लगाये जायं, जिनके द्वारा इवेजन न हो, वहां मैं आपकी आज्ञा से सरकार की सेवा में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इसका पूरा ध्यान रहे कि वे प्रतिबन्ध इस तरह से न लगाये जायं कि उनका दुरुपयोग हो सके या उनका दुरुपयोग इतना हो सके कि जिस मंतव्य के लिए वह लगाये गये हैं वह न पूरा करके उससे व्यापारियों को अनुचित, अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़े।

श्रीमन्, प्रस्तुत संशोधन का जहां सिद्धान्ततः मैं स्वागत करता हूं, एक बात मेरी समझ में कतई नहीं आयी। उसमें एक प्राविजन रखा गया है जिसके द्वारा हर एसेसी को यह अधिकार दिया गया है कि यदि वह प्रतिभूति लगाने पर असन्तुष्ट हो तो वह रिवीजन अथोरिटी के सामने रिवीजन कर सकता है। अभी माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी ने यह कहा कि इसका समय तीस दिन के बजाय ४५ दिन कर दिया जाय। मैं यह निवेदन करूंगा कि न उसके ४५ दिन करने से व्यापारी का लाभ हो सकता है न तीन महीने करने से लाभ हो सकता है।...

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—प्वाइंट आफ आर्डर, सर। श्रीमन्, क्या कोई माननीय सदस्य सदन में छाता लेकर आ सकता है? क्या यह व्यवहार पार्लियामेंटरी है?

**श्री अधिष्ठाता**—नहीं-नहीं, छाता लेकर तो नहीं आ सकते। कौन साहब हैं? अगर कोई सज्जन छाता लेकर आये हों तो उसको ले जाकर लाबी में रख दें।

**श्री जगदीशशरण अग्रवाल**—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि ३० दिन से ४५ दिन होने से या ४५ दिन से दो या तीन मास होने से वास्तविक रिलीफ व्यापारी को नहीं मिल सकती। उससे ज्यादा आवश्यक चीज दूसरी है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर उसको रिवीजन के बजाय अपील करने का अधिकार होता, क्योंकि आज अपीलेट जजेज रीजनल क्षेत्रों में मौजूद हैं, तो अच्छा होता। रिवीजन अथारिटी सारे प्रदेश की एक है। तो उसका स्वभावतः यह परिणाम होता है कि रिवीजन का निश्चय होने में बहुत समय लगता है। आज की तारीख में कई हजार रिवीजन ऐसे हैं जो दो साल से अधिक पेंडिंग हैं। उन पर कोई फसला नहीं हो सका और उनमें, यदि मैं भूलता नहीं हूं, तो एक करोड़ रुपये से ज्यादा का सेल्स टैक्स इनवालब्ड है। यदि हमने रिवीजन का अधिकार रखा और हमने कोई ऐसा प्रतिबन्ध न लगाया कि रिवीजन अथारिटी के लिए लाजिमी हो कि वह कितने दिनों में फैसला करे, तो उसका परिणाम यह होगा कि उसका फैसला एक या दो साल में हुआ करेगा। जिससे उस रेमेडी को, उस प्रतिबन्ध को, उस सुविधा को देने का जो मतलब है, वही व्यर्थ हो जायगा। इसलिये श्रीमन्, अच्छा हो यदि बजाय इसके कि ३० या ४५ दिन की सीमा की जाय, ऐसा कोई प्रतिबन्ध लगाया जाय कि रिवीजन अथारिटी के लिये यह लाजिमी हो कि ऐसे रिवीजन्स के लिये वह ३० या ४५ दिन के अन्दर या अधिक से अधिक २ मास के अन्दर निश्चित कर दे। क्योंकि अगर उस अवधि में निश्चित कर दिया गया तो वह व्यापारी जो रिवीजन के लिये गया है, यदि उसके कथन में कोई सत्य है, तथ्य है, तो उसको वह रिलीफ मिल जायगी जिसके लिये वह गया है।

इसके अतिरिक्त एक बात और कहना चाहता हूं। वास्तव में यह सत्य है कि यह एक बहुत असाधारण शक्ति है। जहां इसकी आवश्यकता है वहां इसका दुरुपयोग होने की पूर्ण आशंका हो सकती है। इसलिये सरकार इस पर जितना भी नियंत्रण हो सके, लगाये। एक नियंत्रण तो इस प्रस्तुत संशोधन में है। यह लाजिमी कर दिया गया है कि असेसिंग अथारिटी को सेल्स टैक्स कमिश्नर की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगी। यह एक अच्छा प्रतिबन्ध है, इससे उसके दुरुपयोग की सम्भावना पर काफी ब्रेक लगा दिया गया है। लेकिन इससे भी अधिक कम से कम सरकार को कोई न कोई फारमूला निश्चित कर देना चाहिये जिसमें असेसिंग अथारिटी के डिस्क्रीशन की अधिक गुंजाइश न रहे और वह एक निश्चित फारमूला हो जिसके आधार पर उन स्थितियों में, यदि आवश्यकता हो तो, प्रतिभूति मांगी जाय और उसका क्या स्वरूप हो, यह भी एक आवश्यक प्रश्न है।

अभी एक मित्र ने कहा कि इस संकल्प में यह स्पष्ट नहीं है कि सेक्योरिटी कैश में ली जायगी या काइन्ड में। वास्तव में यह आक्षेप सत्य है। इसमें उसके दुरुपयोग की पूर्ण सम्भावना है। यदि व्यापारी से हमने यह कहा कि तुम्हें कई हजार रुपया कैश देना है तो मुमकिन है कि वह बेचारा जो उस कैश से अपना व्यापार करने की आशा रखता है यदि वह सारा कैश सेक्योरिटी के रूप में जमा कर देगा तो उसके व्यवसाय को भारी धक्का लग सकता है। तो अच्छा हो यदि इस बात का स्पष्टीकरण सरकार की ओर से हो जाय और वह स्पष्टीकरण ऐसा हो जिसमें कैश में सेक्योरिटी जमा करने की शर्त न हो, बल्कि वह सेक्योरिटी काइन्ड में जमा की जा सके। मैं समझता हूं यदि इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगा दिया गया तो एक तरफ़ जिस आवश्यकता के लिये इस संशोधन को सरकार लायी है वह मन्तव्य पूरा हो सकेगा, दूसरी तरफ जो आशंका, वाजिब तौर से हम लोगों को है, उसके दुरुपयोग की, उन पर भी ब्रेक लगा सकेगा। इन शब्दों के साथ प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं।

**श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)**—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री लहरी जी के संशोधन का समर्थन करता हूं .....

श्री अधिष्ठाता—आप का भ्रम है। उनका कोई संशोधन नहीं है, वह विरोध कर रहे हैं।

श्री देवनारायण भारतीय—मैं भी दफ़ा ४ का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, इस बिक्री-कर के सिद्धान्त का जहां तक प्रश्न है वहां तक इस सदन के किसी पक्ष क भी विरोध नहीं है। लेकिन विरोध की बात पैदा होती है वहां से जहां इस टैक्स के द्वारा व्यापार को किसी प्रकार का आघात पहुंचने की आशंका होती है। जिन धाराओं का इस समय प्रस्ताव किया जा रहा है उन्हें लगाते समय सदन को यह विचार करना है, मान्यवर, कि हम कोई ऐसा प्रतिबन्ध तो नहीं लगा रहे हैं कि जिससे व्यापार को हानि पहुंचे, व्यापारियों को आर्थिक हानि पहुंचे और उसके परिणामस्वरूप क ज्यूमर को भी अपनी आवश्यकता की वस्तु मिलने में असुविधा हो। मैं इसके बारे में यह जरूरी समझता हूं, श्रीमन्, कि हमें ऐसे नियम बनाने चाहिये जिससे जो पैसा एक कन्ज्यूमर से व्यापारी बिक्री-कर के रूप में वसूल करता है, यह तो निश्चय ही है कि व्यापारी बिक्री-कर अपने पास से नहीं देता, व्यापारी बिक्री-कर कन्ज्यूमर से वसूल करता है, तो अगर ऐसा हो कि वह पैसा ज्यों का त्यों सरकार के पास चला आवे और व्यापारी के अपने पास उस धन को रोकने का कोई अवसर न रह जावे और साथ ही में व्यापारी पर एक एकत्रित धन से अधिक पड़ जाने की आशंका न हो, तो मेरी समझ में ऐसा नियम बना देने से व्यापारी को किसी प्रकार का धक्का पहुंचने की आशंका नहीं रहेगी। हमें विचार यह करना है कि जो धन कन्ज्यूमर से बिक्री-कर के रूप में व्यापारी वसूल करे वह सीधा-सीधा सरकार के कोष में आवे। उसके लिये मैं आगे चल कर वह उपाय भी बतलाऊंगा कि किन उपायों से मैं ऐसा होना सम्भव समझता हूं। मैं एक दूसरी बात इससे पहले और बतला देना चाहता हूं कि इस संशोधन विधेयक के द्वारा जो अधिकार असेसिंग आफ़िसर्स को दिये जा रहे हैं मैं उनका भी विरोध करता हूं। असेसिंग आफ़िसर्स जहां सिक्योरिटी डिमान्ड कर सकते हैं और इस विधेयक में यह भी डेफिनिट नहीं है कि वह कैश में हो या काइन्ड में हो, वहां प्रायः अधिकांश अवसरों पर इस अधिकार का दुरुपयोग ही हो सकता है। मैं स्वयं एक व्यापारी हूं और व्यापारी की हैसियत से मैं अपना अनुभव सदन के सामने उपस्थित करना चाहता हूं। मैं यह कह सकता हूं कि अधिकांश अवसरों पर जहां-जहां असेसिंग आफिसर्स को ऐसे अधिकार प्राप्त रहे हैं वहां-वहां उन्होंने कंज्यूमर और व्यापारी दोनों के हितों का ध्यान न करते हुए अपने स्वार्थ के लिये कानून का दुरुपयोग किया है। श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि इस अधिकार को असेसिंग आफिसर्स को देने से पहले पूर्ण रूप से हमें विचार कर लेना चाहिये और वह यह कि उस पर इतना प्रतिबन्ध लग जावे कि वह इसका दुरुपयोग न कर सके। मैं इसके बारे में आप के सामने एक व्यापारी की हैसियत से कुछ सुझाव भी रखना चाहता हूं और उन सुझावों पर यदि सरकार विचार करेगी तो उसको सुभीता मिलेगा और वह ऐसा संशोधन आगे चल कर ला सकेगी जिससे इन आशंकाओं का प्रश्न ही न रह सके।

अभी तक प्रत्येक नगर में आम तौर पर दो या तीन मंडियां होती हैं और प्रत्येक मंडी में चुंगी की ओर से एक कर्मचारी रहता है और उस बाजार में आने वाले प्रत्येक माल पर बाजार में जाने से पहले ही चुंगी वसूल कर लेता है। उसी प्रकार चेम्बर आफ कामर्स की तरफ से एक व्यक्ति मौजूद होता है जो गौशाला अथवा धर्मादा का धन प्रत्येक ट्रान्जेक्शन पर, जितना हिसाब से आता है, वसूल कर लेता है। श्रीमन्, यही नहीं वह व्यापारी अपनी पर्चों का पैसा भुगतान नहीं कर सकता जब तक कि गौशाला का धन गौशाला फंड में जमा कर रसीद प्राप्त न कर ले। इसी प्रकार अगर, श्रीमन्, प्रदेश के प्रत्येक बाजार में एक सरकारी कर्मचारी, किसी साधारण श्रेणी का, जैसे कि अमीन चुंगी का कर्मचारी होता है, रख दिया जाय और वह सायंकाल को बाजार का भुगतान होते समय, दिन भर में उस बाजार में एकत्रित हुई धनराशि पर बिक्री-कर की रकम वसूल कर ले और अगर कोई व्यापारी बिक्री-कर की धनराशि जमा न कर सके तो अगले दिन के लिये उसके काम करने में कोई रुकावट डाल दी जाय तो जितनी भी बाधायें बिक्री-कर के संबंध में हैं वे सब दूर हो सकती हैं और न व्यापारी को कोई आशंका रह जायगी कि उससे

[श्री देवनारायण भारतीय]

कोई पैसा ज्यादा वसूल कर लिया जायगा और सरकार को भी यह आशंका नहीं रहेगी कि व्यापारी ने कोई पैसा अपने पास रख लिया है। तो मैं समझता हूं कि सरकार अगर मेरे इस सुझाव पर विचार करेगी तो प्रत्येक मंडी में एक ऐसा सरकारी कर्मचारी रखने के प्रश्न पर विचार करेगी जो नित्यप्रति होने वाली बिक्री की धनराशि पर प्रत्येक सायंकाल को बिक्री-कर व्यापारियों से वसूल कर लिया करेगा जिस प्रकार कि चुंगी और गौशाला फंड के लिये धन वसूल कर लिया जाता है। जिस प्रकार व्यापारी को चुंगी और गौशाला फंड की रसीद प्राप्त करना जरूरी हो जाता है उसी प्रकार बिक्री-कर की भी रसीद हासिल करना उसके लिये जरूरी हो। ऐसा करने पर, श्रीमन्, मैं समझता हूं कि इस बात की आवश्यकता ही नहीं रहेगी कि असेसिंग आफिसर को किसी प्रकार की सेक्योरिटी डिमांड करने का अवसर प्राप्त हो और जब ऐसा अवसर ही नहीं आयेगा कि वह सेक्योरिटी डिमांड करे तो यह प्रश्न ही नहीं उठता कि वह कैश में हो या काइंड में हो, कितनी हो और कितनी न हो, उसका रिवीजन हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, उसकी अपील हो सकेगी या नहीं हो सकेगी। इसका अवसर ही नहीं आयेगा।

मैं, श्रीमन् के द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां वह असेसिंग आफिसर को यह अधिकार देने जा रही है कि वह चाहे जिस व्यापारी से असंतुष्ट हो जाने पर मनमानी रकम, अपनी बुद्धि के अनुसार उस व्यापारी की हैसियत का अनुमान करके मांग सके, वहां यह भी अन्देशा साथ में है कि अगर वास्तव में उनके अन्दर कोई प्रतिहिंसा की भावना है, किसी स्वार्थ की भावना से वे ऐसा करने के लिये तैयार होते हैं, तो असेसिंग आफिसर निस्सन्देह रूप से उस सिक्योरिटी की रकम को इतना ज्यादा बतलायेंगे जिससे कि उस व्यापारी का काम ही बन्द हो जावेगा। मैं इस अधिकार को देने में इस बात से डरता हूं कि परिणाम इसका यह होगा कि व्यापार को धक्का पहुंचेगा और व्यापार को धक्का पहुंचने से मैं समझता हूं आम जनता को कष्ट पहुंचेगा और कन्ज्यूमर्स को खास तौर पर नुक्सान होगा। मैं इन शब्दों के साथ इस खंड ४ का विरोध करता हूं और सरकार से इस बात की आशा करता हूं कि वह मेरे इन सुझावों पर विचार करेगी।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मुझे खेद है कि इस खंड का विरोध करना मुझे भी आवश्यक प्रतीत हो रहा है। मेरे विचार से जो प्रस्तुत खंड है वह सरकार की मंशा को पूरा नहीं करेगा। सरकार यह चाहती है कि व्यापारियों से जमानत लेकर वह सेल्स टैक्स के इवेजन को रोक सकने में सफल हो और इसके हेतु वह यह भी समझती है कि अगर वह सेल्स टैक्स वसूल करने वाले अधिकारियों को जमानत लेने का अधिकार दे दे तो शायद इवेजन में कुछ कमी हो। इस सम्बन्ध में पहले तो मैं सरकार का ध्यान टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन के वाल्यूम थर्ड की सिफारिशों की तरफ दिलाना चाहता हूं जहां पर कि और तमाम सुझाव टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन ने सेल्स टैक्स इवेजन के सम्बन्ध में दिये हैं वहां पर सिक्योरिटी लिये जाने का सुझाव कहीं पर नहीं दिया गया है।

रजिस्ट्रेशन, श्रीमन्, क्यों होता है। इस सम्बन्ध में भी विचार करना आवश्यक है, क्योंकि इस सिक्योरिटी लिये जाने के सवाल को रजिस्ट्रेशन के सवाल से लिंक कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन जो है यह सेल्स टैक्स इवेजन को रोकने के लिये नहीं किया जाता। रजिस्ट्रेशन तो केवल सिंगिल प्वाइंट टैक्सेशन प्रणाली को सुलभ बनाने के लिये, उसे आसान बनाने के लिये और सेक्टर्स डिटरमिन करने के लिये किया जाता है क्योंकि रजिस्ट्रेशन होने के बाद दो प्रकार के सेक्टर्स व्यापारियों के हो जाते हैं—एक रजिस्टर्ड और एक नान-रजिस्टर्ड। तो रजिस्टर्ड सेक्टर में जब आपस में बिक्री हुआ करती है तो सिंगिल प्वाइंट टैक्स नहीं लगा करता। जब रजिस्टर्ड सेक्टर अन-रजिस्टर्ड सेक्टर को बेचता है तो सेल्स टैक्स उस प्वाइंट पर डिटरमिन होता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अब रजिस्ट्रेशन के साथ अगर सिक्योरिटी को हम लिंक कर देंगे तो पहला परिणाम यह होगा कि रजिस्ट्रेशन होने में विलम्ब होगा यानी सिंगिल प्वाइंड सेल्स टैक्स वसूल करने का जो हमारा मंशा है, उसमें दिक्कत होगी। श्रीमन्, आप देखें समय कितना लगेगा। पहले तो असेसिंग अथारिटी यह कनविंस करे कि जिनको रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना है, उनसे सिक्योरिटी भी लेनी है, पहले वह यह फैसला करेंगे। इसके बाद वह सेल्स टैक्स कमिश्नर को लिखेंगे। सेल्स टैक्स कमिश्नर महोदय से राय लेने में भी देरी होगी, क्योंकि प्रदेश भर का मसला है और रिन्यूअल साल भर में एक बार होता है। तो पहला परिणाम इस खंड को विधेयक का अंग बनाने का यह होगा कि रजिस्ट्रेशन करने में देरी हुआ करेगी।

दूसरा परिणाम जो होगा उसको लखनऊ मर्चेंट्स असोसियेशन ने अपने एक प्रस्ताव में बहुत खूबी के साथ स्पष्ट किया है। माननीय वित्त मंत्री का कहना यह है कि डेपुटेशन मर्चेंट्स का उनसे मिला था। मैं नहीं जानता कि कौन-सा डेपुटेशन उनसे मिला। लेकिन मर्चेन्ट्स असोसियेशन का इस सम्बन्ध में प्रस्ताव मेरे पास मौजूद है। लखनऊ मर्चेन्ट्स असोसियेशन के जनरल सेक्रेटरी और प्रेसीडेंट महोदय को सरकार ने अपनी सेल्स टैक्स एडवाइजरी कमेटी में भी रखा है। उनके प्रस्ताव का जो पहला पैरा है उसे मैं पढ़ देना चाहता हूं—

"With reference to the clause no. 4 (6) proposed to be added after clause (5) of Rule 8-A of original Bill, we beg to submit that by such addition there is every likelihood of misuse of powers on the one hand and undue harass ment to the established firms on the other."

यह लखनऊ मर्चेंट्स असोसियेशन की राय इस प्रतिभूति वाले प्राविजन के ऊपर है।

अब इससे कम से कम यह तो स्पष्ट हो गया कि व्यापारियों के जो प्रतिनिधि हैं वह भी इससे यह समझते हैं कि मिसयूज़ आफ पावर होगा और हैरासमेंट होगा। तो इस सम्बन्ध में मैं मांग करूंगा कि वह मर्चेंट्स के प्वाइंट आफ व्यू को अपील के बारे में समझे।

तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि माननीय जगदीशशरण अग्रवाल ने जो बात कही, मैं उससे सहमत हूं। उन्होंने कहा कि मद्रास में इस प्रकार की सिक्योरिटी की व्यवस्था है, लेकिन मद्रास में रजिस्ट्रेशन की बुनियाद पर सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं है। आपने रजिस्ट्रेशन के साथ सिक्योरिटी को लिंक-अप किया है। मेरा कहना यह है कि सारे भारतवर्ष में किसी भी राज्य में, जिसमें कि मद्रास भी शामिल है, आज तक इस प्रकार रजिस्ट्रेशन के साथ सिक्योरिटी को लिंक-अप नहीं किया। और श्रीमन्, आप देखें कि रिवाइजिंग अथारिटी को स्टे आर्डर देने का भी अधिकार नहीं है, इस प्रकार की बात आप इस खंड में पारित करने जा रहे हैं, जब कि आर्डिनरिली यह अधिकार उसको होना चाहिये था। जो प्रतिबन्धात्मक वाक्य बढ़ाये गये हैं उसमें यह भी आवश्यक कर दिया गया है कि पहले व्यापारी जमानत को जमा कर दे, उसके बाद रिवाइजिंग अथारिटी के पास अपील करे। तो इसमें जो कुछ थोड़ी ढील देने की भी चेष्टा की गयी है, थोड़ी बहुत व्यापारियों को राहत देने की बात की गयी है, वह भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि व्यापारी तभी अपील कर सकता है जब वह सारी प्रतिभूति का रुपया जमा कर दे।

तो, श्रीमन्, मुझे इस बात का तो कतई इत्मीनान नहीं है कि वित्त मंत्री जी इसको वापस लेंगे, क्योंकि वह हैं ही नहीं—न वह हैं और न दूसरे अनुसचिव हैं उनके विभाग की ओर से, तो मैं कड़े शब्दों में इस बात की आलोचना करता हूं कि जब कि आज सेल्स टैक्स जैसा महत्वपूर्ण बिल आ रहा है, उनकी और उनके विभाग के अनुसचिव की अनुपस्थिति माफ नहीं की जा सकती। मैं मानता हूं कि रऊफ जाफरी साहब आ गये हैं और मैं विश्वास करता हूं कि वह योग्य आदमी हैं, लेकिन फिर भी वह सारे विभागों का भार वहन नहीं कर सकते और जितनी भी योग्यता से वह करना चाहें, संबंधित विषय के प्रति वह न्याय नहीं कर पायेंगे। तो मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि आप इस प्रकार की व्यवस्था दें जिससे कि कम से

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

कम फाइनैंशियल बिल्स में सरकार लापरवाही न करे और सदन में उनके जिम्मेदार प्रतिनिधि रहा करें।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)--[शिक्षा मंत्री की ओर संकेत करते हुए] बैठे हुए हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--वैसे तो आप भी बैठे हुए हैं। श्रीमन्, आप नियमावली देखेंगे तो मेम्बर इन्चार्ज का मतलब यह है कि जिसको वह पावर दे दें, मुझे भी कह दें तो मैं भी पाइलट कर सकता हूं।

श्री अधिष्ठाता--माननीय नारायणदत्त जी, अध्यक्ष महोदय ने इस सम्बन्ध में पहले ही व्यवस्था दे दी है कि यह ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी है, इस वास्ते आपका आब्जेक्शन तोटेनेबिल है नहीं। यों आप शिकायत कर सकते हैं, उसको हम रोक नहीं सकते।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं प्वाइंट आफ आर्डर नहीं रेज कर रहा हूं, शिकायत ही कर रहा हूं और आप भी कहेंगे कि यह जायज है, क्योंकि यह मनी बिल है और मनी मैटर्स में--, मैं मानता हूं कि गृह मंत्री जी में इतनी योग्यता है कि मुख्य मंत्री का कार्यभार सम्भाल सकते हैं, लेकिन जहां तक वित्त मंत्री का सवाल है, वह अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते।

तो इन शब्दों के साथ, अगर गृह मंत्री जी इसका उत्तरदायित्व लेने के लिये तैयार हैं, मैं उनसे कहूंगा कि वही इतनी कृपा करें और वित्त मंत्री की तरफ से इस खंड को वापस ले लें। क्योंकि उन्होंने उत्तरदायित्व लिया है, इसलिये वापस लेने की कृपा करें।

उद्योग उपमंत्री (श्री रऊफ़ जाफरी)--जनाबवाला, इस बात की कड़ी शिकायत रही कि यहां जवाब देने के लिये कोई मौजूद नहीं है। हाफिज जी मुझे यहां कर गये थे और जहां तक जवाब का ताल्लुक है वह तो हो जायगा यह बहस आज से नहीं बल्कि बहुत दिनों से चल रही है और बहुत से लोग बोल चुके हैं और बहुत सी बातें सामने आ चुकी हैं और माननीय वित्त मंत्री जी भी उन सवालों के ऊपर बोल चुके हैं। इस वक्त जो कहा गया है उसमें यह कहा गया है कि जो अख्तियारात दिये जा रहे हैं वह बहुत ज्यादा हैं और इस बात का डर है कि वह मिसयूज होंगे। मुझे ताज्जुब होता है कि पहले से यह क्यों समझ लिया जाता है कि हर अधिकारी का मंशा होता है और वह हर कायदे कानून को ईमानदारी और ठिकाने से नहीं चलाता है, बल्कि यह समझ लिया जाता है कि अधिकारी हमेशा उसको मिसयूज करने की कोशिश करेगा। यह कोई जरूरी नहीं है। सरकार की यह ख्वाहिश कभी भी नहीं हो सकती है कि व्यापार को खत्म कर दिया जाय। इसमें अधिकारी का भी फायदा है और सरकार का भी फायदा है। जहां तक प्रतिबन्ध का सवाल है....

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)--प्वाइंट आफ आर्डर। श्रीमन्, मैं यह कह रहा हूं कि नौकरों के सम्बन्ध में यह है कि जो उनका अब तक रवैया रहा है वह गलत ही रहा है और उसी का अन्दाज लगा कर हम यह कह रहे हैं...

श्री अधिष्ठाता--माननीय बंशीधर जी, यह कोई आप का प्वाइंट आफ़ आर्डर नहीं है, आप बैठ जाइये।

श्री रऊफ़ जाफरी--मैं यह अर्ज कर रहा था कि सरकार का मकसद यह होता है कि व्यापार बढ़े और सेल्स टैक्स की आमदनी बढ़े। इसलिये अधिकारी भी देखता है कि किसी तरह से आमदनी बढ़े। अगर वह व्यापार को खत्म कर देगा तो आमदनी कहां से बढ़ेगी, इसलिये इसी में सरकार का, अधिकारी का और प्रांत का हित है कि हमारे यहां का व्यापार बढ़े अधिकारियों को ज्यादा डिसक्रीशन इसीलिये दिया जाता है। अगर उनके हाथ बांध दिये जायं

तो नुक्सान हो सकता है, देर हो सकती है, दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिये उनको डिसक्रीशन दिया जाता है कि हर केस को समझ कर वह देख सकें और तय कर सकें। व्यापार बढ़ाने में ही हित होता है। उनके ऊपर कुछ प्रतिबन्ध रखा जाय ताकि डिक्टेटरशिप न हो जाय। इसलिये प्रतिबन्ध रखा गया है कि उनको सेल्स टैक्स कमिश्नर की इजाजत लेनी पड़ेगी।

रिवाइजिंग अथारिटी के लिये भी कहा गया है। एक साहब ने यह सवाल उठाया कि सालों लग जायेंगे, इसलिये ऐसा तरीका रखा जाय कि रिवाइजिंग अथारिटी जल्दी फैसला दे सके तो रूल बनाते वक्त इस पर गौर किया जा सकता है। यह सही है कि अगर मुकद्दमे दो तीन साल तक चलते रहें तो असल मकसद ही खत्म हो जाता है। असल मकसद तो यह है कि टैक्स का जो इवेजन होता है वह न हो। इसके जितने लूपहोल्स हैं वह बन्द किये जायं न कि व्यापार को खत्म करना चाहते हैं। अगर व्यापार खत्म कर देंगे तो सेल्स टैक्स किससे वसूल करेंगे। सिर्फ सवाल यह है कि कानपुर में ४–६ बनिये हैं, मैं नहीं जानता कि यह बनिये कानपुर में ही हैं या और जगह भी हैं। इसीलिये यह लाया जा रहा है जिससे इवेजन रुके और लीकेज न रह सके और जो धनराशि पब्लिक ट्रेजरी में आनी चाहिये वह आये। मुझे इस बात की खुशी है कि जहां तक बिल के प्रिन्सिपिल का ताल्लुक है उसका, जो हमारे व्यापारी वर्ग की तरफ से साहब बोले, उन्होंने भी समर्थन किया और हमारे नारायण दत्त जी तो उसके माफिक हैं ही। उन्हें इस बात का अफसोस रहा कि इसकी मुखालिफ़त करनी पड़ी। उसकी वजह शायद यही है कि जो अधिकारीवर्ग है उसको वे दुश्मन समझते हैं। पुराने जमाने में तो यकीनन ऐसी बात थी लेकिन अब वक्त बदल गया है। फिर भी उसका असर दिमागों पर है जिस की वजह से हर मौके पर इस बात का शुबहा किया जाता है कि अधिकारी वर्ग पब्लिक और देश के हित के खिलाफ हैं।]

हैरेसमेंट के रोकने के सिलसिले में जो सुझाव यहां दिये गये हैं उन पर रूल्स बनाते वक्त जरूर खयाल किया जायगा।

**श्री नारायणदत्त तिवारी**—पर्सनल एक्सप्लेनेशन के तौर पर मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैंने कुछ ऐसा कहा कि मैं अधिकारियों को दुश्मन मानता हूं, लेकिन मैंने अपने भाषण में कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया।

**श्री रऊफ़ जाफरी**—मैंने यह कहा था कि दिमागों पर असर है।

**श्री नारायणदत्त तिवारी**—वह असर आप के दिमाग पर होगा।

**श्री रऊफ़ जाफरी**—ठीक है, लेकिन मैं तो उस को अपने दिमाग से निकाल रहा हूं।

**श्री अधिष्ठाता**—प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग बने।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## खंड ५

५—मूल अधिनियम की धारा १८ में (१) शब्द "व्यापार बन्द होने वाले महीने की समाप्ति के तीस दिन के भीतर" के स्थान पर शब्द "ऐसे व्यापार के बन्द होने के पन्द्रह दिन के भीतर" रख दिये जायं। संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या १५, १९४८ की धारा १८ का संशोधन।

(२) उपधारा (१) के अधीन वर्तमान "स्पष्टीकरण" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"स्पष्टीकरण—किसी व्यापारिक संस्था अथवा व्यक्तियों के संघ का विघटन अथवा पुनर्संगठन अथवा संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब का विभाजन अथवा किसी व्यापारी द्वारा अपने व्यापार का हस्तान्तरण इस उपधारा के अर्थ में व्यापार का बन्द करना माना जायगा।"

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग बने।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५७

संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० को कुछ प्रयोजनों के निमित्त संशोधित करने का

विधेयक

यह इष्टकर है कि यहां पर आगे चल कर प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के निमित्त संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० को संशोधित किया जाय:--

अतएव भारतीय गणतंत्र के आठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ।

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, १९५७ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ की (जिसे यहां पर आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) धारा ५ द्वारा किये गये संशोधन, इस अधिनियम के प्रचलित होने के पहले वाले किसी भी वर्ष के निमित्त कर-निर्धारण के सम्बन्ध में भी लागू होंगे चाहे ऐसे कर-निर्धारण किसी भी स्तर पर पूर्ण हो गये थे या पूर्ण हो गये हैं अथवा नहीं पूर्ण हो गये थे या नहीं पूर्ण हो गये हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १ के उपखंड (२) के प्रतिबन्धात्मक वाक्य की द्वितीय पंक्ति में शब्द "की" हटा दिया जाय तथा उसी पंक्ति में शब्द "धारा ५" के पूर्व शब्द "में" रख दिया जाय।

यह संशोधन शाब्दिक है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे, क्योंकि इसे पेश कर के मैं उन की मदद ही कर रहा हूं।

श्री रऊफ़ जाफरी--आप की मदद का शुक्रिया कि आप ने पेश कर दिया। मैं इसे मंजूर करता हूं।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड १ के उपखंड (२) के प्रतिबन्धात्मक वाक्य की द्वितीय पंक्ति में शब्द "की" हटा दिया जाय तथा उसी पंक्ति में शब्द "धारा ५" के पूर्व शब्द "में" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग बनें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रऊफ़ जाफरी--जनाबवाला, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५७, जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

*श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--श्रीमान् अधिष्ठाता महोदय, मैं इस बिल के तृतीय वाचन पर इस सारे बिल का विरोध करता हूं। यह बिल जिस रूप में हमारे सामने आया, यद्यपि उसको सेलेक्ट कमेटी ने बहुत ही विचार करके प्रस्तुत किया किन्तु यहां के भाषणों से हम इस नतीजे पर पहुंचे कि उसकी जो दो मूल धारायें थीं, जिनकी निस्बत विरोधी दल की तरफ से अनेक शंकायें रखी गयीं उनके निवारणार्थ सरकार ने किसी भी प्वाइंट को स्वीकार नहीं किया और अंततः दफा ४ में जो सेक्योरिटी के बारे में अनेक प्रकार से कहा गया उसको भी सरकार ने स्वीकार न करके, इस बिल का जैसा स्वरूप था, वैसा ही कायम रखा। अतः मेरा कर्त्तव्य है कि मैं इसका विरोध करूं।

मैं, श्रीमन्, इस बात को स्पष्ट रख देना चाहता हूं मैं जिस व्यापारिक श्रेणी के लोगों से मिला, उनका मंतव्य मैंने जाना। उन सबसे मुझे यही पता चला कि सरकार अपने टैक्सेज के लिये बहुत सतर्क रहना चाहती है। यह उचित है और उसे रहना चाहिये। टैक्सेज का इवेजन उचित नहीं माना जा सकता, किन्तु जो सरकारी कर्मचारियों का व्यवहार है और न केवल व्यवहार बल्कि जो उनका हैरेसमेंट है उसको देखते हुए हमें बराबर यह शंका पैदा होती है कि इस प्रकार का अधिकार देना हमेशा के लिये, हमारे अपने अधिकारों को कुंठित कर देना है। मुझे तजुर्बा है कि जिस प्रकार से ये छोटे-छोटे असेसर्स देहातों में फिरा करते हैं और कैसे अनपढ़े व्यापारियों पर कर देने के लिये नोटिस जारी कर दिया करते हैं। अपनी तरफ से ही वह उनका असेसमेंट कर देते हैं। उन छोटे व्यापारियों की आमदनी कभी भी टैक्सेबिल लिमिट तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन चूंकि उन्होंने अपना हिसाब समय से पेश नहीं किया इसलिये अधिकारी उन्हें अपनी दफाओं में ले आते हैं और किस तरह से फिर उनका हैरेसमेंट होता है, इसे हमने और आपने देखा है। यह कह देना दूसरी बात है कि आप कभी सरकार पर विश्वास नहीं कर सकते, किन्तु क्या सरकार ने कभी इस बात को जानने की कोशिश की है कि उसके कर्मचारी कितना हैरेसमेंट कर रहे हैं। छोटे व्यापारियों को, शिक्षा के अभाव के कारण, कानून की पेचीदगियों को न समझ पाने के कारण, समय पर असेसिंग अफसरों के पास न पहुंच पाने के कारण तथा कानून को ठीक तौर पर न समझ पाने के कारण, बड़ी परेशानी होती है। उनके पास कोई साधन नहीं है कि वह अपने बिक्री सिस्टम को उचित रूप से रख सकें।

इसके साथ-साथ शहर के बड़े व्यापरियों की बात भी है। उनमें जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। बड़े-बड़े व्यापारी सचमुच ही इस टैक्स के इवेजन में कामयाब हो रहे हैं। मैं इसको बहुत स्पष्ट रूप से रखना चाहता हूं और एक चैलेन्ज के रूप में कहना चाहता हूं कि बड़े-बड़े व्यापारी टैक्सेज से अब भी बच रहे हैं और यद्यपि आप सोचते हैं कि सेक्योरिटी के द्वारा हम इस काम में कामयाब नहीं हो सकेंगे, आप समझते हैं कि हम रिवीजन में लाकर इस काम को पूरा कर लेंगे। लेकिन यह बात भी एक हैरेसमेंट के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। मैंने अग्रवाल जी के मुंह से इस बात को बड़े गौर से सुना कि रिवाईजिंग अथारिटी के सामने २, २ हजार केसेज मौजूद हैं और उनके फैसले नहीं हो पाते हैं, बरसों लग जाते हैं। क्या इस प्रकार से सेक्योरिटी मांग कर, उनका तस्फिया करने की बात रख कर, आप जस्टिस कर रहे हैं? होना तो यह चाहिये कि पहले आप पूरी तरह से पता लगा लें कि क्या असेसमेंट होना चाहिये, उसका व्यापार कैसा है, कैसी उसकी स्थिति है, आदि और तब बाद में आप सेक्योरिटी तलब करें। मनमाने तौर पर सेक्योरिटी तलब करने में उनका सारा समय मुकदमेबाजी में ही लग जायगा। आज जनता का लाखों रुपया इस मुकदमेबाजी में व्यय होता है। एक तरफ तो व्यापारी टैक्स को इवेड करना चाहते हैं और दूसरी ओर कर्मचारी असेसमेंट के रूप में, सेक्योरिटी के रूप में उन पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

टैक्स लाद कर उनको परेशान करना चाहते हैं और इसमें जनता का लाखों रुपया खर्च होता है। इस बिल के लाने से मुझे कोई लाभ नहीं दिखाई पड़ता बल्कि हानि ही देख पड़ती है। अच्छा तो यह होता कि बिक्री-कर की उन दिक्कतों को सामने रख कर इसमें सुधार किये जाते जिससे उन छोटे-छोटे व्यापारियों को राहत मिलती जो सचमुच पीड़ित हैं और जिनको जिन्दगी बसर करने में कठिनाई हो रही है लेकिन वह न करके यह छोटा-सा बिल लाया गया है जिसमें दो ही बातें रखी गयी हैं और इस छोटे से बिल को पास करने के लिये इस हाउस का ३ महीने का समय लगाया गया है। इसके लिये सेलेक्ट कमेटी बैठी और उसमें विचार किया गया लेकिन फिर भी इस बिक्री-कर से, जो कष्ट लोगों को उत्पन्न हो गये हैं, उनका दूर होना मुझे सम्भव नहीं दिखाई पड़ता है। इसलिये इस बिक्री-कर का पूर्णरूप से विरोध करने में मुझे खुशी है।

*श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)--श्रीमान् अधिष्ठाता महोदय, मैं इस बिक्री-कर के सम्पूर्ण बिल का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अब से कुछ दिन पहले यह बिल इसी सदन में आया था और इसका बहुत सख्त विरोध इस सदन में किया गया था। उसके बाद यह प्रवर समिति को भेजा गया। आशा तो यह थी कि प्रवर समिति से कुछ ऐसे संशोधन होकर आयेंगे जिनसे छोटे-छोटे दूकानदार, जिनकी जिन्दगी और उनके बच्चों का पालन-पोषण इसी पर मुनहसर करता है, उनके लिये इस बिल में कुछ राहत होगी, परन्तु मैं यह देख रहा हूं, बल्कि मैं ही नहीं, सारे राज्य की जनता इस चीज को देख रही है कि जिस कदर इस बिक्री-कर के विधेयक में बार-बार संशोधन होते जाते हैं उस कदर हमारे राज्य में छोटे-छोटे दुकानदार पिसते चले जाते हैं और रोजबरोज यह कानून सख्त होता जाता है। अभी मैं बिक्री-कर ऐक्ट को देख रहा था। मैंने उसमें यह देखा कि जिसको कर मुक्त कर दिया जाता है उसके लिये भी यह जरूरी है कि वह एक ऐसा नक्शा पेश करे जिस नक्शे के लिये उसको कर देने से कई गुणा रुपया नक्शा बनाने वाले को देना पड़ेगा। मैं आपके द्वारा सदन से यह कहना चाहता हूं कि अप्रैल सन् १९५६ में पहले यह विधेयक लागू किया गया। इस सदन में हालांकि मैं उस समय नहीं था। मगर इसका प्रभाव जो बाहर पड़ा था वह बहुत भयानक प्रभाव पड़ा था। उसके सम्बन्ध में इससे पहले मैं इस सदन में कुछ अर्ज कर चुका हूं और आज मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अप्रैल, सन् ५६ में जब यह विधेयक पास हुआ इस सदन में उसका प्रभाव क्या पड़ा और उसका क्या नतीजा हुआ। उसका नतीजा यह हुआ कि वे छोटे-छोटे दूकानदार जो एक छोटे से ठेले पर कुछ हौजरी का सामान और कुछ बिसातखाने का सामान लेकर सड़कों पर बेचा करते थे और उससे अपने बच्चों का पालन-पोषण किया करते थे और पढ़ाने-लिखाने का इन्तजाम मुश्किल से कर पाते थे, श्रीमन्, यह विधेयक अप्रैल ५६ में जब लागू किया गया, उस वक्त से उन दूकानदारों की और उन छोटे व्यवसाय करने वालों की क्या हालत हुई है? उन्होंने अपने ठेलों को बेच दिया। ठेला कहीं बिका, पहिये कहीं बिके और उनकी सारी दुकान अस्तव्यस्त हो गयी है। उनमें से कोई रिक्शा चलाता है तो कोई मजदूरी करने लगा और कोई नौकरी करने लगा। उनकी वही हालत हुई है जो एक हारे हुए राजनीतिक की होती है। मैं आपको बताता हूं कि एक दुकानदार जो १०० रुपया कर्ज लेकर रोजमर्रा उसका ब्याज अदा करता था वह मुश्किल से महीने भर में ५० रुपया पैदा कर पाता था। लेकिन जब से यह बिल अप्रैल से लागू किया गया उनका रोजगार भी खत्म हो गया है। और जब उन पर वह टैक्स बकाया हो गया और उसका नोटिस आया तो उनके सामने कोई चारा नहीं था कि टैक्स देते या कोई एक्सप्लेनेशन देते सिवाय इसके कि रात को दुकान बन्द करके तर्कसकूनत कर गये। जब अगले दिन मालिक दूकान ने दूकान खोली तो उसके अन्दर १०, २० या ५० रुपये का सामान निकला।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जैसा जुल्म इस ५६ के बिक्री-कर ऐक्ट ने किया वैसा तो शायद जजिया कर ने भी नहीं किया था। अप्रैल ५६ में जो कानून लागू हुआ और सन् ५७ में उसकी पुनरावृत्ति हुई जबकि हम नये सदन में आये, तो प्रदेश की जनता उसे देख कर कांप उठी और उसे पुराने सन् ५७ की भयानक याद आ गई। इसी सदन में उस दिन गेंदासिंह जी ने कहा था कि जितना सेल्स टैक्स का कानून सख्त होता जाता है उतने ही हमारे प्रदेश के छोटे-छोटे दूकानदार पिसते चले जाते हैं। उनमें आपके सेल्स टैक्स की चोरी करने की क्षमता नहीं है। उनके पास मुनीम नहीं है, कलमदवात नहीं है और उंगलियों पर हिसाब लगा लेते थे और शाम को २० रुपये की पूंजी पर २ रुपये का मुनाफा ले जाकर अपने बाल-बच्चों का पेट पालते थे। परन्तु अब साल में ६०० रुपये का मुनीम उनके लिये रखना जरूरी है जो उनकी हैसियत से बाहर है। जो कायदे सेल्सटैक्स के बनाये जा रहे हैं उससे छोटे-छोटे दूकानदार जिनकी संख्या ७५ फीसदी है पिसते चले जा रहे हैं। कानपुर में तो बड़े-बड़े मिलओनर और आढ़तिये हैं जो काफी लवाजमा रख सकते हैं और बड़े-बड़े मुनीम भी उनके पास हैं। वे चोरी भी कर सकते हैं।

मैं इस बिल का सम्पूर्ण विरोध इन शब्दों के साथ करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि छोटे-छोटे दूकानदारों की रक्षा के लिये इसे मुलायम बनाया जाय। हमारी सरकार गरीबों की नुमाइन्दा अपने को कहती है, इसलिये सरकार को उनका खयाल रखना चाहिये।

श्री रऊफ जाफरी—जनाबवाला, मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५७, जैसा कि वह सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इस समय १ बज कर १६ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २२ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री नेकराम शर्मा, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

## अपराध निरोधक समिति की केन्द्रीय कमेटी के ४ सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम

श्री अधिष्ठाता—मैं सदन को एक सूचना देना चाहता हूं—

"अपराध निरोधक समिति की केन्द्रीय कमेटी के ४ सदस्यों के निर्वाचन के लिये निम्नलिखित कार्यक्रम रखा गया है:—

| | |
|---|---|
| नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति | १३ सितम्बर, १९५७ के सायंकाल ४ बजे तक। |
| सूक्ष्म परीक्षा | १३ सितम्बर, १९५७ के सायंकाल साढ़े चार बजे सचिव, विधान सभा के कमरे में। |
| नामों की वापसी | १७ सितम्बर, १९५७ के सायंकाल ५ बजे तक। |
| निर्वाचन (यदि आवश्यक हो) | १९ सितम्बर, १९५७ के ११ बजे से ३ बजे दिन तक विधान वाचनालय में।" |

यह निर्वाचन बहुमतानुसार होगा।

## *राज्य शिक्षा सैनिक दल विधेयक, १९५७

शिक्षा मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्य शिक्षा सैनिक दल विधेयक, १९५७ पर विचार किया जाय।

---

*१९ जुलाई, १९५७ की कार्यवाही में छपा है।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—प्वाइंट आफ आर्डर, सर। श्रीमन्, मैं आप का ध्यान इस विधेयक में प्रयुक्त शब्द कम्पलसरी मिलिटरी एजूकेशन, जो इसकी परिभाषा और उद्देश्य और कारणों में भी इस्तेमाल हुए हैं, की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरा विचार है कि मिलिटरी ट्रेनिंग और खास तौर से कम्पलसरी मिलिटरी ट्रेनिंग का जो सबजेक्ट है उसका संबंध सेंटर से है। इसलिये यह विधान के विपरीत जाता है। इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान आर्टिकिल २४६, शेड्यूल ७ की लिस्ट नंबर १—यूनियन लिस्ट की ओर दिलाना चाहता हूं। इसमें पहले ही नंबर पर इस प्रकार दिया हुआ है—

"Defence of India and every part thereof including preparation for defence and all such acts as may be conducive in times of war to its prosecution and after its termination to effective demobilisation."

यह तालीम के संबंध में भी है। मेरा खयाल है कि फिजिकल एजूकेशन तो हमारी स्टेट दे सकती है, लेकिन कम्पलसरी मिलिटरी एजूकेशन देने की व्यवस्था करना हमारे अधिकारक्षेत्र से बाहर है क्योंकि वह न तो राज्य सूची में आता है और न कानकरेंट लिस्ट में ही आता है। क्योंकि हमारे विधान के सिद्धान्त के अनुसार नहीं है इसलिये मुझे भय है कि यह हमारी क्षमता और अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीज है। अगर मिलिटरी ट्रेनिंग न हो कर फिजिकल ट्रेनिंग का बिल होता तो मुझे कोई आपत्ति न होती क्योंकि इस विधेयक के सिद्धान्त से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं आप की व्यवस्था चाहता हूं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, मैं ऐसा समझता हूं कि नारायणदत्त जी ने यह प्वाइंट आफ आर्डर उठा कर प्रदेश का हित नहीं किया है। यह एक ऐसी शिक्षा है जो दस वर्षों से चल रही है। स्वयं सेंटर ने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं की और इस समय यह जो बिल बनाया जा रहा है उसमें भी शुद्ध मिलिटिरी ट्रेनिंग की कोई बात नही है, जैसा कि इसके एम्स ऐण्ड आबजेक्ट्स में लिखा हुआ है। इसमें हम बहुत सी ट्रेनिंग दे रहे हैं। अपने इंटरमिडियेट के विद्यार्थियों को जो हम सैनिक प्रशिक्षण देते हैं, उसका क्षेत्र हम व्यापक करना चाहते हैं। यह ट्रेनिंग उस प्रकार की नहीं है जिस प्रकार की ट्रेनिंग देहरादून या पूना में दी जाती है। इंटरमीडियेट के विद्यार्थियों को, सोशल सर्विस में, सामुदायिक संगठनों में, सिंचाई की गूलें बनाने में, सार्वजनिक सेवा करने में, अनुशासन में ले आने में ट्रेनिंग दी जाती है। इसके साथ-साथ जिस प्रकार शारीरिक ड्रिल इत्यादि है वैसी सैनिक शिक्षा भी होती है जिस में कुछ शस्त्रों का उपयोग भी होता है, लेकिन वह मिलिटरी ट्रेनिंग ऐसी कोई चीज नहीं है कि वह कोई कम्पलसरी मिलिटरी ट्रेनिंग हो जिस का आपने जिक्र किया है वह तो बिलकुल केन्द्र के हाथ में है। लेकिन यह बिलकुल एक डिसिप्लिन, लड़कों के चरित्र-निर्माण और उनके व्यक्तित्व के विकास की योजना है जिसमें बहुत सी शिक्षायें दी जाती हैं, जिसमें कुछ शस्त्रास्त्रों का उपयोग भी हो सकता है। तो यह उस परिधि में आता नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं थोड़ा-सा स्पष्टीकरण कर दूं। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अपने शुरू के ही सेंटेंस में एक शब्द का इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि "अन्याय" किया है ..

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैंने शब्द "अन्याय" नहीं कहा था, बल्कि यह कहा था कि ऐसा कहकर कोई इस प्रदेश का "हित" नहीं किया।

श्री नारायणदत्त तिवारी—ठीक है, आपने यह कहा है कि ऐसा कहकर इस प्रदेश का "अहित" किया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कमलापति त्रिपाठी--मैंने "अहित" शब्द नहीं कहा था, बल्कि मैंने यह कहा था कि ऐसा कहकर कोई इस प्रदेश का "हित" नहीं किया।

श्री नारायणदत्त तिवारी--खैर, मैं नहीं समझता कि आपने ऐसा कैसे कह दिया। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि सिद्धान्ततः मैं इसका विरोधी नहीं हूं। अगर आप कम्पलसरी सैनिक ऐजूकेशन देने के अधिकारी हैं तो मैं यह नहीं कहता कि आप उसे न दें, अवश्य दें, लेकिन सवाल तो यह है कि ऐसा विधान आप बना भी सकते हैं या नहीं, क्योंकि बाद में अगर विधान को चुनौती हुई तो पहले ही उसको ठीक कर लेने से अहित नहीं होगा बल्कि इस प्रदेश का हित ही होगा। माननीय मंत्री जी ने और सब बातें तो बतला दीं लेकिन यह नहीं बतलाया कि आया हम इस विधान को बना भी सकते हैं या नहीं। आखिर किस धारा के अनुसार हमको इसे पारित करने का अधिकार है, उसे वे बतलावें।

श्री कमलापति त्रिपाठी--अधिष्ठाता जी, इसमें हस्तक्षेप कहां हो रहा है, कोई धारा ऐसी बतलावें जिससे मालूम पड़े कि इस प्रकार की ट्रेनिंग हम दे नहीं सकते। जो हिन्दी की कापी है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कितनी चीजों की ट्रेनिंग हम देंगे। अगर आप ने बिल में पढ़ा होगा तो उसमें है कि उसके जरिये सोशल सर्विस की भावना पैदा की जायगी, इसके साथ-साथ मिलिटरी ड्रिल और कुछ शस्त्रास्त्रों के प्रयोग की शिक्षा भी दी जायगी। मिलिटरी शिक्षा यहां पर १० वर्ष से चल रही है, कभी कोई आपत्ति अब तक नहीं हुई है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, आर्टिकल २४८ की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं:

"248. (1) Parliament has exclusive power to make any law with respect to any matter not enumerated in the Concurrent List or State List."

यानी जिस विषय के सम्बन्ध में कन्करेंट लिस्ट में या स्टेट लिस्ट का कोई ब्योरा न दिया गया हो, उस पर स्टेट को कानून बनाने का अधिकार नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--माननीय नारायणदत्त जी ने एक वैधानिक आपत्ति उठायी है, लेकिन यहां पर विधेयक के शुरू में ही लिखा है "यह इष्टकर है कि स्कूलों के विद्यार्थियों के चरित्र अनुशासन, सौहार्द्र, समाज सेवा की भावना और नेतृत्व की क्षमता को विकसित करने की दृष्टि से विद्यार्थियों के लिये समाज सेवा के साथ ही साथ सैनिक कवायद और आयुध प्रयोग में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय" इसका डिफेंस प्रिपेरेशन से कोई मतलब नहीं है। यहां पर पहले से ही एन० सी० सी० और पी० ई० सी० की शिक्षा विद्यार्थियों को दी जाती है। उनको शस्त्रास्त्रों के उपयोग की भी कुछ शिक्षा दी जाती है। इसलिये मेरी रूलिंग है कि यह वैधानिक आपत्ति इन आर्डर नहीं है।

श्री कमलापति त्रिपाठी--मान्यवर, मैं कृतज्ञ हूं कि आप ने यह अनुमति दे दी कि मैं इस विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव आदरणीय सदन के सम्मुख रख सकूं। यह विधेयक अपने प्रदेश की दृष्टि से एक बड़ा महत्व रखता है। हमारे यहां सन् १९३७ और ३८ में जब एक निर्वाचित सरकार की स्थापना हुई तब यह विचार किया गया था कि अपने यहां विद्यार्थियों में अनुशासन, मिलकर काम करने की प्रवृत्ति और शरीर की पुष्टि तथा समाज सेवा की भावना को जागृत करने के लिये अपनी साधारण शिक्षा के साथ-साथ इस प्रकार की शिक्षा दी जाय जिसमें उनकी प्रवृत्तियां इस ओर हों और उनके चरित्र का विकास हो और उनमें सामुदायिक सेवा की भावना भी जागे, पर उस वक्त अधिक समय नहीं मिला। तत्कालीन लोक निर्वाचित सरकार के लिये महायुद्ध छिड़ने के कारण इस्तीफा देना पड़ा और उसकी यह योजना रह गयी। उसके उपरान्त सन् ४६ में फिर इस प्रदेश में

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

जनता की सरकार बनी और उस वक्त से इस बात पर विचार किया जाने लगा कि अपने यहां ११ और १२ कक्षा के लड़कों में कुछ इस तरह की शिक्षा का समावेश किया जाय जिस में सैनिक कवायद हो और कुछ शस्त्रों का भी उपयोग करना सिखाया जाय और उनमें अनुशासन, सौहार्द्र, समाज सेवा की भावना और नेतृत्व की क्षमता का प्रादुर्भाव हो।

यह स्कीम सन् ४७ से चालू हुई जिसको कि पी० ई० सी० के नाम से पुकारा जाता है। तो यह प्रादेशिक ऐजूकेशनल कोड की योजना सन् ४८ से बराबर चालू है। सन् ४७ में ही सोशल सर्विस ट्रेनिंग की भी एक स्कीम चालू थी, सन् ५३ में सन् ४७ से चलने वाली दोनों स्कीमें एक कर दी गईं। आज हमारे प्रदेश के प्रायः ५१ जिलों में जो हेडक्वार्टर्स पर हमारे इंटरमीडियेट कालेज हैं उनमें यह योजना लागू है। उसके बाद फिजिकल ट्रेनिंग की स्कीम भी चलाई गई। इस प्रकार सोशल सर्विस ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग और मिलिटरी कवायद और ड्रिल सब मिलाकर शिक्षा की पद्धति और क्रम में एक नये प्रकार का समावेश किया गया जो आज प्रायः ८–९ वर्ष से हमारे प्रदेश में चल रहा है।

जैसा मैंने अभी कहा कि आज प्रदेश के ५१ जिलों में जहां हेडक्वार्टर्स हैं वहां इस प्रकार की शिक्षा का विस्तार होगया है। माननीय सदस्य यह भी जानते हैं कि भारत सरकार की ओर से भी एन० सी० सी० की ट्रेनिंग होती है, उनके जूनियर और सीनियर सेक्शन्स हैं, पहला नवीं और दसवीं क्लास के लिये और फिर यूनिवर्सिटी सेक्शन के लिये, एक नया विंग उन्होंने सातवें आठवें के लिये और चालू किया था, लेकिन पी० ई० सी० की ट्रेनिंग जो ११ और १२ क्लास के लिये चलती है वह तब से बराबर चल रही है। अब तक हमारे पास कोई ऐसा विधान नहीं था जिसके द्वारा हम इसे विधि का स्वरूप देते और इसके विस्तार के लिये कोई नियम बनाते, जिन लोगों को शिक्षक के रूप में नियुक्त करें उनके लिये नियम बनाते और जिन विद्यार्थियों को यह शिक्षा दी जाती उनके ऊपर भी अनुशासन सम्बन्धी कोई नियम बनाते, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। गत वर्ष हमें इस पर विचार करने का अवसर नहीं मिला, लेकिन इधर पिछले एक दो मास से हमने इस पर विचार किया और उसके फलस्वरूप यह विधेयक सदन के विचारार्थ उपस्थित किया गया। अपनी ओर से चेष्टा यह है कि हम धीरे-धीरे इस का विस्तार अपने सारे देश में करें क्योंकि मेरी ऐसी धारणा है कि आज हमारा जो किशोरों का वर्ग है युवक तो न कहें, पर बच्चे भी नहीं हैं, किशोरों का जो वर्ग है वह उनके जीवन का ऐसा अनमोल समय है जब उनके जीवन में ऐसी प्रवृत्तियों का विकास और समावेश करना कदाचित देश के लिये और उनके भविष्य के लिये अच्छा होगा जो एक सभ्य और सुसंगठित समाज के लिये, व्यक्तित्व के विकास के लिये और जन सेवा के लिये आवश्यक होते हैं।

कभी-कभी विद्यार्थियों में अनुशासन की कमी इत्यादि का भी उल्लेख किया जाता है और शरीर तथा मन की पुष्टता की आवश्यकता भी बतायी जाती है। यह एक सही बात है कि पुष्ट शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है और मस्तिष्क की पुष्टता और दृढ़ता के लिये स्वास्थ्य का अच्छा होना आवश्यक है, क्योंकि "नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः" यह तो हमारे देश का पुराना सिद्धान्त है कि जो बलहीन हो, जिस का स्वास्थ्य दुर्बल हो, वह अपने को ही प्राप्त नहीं कर सकता, दुनिया में और क्या प्राप्त कर पायेगा। तो शरीर की सुदृढ़ता की दृष्टि से भी, बुद्धि के परिष्कार और प्रबलता की भी दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, जो हमारे नागरिक होने वाले हैं, खास कर हमारे नौजवान, उनमें नागरिकता का भाव उत्पन्न करने की दृष्टि से, अपने सम्मान व देश के सम्मान तथा उसके गर्व की रक्षा की योग्यता प्रदान करने की दृष्टि से और अनुशासन तथा चरित्र की दृष्टि से सारी बातों को देखें तो यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जो शिक्षा की पद्धति और क्रम हमारा चल रहा है उसमें कुछ ऐसे विषय का समावेश हो। उस दृष्टि से यह नीति हमारी परिचालित

रही है और उसको वैधानिक स्वरूप भी दे दें जिस से उसका संचालन और नियंत्रण और अधिक सुचारु रूप से और आयोजित ढंग से हो सके। अपने इस बिल को ले आने का यह लक्ष्य है।

मेरी ऐसी धारणा है कि हमारे देश के बालकों में और युवकों में अनुशासन इत्यादि की कोई कमी नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं कि उनमें बुद्धि की प्रखरता है, ऊंचे आदर्शों के लिये अपने जीवन की बलि चढ़ाने की भावना है और इसका प्रमाण इस देश के युवकों ने भी और बच्चों ने भी और किशोरों ने भी एकाधिक बार दिया है। आज ऐसे युग में जब देश एक संक्रमण काल से यात्रा कर रहा हो और जब संक्रमण का ऐसा युग हो जब पुरानी व्यवस्थाएं टूट रही हों, पुराने मूल्य जो रहे हैं इस जीवन के आँकने के उनके प्रति अनास्था और संदेह उत्पन्न हुआ हो, नये आदर्शों और नये मूल्यों और नयी भावनाओं को हम अपने सम्मुख प्रतिष्ठित करने की चेष्टा कर रहे हों, और जीवन को नापने के लिये जो मान्य दंडों की स्थापना होती है, उनकी नयी रचना हो रही हो, सारे देश के जीवन के, दृष्टि के और समाज के स्वरूप के परिवर्तन की चेष्टा हो रही हो तो उस समय कुछ मन की स्थिरता, स्वाभाविक बात है। जब पुराने मूल्यों को चुनौती दी जाती है, तब आवश्यक होता है विकास के लिये, तब इस प्रकार की मन की स्थिरता होना एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है जिसके सम्बन्ध में विशेष तर्क उपस्थित करने की आवश्यकता नहीं है। तो आज उन सारी चीजों का, जैसा हमारा समाज है, आर्थिक स्थिति हो गयी है, जैसी हमारी सैकड़ों वर्षों की गुलामी का विलोप हुआ है और स्वाधीनता और स्वतंत्रता प्राप्त हुई है--किस प्रकार जीवन में हम उससे सामञ्जस्य स्थापित कर सकें, इन तमाम बातों को आप देखें तो ऐसा लगेगा कि उनका प्रभाव हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन पर है। इस कारण कुछ उनमें यदि किसी प्रकार कभी कोई त्रुटि या कमी दिखायी दे जाती हो तो उससे यह अर्थ नहीं लगाना चाहिये, मेरी दृष्टि में, कि कोई वस्तुतः अनुशासन की या चरित्र सम्बन्धी हमारे युवकों में कमी है। हां, यह अवश्य है कि संक्रमणकाल में बड़ी सावधानी से इन संस्कारों और पद्धतियों का निर्माण करना चाहिये जिस का जीवन पर असर हो।

मैं समझता हूं अब वह युग है कि जब सामुदायिक भाव, सामूहिक इच्छा और यह भावना कि एक साथ मिल कर के हम काम कर सकते हैं और करना चाहिये और व्यक्ति समाज के लिये और समाज व्यक्ति के लिये है, इस प्रकार की प्रवृत्ति को उत्पन्न करना और अनुशासन इस दृष्टि से उत्पन्न करना कि इन आदर्शों की ओर जीवन अभिप्रेत हो सके ऐसे संस्कारों को जीवन के ऊपर डालना आवश्यक है जो इस दिशा में हमारी सहायता कर सकें। शिक्षा एक ऐसा विषय है जिसे आप मौलिक कह सकते हो, जीवन पर संस्कार डालने के लिये तथा सुसंस्कृति बनाने के लिये आवश्यक है। बचपन में यदि अनुशासन की शिक्षा आप दे दें, चरित्र निर्माण आप कर दें, ऐसे तत्वों का संचय उसकी प्रवृत्ति और जीवन में करदें जिन पर कैरेक्टर बनते हैं और ऐसी आदतें और भावना उसमें जगावें जिसमें व्यक्ति समाज की सेवा के लिये, सामुदायिक रूप से अपने समय और शक्ति का उपयोग करने की इच्छा से प्रेरित हो तो फिर भविष्य में वैसा ही जीवन ढल जाता है और उसी प्रकार के मानव का हम निर्माण कर लेते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा समझता हूं।

मैंने बजट के समय इस बात को कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि आज अपने देश की शिक्षा के क्रम में, इसका कोई बहुत सम्बन्ध इस से नहीं है, पर आपकी आज्ञा से निवेदन करना चाहता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि अपने देश की शिक्षा के क्रम में एक, दो बातों का समावेश आवश्यक है और जिसमें एक विषय वह है जिससे इस बिल का सम्बन्ध है। एक साथ मिलकर के काम करने की, एक आदेश और अनुशासन के अनुसार संचालित होने की आदत डालने की आज बहुत बड़ी आवश्यकता है, शरीर और मन को पुष्ट करते हुये समाज की सेवा की भावना को जगाने, समाज की सेवा के लिये नेतृत्व की क्षमता उत्पन्न करने की अनिवार्यतः आवश्यकता है और इस कार्य में इस प्रकार की शिक्षा की योजना अपनी साधारण शिक्षा के साथ-साथ, जैसी इस प्रदेश में चलती रही है, सहायक सिद्ध होगी। यह बिल उसी लक्ष्य से आया है।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि हमारे यहां एन० सी० सी० है। यह सही बात है, भारत सरकार की एक इसी प्रकार की योजना एन० सी० सी० के नाम से प्रदेश में चलती है, लेकिन जब एन० सी० सी० आरम्भ हुई उससे कई वर्ष पूर्व प्रदेश में हमारी पी० ई० सी० की योजना शुरू हो गयी थी। उसके बहुत वर्षों बाद एन० सी० सी० की योजना आयी और प्रसार हुआ। वह अच्छी है। भारत सरकार कर रही है, उधर ९वें, १० वें दर्जे में और इधर विश्वविद्यालय में। पहली जूनियर सेक्शन में आती है और दूसरी यूनिवर्सिटी के सीनियर सेक्शन में।

अभी हाल में ए० सी० सी० भी शुरू की थी, आग्जीलरी कैडेट कोर छोटे-छोटे बच्चों, सातवें आठवें के विद्यार्थियों, के लिये और विद्यार्थियों ही नहीं उस उम्र के और भी बच्चों को कुछ इसी प्रकार की शिक्षा की योजना थी कि वह मिलजुल कर काम कर सकें, उनमें अनुशासन और आदेश पालन का भाव उत्पन्न हो, उसकी आदत पड़े और शरीर से भी पुष्ट हों, हिम्मत भी उनमें हो। चरित्र का इस प्रकार निर्माण हो कि वह देश की सेवा में तो अग्रसर रहें ही खतरे का भी मुकाबला करने में अपनी धीरता और विश्वास को न खोयें, उनमें आत्मविश्वास जागे, इस प्रकार की भावना से ए० सी० सी० की भी शिक्षा चल रही थी। पर हमारी एक तो यह योजना बहुत पहले से चली आ रही है और दूसरे मैं ऐसा देखता हूं कि हमारे लिये इसका विस्तार करना सम्भव है क्योंकि आज ५१ जिलों में हम इस का विस्तार कर चुके हैं, हेडक्वार्टर्स पर ही सही, तो और स्थानों पर भी इस का विस्तार हम कदाचित आगे चल कर के कर सकेंगे क्योंकि हमारी यह पी० ई० सी० की योजना कुछ खर्च की दृष्टि से सस्ती पड़ती है।

एन० सी० सी० उनकी बहुत प्रौढ़ शिक्षा है। उसको मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि एन० सी० सी० पर प्रति विद्यार्थी १५० रुपया खर्च होता है। बड़ी अच्छी उनकी योजना भी है और वह धीरे-धीरे भारत सरकार विस्तृत भी करती जा रही है पर इतना व्यय-साध्य है कि कदाचित उसका बहुत अधिक विस्तार हो सके, अपने प्रदेश में यह शायद बहुत दिनों तक सम्भव न हो।

हमारी जो पी० ई० सी० की योजना चल रही है उसमें कुल पर कैपिटा ऐक्सपेंडीचर २७ रुपया पड़ता है। तो २७ रुपये और १५० रुपये में एक बहुत बड़ा फर्क है इस दृष्टि से कि हम इस प्रकार की शिक्षा का व्यापक प्रचार कर सकें और इस दृष्टि से कि जब एन० सी० सी० की बात सोची भी नहीं गयी थी तब इस पद्धति की कल्पना का हमारे प्रदेश में आविर्भाव हुआ और वह कार्यान्वित की गई और इस दृष्टि से कि आज भी पी० ई० सी० की शिक्षा हम ढ़ाई सौ कालेजज में दे रहे हैं और कैडेट्स की संख्या ५१,४८२ है। एन० सी० सी० को देखें तो उनके जूनियर सेक्शन में ७,०७४ और सीनियर सेक्शन में ६ हजार विद्यार्थी हैं। कुल और खर्च उनका, जैसे मैंने आप से कहा, करीब १५० रुपये प्रति विद्यार्थी पड़ता है।

तो इन तमाम बातों को देखते हुये मैं तो यह समझता हूं और इसी कारण मैंने नारायणदत्त जी से जो न करने की बात कही तो वह और कोई आक्षेप के रूप में नहीं बल्कि इसी विचार से कि बच्चों की इस पी० ई० सी० की योजना के ऊपर हमारा भारत सरकार से दस वर्षों से शास्त्रार्थ चल रहा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—स्टैंडर्ड में कितना फर्क है एन० सी० सी० और पी० ई० सी० के यह भी जरा बतला दें ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अब स्टैंडर्ड की बात तो यह है, मैं यह समझता हूं कि एन० सी० सी० का स्टैंडर्ड जो है उससे मैं तुलना नहीं करना चाहता। वह भारत सरकार की योजना है और हमारे प्रदेश के बच्चों के लिये हमारी योजना चल रही है। मैं यही कह सकता हूं कि बहुत ही उत्तम योजना है और बहुत ही नम्रता के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि उसका स्टैंडर्ड बहुत ही अच्छा है।

श्री अधिष्ठाता—माननीय तिवारी जी, अगर कोई प्रश्न करें तो चेयर की मार्फत ही करें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जी, यह इंटरप्शन मैं आपकी ही इजाजत से कर रहा हूं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—तो हमारा भी एक बहुत छोटा सा कुछ समय पहले से यह प्रयास है कि जब दूसरे स्थानों पर इसकी कल्पना भी नहीं हुई थी। उस प्रयास से इसलिए थोड़ा मोह है और हम देखते हैं कि हमारी कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति भी वह कर रही है। आज सात हजार सीनियर सेक्शन के विद्यार्थी एन० सी० सी० में हैं और ५१ हजार विद्यार्थियों को हमने कवर किया है और इसके अलावा भी हमारी आर्थिक स्थिति जैसी रही उस में कुछ न कुछ विकास होता चला जायगा और यह चीज चली तो थोड़ी बहुत हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती जायगी, इस विचार से खास कर कि दस वर्ष पूर्व से यह चल रही है तो चलने दें।

जैसा निवेदन किया, इस विषय को हम भारत सरकार के ऊपर छोड़ें और हम अपने अधिकारों का उपयोग न करें, यह उचित नहीं है। मेरा तो विश्वास यह है कि इस में किसी प्रकार की बाधा नहीं है।

आप देखेंगे कि पिछले दस वर्षों में कई बार इस बात की चर्चा हुई कि पी० ई० सी० चलाई क्यों, जब एन० सी० सी० चलती है, उसे चलने दें। हमारा सोचना है कि सर्वत्र वह चल सकती है तो चले। हमारे यहां १५००, १६०० इंटरमीडियेट कालेजेज हैं, ५–६ यूनिवर्सिटीज हैं। उसका सर्वत्र प्रसार हो सकता है तो हो। पी० ई० सी० की तो हमारी दूसरी योजना है। एन० सी० सी० में तो एक वर्ग विशेष को उन्होंने ले लिया है। यूनीवर्सिटीज के नवयुवकों और विद्यार्थियों से उसका सम्बन्ध है, लेकिन इंटरमिडियेट क्लासेज में हमारी यह योजना चल रही है। यही लड़के यूनीवर्सिटीज में जाते हैं तो प्रारम्भिक शिक्षण उनमें रहता है और एन० सी० सी० में वे योग्य सिद्ध होते हैं। इन सब बातों को देखते हुये इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया है।

विधेयक में कुछ विशेष बातें नहीं हैं। जैसा कि आप देखेंगे, मैंने आप से निवेदन किया मिलिटरी कवायद, ड्रिल और सोशल सर्विस ट्रेनिंग और फिजिकल ट्रेनिंग इन सबको इंटिग्रेट करके यह स्कीम चल रही है पिछले कई वर्षों से और ५१ जिलों के हेडक्वार्टर्स पर सब जगह यह मौजूद है। आगे जैसा निवेदन किया, मैं सोचता हूं कि तहसील हेडक्वार्टर्स पर इसे ले जांय, देहातों में भी, जैसे-जैसे हमारी कुछ आमदनी हो, कुछ पैसा मिले, इसको हम आगे भी बढ़ा सकें।

इस के साथ-साथ हमारे १७ जिलों में इसके इंस्ट्रक्टर्स हैं और १७ असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर्स हैं। ५१ जिलों में कर देने पर कुछ और इंस्ट्रक्टर्स हमें रखने होंगे और साथ साथ एक डायरेक्टर हैं इस प्रकार के ट्रेनिंग के और हेडक्वार्टर्स पर चीफ इंस्ट्रक्टर हैं और विद्यार्थियों के टीचर्स जो स्कूलों में हैं उनमें से कुछ हमारा काम करते हैं जिनको हम आनरेरिया देते हैं। इस बिल में यही सारी व्यवस्था आपको मिलेगी कि इसकी शिक्षा के क्रम की क्या पद्धति होगी, किस प्रकार उसका विस्तार होगा और जिन को शिक्षा दी जायगी उन पर अनुशासन सम्बन्धी नियम किस प्रकार लागू होंगे? कोई बहुत बड़ा बिल नहीं है, १३-१४ सेक्शंस हैं। मेरे खयाल में करीब-करीब सारी बातों का उसमें समावेश किया गया है। आपकी आज्ञा से मैं इस आदरणीय सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह इस बिल पर विचार करे, सुझाव दे और सहानुभूतिपूर्वक विचार करे ताकि हम आगे कार्य कर सकें।

*श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)---प्वाइंट आफ आर्डर मुझे रेज करना है। माननीय मंत्री महोदय की भाषा और शैली से तो मैं सदैव प्रसन्न रहा हूं और इसमें मैं किसी प्रकार की बाधा नहीं डालना चाहता।

श्री अधिष्ठाता---व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित कीजिए।

श्री अवधेशप्रताप सिंह---वही प्रस्तुत कर रहा हूं मैं श्रीमन्। पूर्व इसके कि इस के ऊपर आप कोई रूलिंग दें मैं आप से अनुरोध करूंगा कि मुझे थोड़ा सा अवकाश दें। ऐसा प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है कि जो इरेलेवेंट हो या सदन का समय खराब हो। कांस्टीट्यूशन का आर्टिकिल १३ (२) पढ़ना चाहता हूं---

"The State shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this Part and any law made in contravention of this clause shall, to the extent of the contravention, be void."

श्रीमन्, यह कांस्टीट्यूशन का आर्टीकिल १३ (२) है। अब मैं आपका ध्यान आर्टीकिल १४ की ओर दिलाना चाहता हूं ---

"The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India."

श्रीमन्, इस आर्टीकिल १३ (२) और १४ के आधार पर मेरी यह आपत्ति है कि यह विधेयक इस सदन में नहीं आ सकता है।

श्रीमन्, अब मैं विधेयक की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस में श्रीमन्, खंड १० है। श्रीमन्, "अधिनियम के अधीन अपराध तथा दण्ड" इस में यह दिया हुआ है कि वह कौन सी चीजें होंगी जो अपराध के स्वरूप में मानी जायंगी और तदोपरान्त उसके लिये यह दिया हुआ है कि क्या-क्या दण्ड हो सकते हैं। मैं सदन का अधिक समय लेना नहीं चाहता हूं और मैं इस को पूरा पढ़ना नहीं चाहता हूं क्योंकि अगर मैं पूरा पढ़ूंगा तो समय अधिक लगेगा और आप भी रुष्ट होंगे। मैं यह बताना चाहता हूं कि खंड १० में जो कुछ अपराध और दंड दिये हुये हैं और यदि आप आज्ञा दें तो सब पढ़ दूं।

श्री अधिष्ठाता---पूरे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अवधेशप्रताप सिंह---तो केवल इस में अपराध और दंड दिये हुये हैं। श्रीमन्, इस दंड के सिलसिले में कुछ ऐसे अपराध हैं कि जिन के लिये जो दण्ड होगा वह समेरिली डिसाइड कर दिया जायगा। फिर कुछ ऐसे दण्ड हैं जो उन अधिकारियों से सम्बन्धित हैं जो खंड ८ (२) के अनुसार नियुक्त होंगे। वह अपराध जो डायरेक्टर आफ मिलिटरी एजूकेशन के पास भेजे जायेंगे।

श्रीमन्, खंड १० (सी) को आप देख सकते हैं सब क्लाज २ (सी) में दिया हुआ है कि कौन से दण्ड दे सकते हैं। उन पर मैं अधिक समय नष्ट करना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक प्रतिबन्ध लगा हुआ है उसको मैं पढ़ देना चाहता हूं:---

"Provided that the punishment referred to in Sub-Caluse (*a*), (*b*) or (*c*) shall not be awarded until the officer against whom the action is proposed has been given a reasonable opportunity of showing cause against it."

श्रीमन्, अफसरों के लिये तो यह है कि जब तक उनको एक अवसर न दिया जाय उनको यह पूरा मौका होना चाहिये वरना यह एक जुडिशियल प्रोसीजर हो जाता है। यह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान भी लिया कि जुडीशियल नहीं है तो जिस समय आपने किसी को मौका दिया "रीजनेबिल अपार्चुनिटी आफ शोइंग काज..." तो आजकल दफा २२६ में यह हाईकोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है और ३२ में सुप्रीमकोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है । यह है उन अधिकारियों के सम्बन्ध में जोकि दफा ८ के अधीन नियुक्त होंगे, लेकिन जहां तक कैडेट का सवाल है उनके लिये सिर्फ यह कहा जा सकता है कि प्रोवाइडेड दैट....

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)—श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—श्रीमन्, पहले मैं दूसरा प्रोविजो पढ़ना चाहता हूं, उसके बाद वह उठावें तो ज्यादा अच्छा है ।

श्री अधिष्ठाता—(श्री जगदीशशरण अग्रवाल से) अच्छा, अभी आप रुक जाइये पढ़ने के बाद रखियेगा ।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—

"Provided that it shall be the duty of the authority awarding the punishments to do so in writing and record the reasons for it."

वह और कुछ नहीं कहते हैं कि कारण लिख दिया जाय और इसके सिवा कुछ नहीं चाहते हैं कि उन कारणों पर जिन पर यह दण्ड दिया जा रहा हो वह केवल "लिख दिया" होना चाहिये और जहां तक अफसरान का ताल्लुक है उस जगह उनको रीजनेबिल अपार्चुनिटी दी जाय कि वह "टु शो काज अगेंस्ट दि ऐक्शन..."

श्री अधिष्ठाता—माननीय अवधेश प्रताप जी, आप जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं आपका प्वाइंट आफ आर्डर क्या है, यह निश्चित बताइये ।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—मैं वही बता रहा हूं । जब तक आप इस पृष्ठभूमि को नहीं देखेंगे तब तक आपको समझने में कठिनाई होगी । अब मैं संक्षेप में यह कहना चाहता हूं कि आर्टिकिल ३२ और आर्टिकल १४ के अनुसार यह विधेयक डिस्क्रिमिनेटरी है, भेद-भाव करता है । चन्द अफसरान के लिये दूसरा प्राविजन रखा हुआ है और कैडेट्स के लिये दूसरा प्राविजन है । यह डिस्क्रिमिनेटरी पीस आफ लेजिस्लेशन है, यह अवैध है, इस विधान सभा में इस पर चर्चा नहीं हो सकती, यह विधेयक 'नलिटी' है और अल्टरावाइरिस आफ दि कांस्टीट्यूशन है—यह मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, इस पर तो फैसला आपको देना होगा । मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि हमारे अवधेश जी बैठे-बैठे इतने बड़े वकील हो गये, यह देख कर मुझको बड़ी प्रसन्नता हुई । लेकिन एक-एक प्वाइन्ट यह सब हम एग्जामिन कर चुके हैं और जितनी बातें आपने कहीं उनका उत्तर भी मंगवाया जा सकता है । वह सारी बातें ला डिपार्टमेन्ट में एग्जामिन की जा चुकी हैं तभी हमने इस विधेयक को प्रस्तुत किया है, इस वजह से जो वैधानिक आपत्तियां आपने उठायी हैं वह लागू नहीं होतीं ।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—मुझे यह कहना है कि इससे पहले यह प्रश्न उठा था कि यह विधेयक वैधानिक है या नहीं, उस पर आपका निर्णय हुआ कि यह बिल्कुल सही है और यह वैध है । तो यह आपका निर्णय हो चुका है, अब मैं समझता हूं कि उस पर एक दूसरे तरीके से फिर ईश्यू को उठाना उचित नहीं होगा, यह मैं आपको बता देना चाहता हूं ।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—मैं आपसे कुछ निवेदन कर दूं....

श्री अधिष्ठाता—नहीं, अब आप बैठ जाइए। आप ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, यहां तो इस विधेयक पर विचार हो रहा है, उस तरह के प्रश्नों का यहां स्थान नहीं है। इसके बाहर कोर्ट हैं और यदि कोई माननीय सदस्य इसके अनौचित्य पर विचार करना चाहें तो उनको अधिकार है, न्यायालय में उस प्रश्न को उठा सकते हैं। इस समय जो विधेयक सदन के सामने है और जिस पर विचार हो रहा है वह इन आर्डर है और उस पर विचार जारी रहेगा।

*श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमान् अधिष्ठाता महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित करता हूं—

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि राज्य शिक्षा सैनिक दल विधेयक, १९५७ विधान मण्डल के दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को उसके विचारार्थ निर्दिष्ट कर दिया जावे जो अपनी रिपोर्ट ३१ अक्तूबर, १९५७ तक उपस्थित करे।"

इस विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द करने का मेरा प्रस्ताव अवश्य है किन्तु मैं इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिये शिक्षा मंत्री को धन्यवाद देता हूं। वे मेरे हृदय से धन्यवाद के पात्र इसलिये हैं कि आज सदन में यह एक शिक्षा सम्बन्धी सुधार प्रस्तावित रूप में दिखाई पड़ा। पिछले पांच वर्षों से जो मैंने आशा लगा रखी थी उसको पुनः स्मरण करते हुये आज इस अवसर पर आपको धन्यवाद देता हूं कि मुझे शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ बोलने का अवसर मिला। पिछले पांच वर्षों में शिक्षा सम्बन्धी अनेक सुधारों की आशा की गयी थी और उस आशा के साथ-साथ कुछ विधेयक भी आये थे, लेकिन जैसे वे आये वैसे ही लौट भी गये। कोई भी शिक्षा सम्बन्धी विधेयक वास्तविक रूप में, सुधारक रूप में पास या लागू न हो सका। किन्तु आज बड़ा सौभाग्य है कि शिक्षा मंत्री की ओर से एक विधेयक सुधार रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है।

श्रीमान् जी, आज मैं शिक्षा सम्बन्धी विषयों को ले कर विद्यार्थी, शिक्षा, शिक्षा सिद्धांत या शिक्षा का लक्ष्य, इन सब की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा और इस कसौटी पर कस कर हम यह देखेंगे कि जो यह प्रथम या सर्वयुक्त सुधार पेश किया गया है सचमुच ही समय और आवश्यकता के अनुसार प्रथम स्थान पाने का पात्र है। हमें यह देखना है कि क्या शिक्षा के सम्बन्ध में सचमुच ही यह सब से योग्य और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला विधेयक है। हमारे शिक्षा मंत्री जी ने अपने प्रारंभिक भाषण में कुछ आवश्यकतायें बतायीं। मैं भी एक अध्यापक की हैसियत से अपने दृष्टिकोण से देखना चाहता हूं कि आवश्यकतायें तो समुद्र के समान हैं लेकिन उनकी निगाह में कौन सी परमावश्यक और शीघ्रता से पेश करने योग्य चीज समझ में आयी। अपने विचार से उनके विभाग ने यह सोचा कि विद्यार्थी लोगों में सैनिक शिक्षा और समाज सेवा की कमी की पूर्ति करने की शिक्षा अगर दे दी जाय तो सारी कमियों की पूर्ति हो जाय। मैं श्रीमन्, आपके द्वारा थोड़ा ध्यान सदन का आकर्षित करना चाहता हूं और यह भी बता देना चाहता हूं कि आज विद्यार्थियों की वास्तविक आवश्यकता क्या है। यह विधेयक उन विद्यार्थियों के सम्बन्ध में है कि जो ११ वीं और १२वीं कक्षा के हैं इसके द्वारा उनका नैतिक स्तर ऊंचा किया जायगा, उन में इसके द्वारा सचरित्रता आयगी, सौहार्द्र आयेगा, उनको अनुशासन की शिक्षा दी जायगी। अगर हम आंकड़ों को देखें तो पता चलेगा कि विद्यार्थियों की तादाद ८७,००० के लगभग है और वे ८०७ स्कूलों में शिक्षा पा रहे हैं, किन्तु उन की जो वास्तविक स्थिति है उसे आप किन्हीं आंकड़ों से प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उस स्थिति का दिग्दर्शन हम को सब से अधिक उनके परीक्षाफल से होता है, जो उनकी साल भर की मेहनत का और शिक्षा विभाग के सारे परिश्रम का फल है। मैं समझता हूं कि मैं कोई नयी बात नहीं कह रहा जब मैं आपका ध्यान आकर्षित करते हुये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कहता हूं कि उनका परीक्षाफल ४२ प्रतिशत है। हमारी शिक्षा में जो कमी परीक्षाफल से दिखाई पड़ती है, मैं समझता हूं कि हमारे शिक्षा मंत्री उस कमी की पूर्ति इस बिल के द्वारा करना चाहते हैं। शायद वह उनमें इस सैनिक शिक्षा द्वारा सौहार्द पैदा करें, अनुशासन बढ़ायें, शायद इस से वह उनका मस्तिष्क इतना उन्नत करें कि परीक्षाफल ४२ के स्थान पर ६० और ८० प्रतिशत हो जाय। ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करे, किन्तु मुझ सरीखे को इस में शंका है।

मैंने अपना अधिकांश समय इन्हीं विद्यार्थियों के बीच में बिताया है जिनको सैनिक शिक्षा देने के लिये हमारे शिक्षा मंत्री महोदय इतने चिंतित और उतावले हो रहे हैं। मैं एक सीधा सा सवाल उन से करना चाहता हूं कि क्या उन्होंने उन ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को खुली आंखों से देखा भी है। वह विद्यार्थी पागल नहीं हैं कि जो फेल होने का शौक रखते हों। वह विद्यार्थी अपने अभिभावक का धन बरबाद करने के लिये बदहवास नहीं हैं जो बार-बार फेल होते रहे, उनकी कुछ कठिनाइयां हैं। उनके शिक्षा विभाग में तथा शिक्षा शैली में कुछ त्रुटि है, जिस की ओर ध्यान देना उचित होगा। किन शब्दों में मैं उस बात को कहूं, मुझे अपनी शक्ति के सामर्थ्य में कुछ शंका है। जब मैं किसी सुधार की बात के लिये आशा लगाये बैठा था उस समय आते आते यह पहला बिल मेरी मेज पर आया। उत्साह से उछल पड़ा, देखा कि सैनिक शिक्षा विद्यार्थियों को सिखाई जायगी। उन विद्यार्थियों को जिनके पेट में शायद ही दाना हो, उनका कृष शरीर, निर्बल मस्तिष्क, मेमोरी का कहना ही क्या? आप आंकड़ों के द्वारा उसको देखें। सरकार आंकड़ों पर बहुत भरोसा करती है और शिक्षा के सम्बन्ध में जो पुस्तिका हम को मिली है उसमें विद्यार्थियों की वृद्धि दिखाई गई है, स्कूलों की वृद्धि दिखाई गई है, संभवतः सफलता पाने वालों की वृद्धि भी दिखलाई जा सके। लेकिन उनकी शारीरिक स्थिति कैसी है, उनकी दिमागी स्थिति कैसी है, इसको शायद आपके विशेषज्ञ आंकड़ों में निकाल न पाते हों, निकाल न सकते हों या उनकी उपयोगिता न समझी गयी हो। लेकिन वास्तविकता यह है कि उनके शरीरों के लिये यह सैनिक शिक्षा शोभा नहीं देगी। वह विद्यार्थी ५,५ मील चल कर अपने शिक्षालयों में पहुचते हैं और इसमें ही उनके शरीर का सारा भोज्य पदार्थ निकल जाता है। उन में सैनिकता की परेड कराकर क्या आप शारीरिक सौन्दर्य बढ़ा सकेंगे? यह सैनिकता उनको कदम-कदम पर चलायेगी। यह इसलिये है कि यूनिफार्म पहन कर वे जवान दिखाई दें। जवानी तब उनमें दिखाई देगी जब उनके शरीर पर मांस होगा और गोश्त होगा। मैं उन विद्यार्थियों की वास्तविक स्थिति जानता हूं और आशा करता हूं आप भी जानते होंगे, लेकिन आप उसे भुला देते हैं। इन विद्यार्थियों के अन्दर इस सैनिकता के प्रेम से क्या अन्य बातें आ सकती हैं? अनुशासन की शिकायत हमारे मंत्री जी ने नहीं की। इसलिये वे धन्यवाद के पात्र हैं। अन्यथा मुझे भय था कि आज जो एक रवैया सा निकल गया है उसमें यही कहा जाता है कि विद्यार्थियों में अनुशासन-हीनता बढ़ गयी है और शिकायत करके उनको पीछे ढकेल देने का शौक सा हो गया है। इससे मुझे यह देखकर खुशी हुई है। लेकिन उन्हें बहुत ज्ञान होने की आवश्यकता है और उनके अन्दर कर्त्तव्य भावना की आवश्यकता है। किन्तु यह सब तभी सम्भव है जब वे परीक्षाफल में उत्तीर्ण दिखाई पड़ते हों। जब वे एक एक नम्बर के लिये लालायित रहते हैं और रेल की पटरी के नीचे कट कर मरते हैं तब आप विचार करें कि यह चीज कहां तक सम्भव है और यह सैनिकता कहां तक उनको मुक्ति देगी। जब मैं इस बात को सोचता हूं तो मुझे इस विचार शैली पर हृदय से निराशा होती है। यह सोचने वाले और इतने बड़े विचारक स्वनामधन्य त्रिपाठी जी, जिनके नाम से ही जनता आकर्षित हो जाती है और जिनकी कृपा से शिक्षार्थी सदा ही ओतप्रोत रहते हैं वह शिक्षा में सुधार के लिये सब से पहले सैनिकता लाने के लिये यह विधेयक लाये हैं।

पी०ई०सी०, एन०सी०सी० तो पहले थी ही अब टी०सी०सी० केन्द्रीय सरकार की होड़ में यहां पर लाई जा रही है जिसके लिये यह बिल यहां पर पेश है। मुझे मालूम है कि

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

विद्यार्थियों को व्यायाम की शिक्षा दी जाती है। मुझे मालूम है कि व्यायाम करने के लिये कितनी उनको सामग्री मिलती है। मैं जानता हूं कि जिस फंड से इमारत बनती है उसी फंड से बहुत लोगों का पेट भरता है। मुझे मालूम है कि बहुत से स्कूलों में यानी १० में एक के पास फील्ड है और १० में से एक के पास खेलने का सामान होता है। तो फिर हम उनकी शारीरिक अवस्था में कितनी उन्नति कर सकते हैं। उनकी शारीरिक उन्नति के लिये एक मेडिकल आफिसर रहता है जिसके लिये मेडिकल फीस पड़ती है। उससे हजारों रुपया इकट्ठा होता है। डाक्टर वहां पर आता है और २ मिनट के अन्दर वह सारे लड़कों में घूम जाता है। एक निगाह में ही वह ४० लड़कों को देखता है और सबके मर्ज को पहचान लेता है। यह डाक्टर का निरीक्षण कभी-कभी होता है। इस प्रकार से इसमें हजारों रुपया खर्च होता है। क्या इस प्रकार से विद्यार्थियों के शरीर को उन्नतिशील बनाया जा सकता है ? हमारे माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है। मैं भी कहता हूं। लेकिन यह स्वस्थ मस्तिष्क क्यों नहीं होते ? इस परीक्षाफल में क्यों फेल निकलते हैं, क्या स्वस्थ शरीर उनमें नहीं है ? अगर वह होता तो उनको दिखाई पड़ता। उस शरीर को ही स्वस्थ बनाने की जरूरत है। आप कहते हैं कि शरीर को सैनिक शिक्षा देकर स्वस्थ बनायेंगे। मैं कहता हूं कि उनको आप दोपहरी के समय मुट्ठी भर चना दे दीजिये। जब वे ५ मील चल कर आते हैं तो पसीने के रास्ते उनका भोजन निकल जाता है, उसकी पूर्ति के लिये अगर आप पाव भर दूध नहीं दे सकते तो डेढ़ छटांक चना ही दे दीजिये। फिर आप आशा कीजिये कि उनका मस्तिष्क सुन्दर बनेगा, चरित्र सुन्दर बनेगा। लेकिन अगर आप इस प्रकार से व्यायाम करा कर, मार्च पास्ट करा कर, उसकी शिक्षा देकर और मिनिस्टर साहब जब जायं तो उनको सैल्यूट मिल जाय और इससे उन्हें खुशी हो जाय, अगर ऐसी शिक्षा से आपका मतलब है तो मैं उसको नमस्ते करता हूं। यह केवल दिखावे की बात है।

जहां तक सैनिकता की बात है, अगर पूज्य महात्मा गांधी की बात ली जाय तो वह तो देश में इस प्रकार के सैनिक चाहते ही न थे लेकिन वर्तमान सरकार सुरक्षा सैनिक चाहती है और कुल खर्चे का आधा अंश उसके ऊपर खर्च कर रही है तो भी सैनिकों की कमी है और अब विद्यार्थियों को मार्च सिखा कर, ड्रिल सिखाकर उसकी पूर्ति करना चाहती है।

श्रीमन्, आज विद्यार्थियों पर यह बड़ा भारी आरोप लगाया जाता है कि वे शिष्टता नहीं बरतते हैं, सम्मान नहीं करते हैं। शायद इस बिल से वह आरोप दूर हो जाय ? लेकिन क्या किसी विद्यार्थी से आपने भी यह पूछा कि तुम अपने पिता माता या गुरू से शिष्टता से क्यों नहीं बोलते हो ? क्या किसी ने इसका हल ढूंढा ? वह बेचारा यह तो नहीं कहेगा कि मैं पागल हो गया हूं। वह एक दूसरा ही जवाब देगा। वह कहेगा कि हमारी पाठ्य पुस्तकें ऐसी हैं जो हमें दूसरे ही रास्ते पर ले जाती हैं। एक अबोध बालक, वह १४ से १८ साल की उम्र में इन कक्षाओं में पढ़ता है। क्या वह जन्मजात ही यह सीख कर आया है कि वह अपने माता पिता या गुरु की अवहेलना करे ? इस चीज को उसने सीखा है समाज से, अध्यापकों से, सहचरों से या उन पाठ्य पुस्तकों से, जो उनको पढ़ाई जाती हैं। इसलिये अगर आप उनको सुधारना ही चाहते हैं तो आप उस समाज को सुधारिये, उसके साथ को सुधारिये, उसकी पाठ्य पुस्तकों को सुधारिये तब ही उनके अन्दर आप पुराने समय के समान ही सौहार्द्र, सहानुभूति और आज्ञा पालन आदि अनेक गुणों को पा सकेंगे। मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि आप उनके पाठ्यक्रम और उनकी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें। बहुत पहले से हम सुनते आये थे कि विद्यार्थियों के सम्बन्ध में कोई बिल आ रहा है लेकिन नहीं आया और पांच साल चले गये। अब भी न जाने सन् ६२ में ही कोई बिल लाया जायगा जबकि असेम्बली के समाप्त हो जाने से वह लैप्स हो जायगा। अब कुछ विभाग सजग हुआ मालूम पड़ता है और उसकी यह पहली चीज हमारे सामने आयी है शायद और सुधार भी शीघ्र ही आयें।

मैंने व्यायाम की बात कही, चरित्र की बात कही लेकिन अनुशासन की बात मैं इसलिये नहीं कहना चाहता क्योंकि हमारे शिक्षा मंत्री विद्यार्थियों के पक्ष में हैं। मैं इस समय विद्यार्थियों की अन्य दिक्कतों को आपके सामने रखना चाहता हूं जिनके कारण आज वे अपराधी बने हुए हैं। कहा जाता है कि वे इसलिये फेल होते हैं कि वे पढ़ते नहीं हैं, परीक्षा फल इसलिये बिगड़ता है कि पर्चे सख्त आते हैं, जांचने वाले सख्ती करते हैं। मैं इन चीजों को सुनकर परेशान होता हूं। मैं स्वयं निरीक्षक रहा हूं, स्वयं जांचने वाला रहा हूं, लेकिन कभी भी कड़ा और सरल नहीं बना। एक ही समान रहा। फिर विद्यार्थियों पर आरोप क्यों लगाया जाता है? क्या वजह है कि इस साल १,७६,००० विद्यार्थी जो हाई स्कूल की परीक्षा में बैठे थे उनमें से १,००,००० फेल हो जायं, बहुलांश फेल हो जायं? उनके अभिभावकों से क्या कभी आपने पूछने और उनकी मनोवृत्ति जानने की कोशिश की कि सचमुच वे चाहते क्या हैं? क्या वे अपने बच्चों को स्कूलों में फेल होने के लिये ही भेजते हैं? नहीं, वे तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे भले, सुन्दर, तगड़े और बढ़िया यूनिफार्म में अच्छी तरह से सैल्यूट करते हुए लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट करते हुए दिखलाई दें। लेकिन कब चाहते हैं? वे तब चाहते हैं जबकि वे परीक्षा पास होकर आवें और उनके हृदय को गद्गद् कर दें कि जिस उद्देश्य के लिये हमने धन लगाया वह उद्देश्य हमारा पूरा हो गया।

आज विद्यार्थियों के अन्दर अनुशासनहीनता की बात भी बहुत कही जाती है और कुछ भाग का यह भी खयाल है कि इसमें शिक्षकों का दोष है। शिक्षकों की बात तो मैं आज नहीं कहूंगा क्योंकि यह शिक्षा का विषय नहीं है, लेकिन तो भी उस सम्बन्ध में थोड़ा सा कह देना चाहता हूं। जिन विद्यार्थियों को पढ़ाना उनका कर्त्तव्य है, उनका ध्येय है, मेरा विश्वास है कि शिक्षक अपने कर्त्तव्य के पालन करने में कभी बेईमान नहीं होगा, न यह होना चाहिये और न है। फिर शिक्षकों के ऊपर आरोप लगाने की बात मेरी समझ में नहीं आयी।

अब तीन बातें ही रह जाती हैं। विद्यार्थी, शिक्षक और शिक्षण शैली। जहां तक शिक्षण शैली का सम्बन्ध है, उस विषय में मैं अधिक नहीं कह सकता क्योंकि शिक्षण शैली के सम्बन्ध में मेरा कोई हाथ नहीं रहा है। हो सकता है कि एक सदस्य होने की हैसियत से हाथ रखता हूं लेकिन वह हाथ तो तभी होगा जब माननीय शिक्षा मंत्री जी इस सम्बन्ध में कोई बिल इस सदन के सामने पेश करेंगे। यह तो तभी होगा जब उनके मन में आयेगा। लेकिन यह चीज मैं उनको बतला देना चाहता हूं कि इस विधेयक में कई आवश्यक चीजों का होना आवश्यक था जो उससे ज्यादा संबंधित हैं और जिनके सम्बन्ध में अनेकों बार इस हाउस में शिक्षा ग्रांट के समय कहा भी गया है कि आपकी जो शिक्षण शैली है वह अनुपयुक्त है, असामयिक है और इससे देश बरबाद हो रहा है। लेकिन उन सभी चीजों को माननीय शिक्षा मंत्री जी ने हंस कर टाल दिया। मैंने उनको गुरु बना कर उनकी बात सुननी चाही थी लेकिन उन्होंने अपनी बात न कह करके उसे ऐसे ही टाल दी और हमारे लिये यह समस्या उलझी ही रह गयी। मैं फिर उनसे कहना चाहता हूं कि भावुकता में आकर काम न कीजिये, इससे काम नहीं चलेगा, शब्दजाल से काम नहीं चलेगा, बार-बार दिखावे से काम नहीं चलेगा, बल्कि शिक्षा सम्बन्धी जो सही रूप में सुधार हो सकता है, उसे कीजिये। जो एन०सी०सी० या पी०ई०सी० की शिक्षा चल रही है, उसका मैं विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि प्राथमिकता किस चीज की है। मर्ज न मालूम कौन है और आप दवा कौन सी देते हैं, कुछ मालूम नहीं है। मर्ज तो जीर्णज्वर है, अमोघ व्याधि है और आप दवा खुजली की कर रहे हैं, खुजली का मलहम लगा कर आप उसे जल्दी दूर करना चाहते हैं, आखिर यह कैसे हो सकता है? आप बालक को सुन्दर बनाना चाहते हैं, उसको अच्छे यूनिफार्म में देखना चाहते हैं लेकिन बालक के शरीर में हड्डी और मांस का अंश बहुत कम है। फिर ऐसी अवस्था में बालक कैसे सुन्दर हो सकता है? आपकी शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिये जिससे यहां के बालक योग्य नागरिक बन सकें। आप उनके अन्दर ऐसी भावना पैदा करें जिससे वे समझें कि हम भी माननीय शिक्षा मंत्री जी की तरह से ही किसी दिन शिक्षा मंत्री हो सकते हैं, जब उनके

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

मन में यही भावना होगी कि इतना पढ़ने के बाद भी चपरासी ही बनना है या मार-मारे ही फिरना है तो फिर वे कैसे आगे बढ़ सकते हैं। एक कृषक का लड़का, आपके यहां शिक्षा पाकर न तो पिता के मतलब का रहता है, न वह आपके मतलब का रहता है क्योंकि आप सरकार हैं, आप थर्ड डिवीजनर्स को चाहते नहीं हैं। उनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि आप उन के लिये दरवाजा बन्द किये हैं, न उन को उनके अभिभावक चाहते हैं क्योंकि वह उस वक्त मोटे काम करने लायक नहीं रह जाते। अब तो वह विद्यार्थी उस शैली के शृंगार में पड़ चुके हैं कि अब वह मोटे-झोटे काम कर नहीं सकते। इसलिये आप स्वयं जांचें कि इन विद्यार्थियों के साथ आप कितना न्याय कर रहे हैं। मैं बार-बार कहां तक उलाहना दूं कि बार-बार तमाम तरह के सुधार के बाद भी विद्यार्थी अपने रास्ते पर क्यों नहीं आते।

इसके जो उद्देश्य और कारण है उन में कहा गया है कि "इस बिल के द्वारा गांवों में सामुदायिक जीवन का संगठन करने, कृषि कार्यों में सहायता देने, सड़कें बनाने, सिंचाई की गूल तैयार करने, सफाई की व्यवस्था करने तथा अन्य जनोपयोगी कार्यों को सम्पन्न करने का प्रशिक्षण देने के निमित्त यह बिल लाया गया है।" शब्द तो बड़े सुन्दर हैं 'कृषि कार्यों में सहायता'। पिछले मंत्रिमंडल में जहां तक मेरा खयाल है हमारे माननीय मुख्य मंत्री का हाथ बहुत था, उस वक्त एक योजना अखबार में छपी थी। कृषककजन को अपनी कृषि के कार्य में सब से अधिक जनबल की आवश्यकता होती है, मार्च में जब कटनी की फसल आती है, उस समय किसान अपने यहां किसी भी आने वाले मजदूर को इसलिये रख लेता है क्योंकि उस वक्त का काम उसकी स्वयं की सामर्थ्य के बाहर हो जाता है और वह उस वक्त मजदूर को अपनी साल भर की कमाई का एक चौथाई इसलिये देने को तैयार हो जाता है कि बगैर उसके रखे उसका काम और उस की जरूरत पूरी नहीं होती। उस समय एक योजना रखी गई थी कि विद्यार्थियों को मौका दिया जायगा कि वह ऐसे समय में अभिभावकों की मदद करें। देखने में तो स्कीम बड़ी अच्छी लगती है लेकिन कड़वा घूंट वैसे ही सटक गये आज तक वह स्कीम सामने नहीं आई।

दूसरी एक और योजना हमारे सामने आई कि जिस समय कृषि कार्य की आवश्यकता हो उस समय शिक्षा क्रम बंद रखा जाय और पाठ्यक्रम ऐसे रखा जाय कि वह समय कृषि कार्य में विद्यार्थी दे सकें लेकिन उस का भी आज तक कुछ नहीं हुआ। जब यह मंत्रिमंडल बना तब ही कहा गया कि यह जो हाई स्कूल और इन्टरमीडियट बोर्ड है यह अनुपयुक्त है, पुराना है, आउट आफ डेट है, उस के प्रतिनिधि वही पुराने अंग्रेज के जमाने के जो असोसियेशंस है उनके लोग हैं, उस का सुधार किया जायगा लेकिन आजतक कुछ नहीं हुआ। मैं सरकार को बहुत सी योजनाओं की याद दिलाकर सदन का समय नहीं लेना चाहता। सरकार स्वयं अपनी बात समझ सकती है। वह योजना ला देती है लेकिन उस को पालन करने की बात समझती है कि धीरे-धीरे होती रहेगी। शिक्षा संस्थाओं की तादाद बढ़ती जाती है और जिनके सुधार के लिये केन्द्रीय सरकार और यह सरकार दावा करती है और धन देने में भी किसी से पिछड़ती नहीं है, एम०सी०सी० के लिये केन्द्रीय सरकार १५० रुपया प्रति केडेट देने को तैयार है और हमारी प्रादेशिक सरकार भी बहुत ही व्यग्र है और वह भी चाहती है कि ११-१२ श्रेणी में हम अलग श्रेणी पैदा कर दें और उस में अनुशासन, सौहार्द, की शिक्षा दें और हो सकता है कि वह यह भी शिक्षा दें कि जिस से विद्यार्थी राजनैतिक आबोहवा में न पड़ जायं। शंका है शायद सामने आये कि विद्यार्थियों में भी अपना कंट्रोल रखने की भावना हो वह विद्यार्थी हैं तो बड़े व्यग्र, कभी-कभी अचानक कुछ व्यग्रता दिखला देते हैं और कभी-कभी शिक्षकों के लिये सिर खुजलाने की बातें कर देते हैं, उन पर भी थोड़ा अनुशासन रखा जा सके। येनकेन प्रकारेण कुछ हो, मैं नहीं कह सकता। लेकिन इस बिल के उपस्थित होने के साथ-साथ कुछ सदस्यों की मनोभावनायें मेरे सामने हैं। मैं अनधिकार रूप से अगर यह कहता हूं तो अधिष्ठाता महोदय माफ करेंगे।

एक संशोधन यह भी है कि अगर वह किसी राजनैतिक आंदोलन में भाग लेता देखा जाय तो उस पर अनुशासन की कार्यवाही इस विधेयक की धाराओं के अनुसार हो। हो सकता है, हमारे उन सदस्य ने सद्प्रेरणा से यह बात कही हो, हो सकता है इसमें कुछ मनोवृत्ति सरकारी पक्ष की ओर से भी हो, यह कहना मेरे लिये शक्ति से बाहर है। मुझे यह भी दिखायी देता है कि उनके शिक्षा सम्बन्धी कार्यों के सुधार में कुछ अनुशासन रखने की बातें रखना भी बहुत जरूरी है। इसके बाद अन्य बातें की जायं। उनकी शिक्षा सुधार में अन्य बातों के करने से पहले उन में कुछ ऐसा भी कर लिया जाय कि अपने कंट्रोल के बाहर वह न जायं। जिन शिक्षा संस्थाओं में विद्यार्थी पढ़ते हैं मुझे उनके सम्बन्ध में कुछ बातें सामने रख देनी हैं। आज हमारी शिक्षा संस्थायें आर्थिक कारणों से पीड़ित हैं, दबी हुई हैं। हर संस्था सिफारिश करने के लिये हजारों रुपये इसलिये खर्च करती है, अफसरों के दरवाजे खटखटाती है कि हमारी ग्रांट बढ़ जाय।

श्री अधिष्ठाता—माननीय अवस्थी जी, मैं आप का ध्यान प्रक्रिया नियमावली के ५७ वें नियम की तरफ आकर्षित करता हूं। विधेयक के जो प्राविजंस या प्रिंसिपिल्स हैं उन्हीं पर आप अपना भाषण सीमित रखें। आप विषय से अलग जा रहे हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—धन्यवाद। मैं इसके बाद एक-एक दफा के बारे में कुछ बातें रख कर अपना मंतव्य प्रगट करना चाहता हूं।

इस समय मैं शिक्षा संस्थाओं की कठिनाइयां अभी आपके सामने रख कर इसको उस समय रखूंगा जब इसका अवसर होगा कि क्यों इन शिक्षकों में और विद्यार्थियों में इतनी कमियां हैं जिनकी वजह से हमारे मन के माफिक, हमारी इच्छा के माफिक इनका फल नहीं निकल पाता है। इस विधेयक में पहले ही जो दफा ४ तथा दफा ५ में फंक्शंस दिये गये हैं उनके शब्दों को आपके सामने पढ़ कर दिखा देना चाहता हूं। "कवायद करने के लिये तथा आयुध प्रयोग का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये बाध्य होगा और ऐसी समाज सेवा करेगा तथा ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन एवं अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा जो नियत किये जायं।" इसमें सिर्फ दो शब्द हैं। कवायद करेगा, दूसरे आयुध प्रशिक्षण प्राप्त करेगा। कवायद के लिये एक ड्रिल मास्टर और विद्यार्थियों में थोड़ा शौक—इसकी पूर्ति होने के साथ-साथ लाइन में चलने की क्षमता। इसके अलावा और जो चीजें प्राप्त होती हैं उनके लिये तो मैं ज्यादा इस वक्त नहीं कहूंगा। लेकिन प्रत्यक्ष में यही चीजें हैं। एक आकर्षक शब्द इसमें लिखा हुआ है। वह समाज सेवा है। आयुध प्रयोग की बात मैं इसलिये नहीं कहूंगा कि हो सकता है कि एन०सी०सी० से नाता जोड़ते हों, लेकिन समाज सेवा की बात कह कर, इसमें बहुत कुछ छिपी हुई बात भी रखी गयी है। समाज सेवा की जो भी १९४७–१९४८ की योजनायें थीं उनको पढ़ कर मैंने देखा तो समाज सेवा की बात उनमें बहुत कम, या नहीं के समान मुझे दिखायी पड़ी। केवल मात्र इसके उद्देश्य और कारणों में अनेक बातें कही गयी हैं। "गांवों में सामुदायिक जीवन का संगठन करने, कृषि कार्यों में सहायता देने, सड़कें बनाने, सिंचाई की नहरें तैयार करने, सफाई की व्यवस्था करने तथा अन्य जनोपयोगी कार्यों को सम्पन्न करने का प्रशिक्षण" आदि शब्द हैं। मैं समझता हूं कि अगर इस विधेयक का यह उद्देश्य है तो इन फंक्शंस का स्पष्टीकरण होना आवश्यक था बजाय इसके कि ऐसे अन्य कार्यों का पालन, ऐसा कह कर गवर्नमेन्ट को फवर डेलीगेट कर दें।

मैं इनके फंक्शंस के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से कहूंगा कि इस विधेयक की बनावट का मैं बहुत सख्त विरोधी हूं। मैं इसके फंक्शंस समझता हूं, फंक्शंस से पता लगता है कि इस विधेयक का मंशा क्या है, उन फंक्शंस का स्पष्टीकरण होना आवश्यक दिखाई पड़ता है।

अधिकारियों की नियुक्ति में एक सैनिक शिक्षा संचालक और सहायक संचालक, क्वार्टर मास्टर आदि, ऐसे बहुत से आफिसर्स कायम किये गये हैं। यह अभी पता लगा कि डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर आलरेडी हैं। तो भी मैं समझता हूं इस विधेयक की मंशा

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

यह हो सकती है कि कुछ नये आफिसर्स क्रियेट किये जायेंगे। यह दिखाई पड़ता है कि हम नयी पोस्ट्स क्रियेट कर रहे हैं कुछ अनएमप्लायमेन्ट को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना खर्चा बढ़ा लेने के बाद विद्यार्थियों को क्या मिल सकेगा इस दृष्टि से हम इसको देखना चाहते हैं न कि इस तरह से कि कितनी पोस्ट्स क्रियेट होंगी।

अन्य बातें जो दफा ९,१० में दी गई हैं उसमें बहुत सी वाइड पावर्स हैं कि क्या-क्या उनके कार्य होंगे। उनको न कह कर इसमें कुछ अनुशासन की बात रखी गई। वह भी बड़ा वास्ट है जिसका परिणाम यह हो सकता है कि सुपीरियारिटी और इनफीरियारिटी की फीलिंग पैदा हो जाय। लक्ष्य तो है सौहार्द्र भाव, समाज सेवा की भावना पैदा करना लेकिन यह ग्रेडेड आफिसर्स जो होंगे, जो एक दूसरे से सैल्यूट लेने के आदी होंगे, जो हमेशा आफिशियलडम के आदी होंगे उनसे विद्यार्थियों में सौहार्द्र भाव कैसे पैदा होगा? यह ठीक है कि आप विद्यार्थियों से यह कहेंगे कि तुम भी अपनी कैडट में आफिसर बनोगे, लेकिन यह मानी हुई बात है कि जो जो पेड अफसर होते हैं उनमें बदरली भावना कम होती है। वे अपने को विद्यार्थियों का भाई और स्नेही नहीं मानते हैं। इससे एक ऐसी चीज पैदा होती है जो ठीक नहीं है। हमें तो विद्यार्थियों में सौहार्द्र की भावना पैदा करनी है। डेलीगेटेड पावर्स से जो गवर्नमेन्ट को नियम बनाने के अधिकार दिये गये हैं वे बहुत ही वेग हैं। इस बिल में सभी चीजें डेलीगेशन के रूप में सरकार के हाथ में हैं, जो ठीक नहीं है।

मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो यह कहें कि यह कम्पल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग है। कम्पल्सरी का लफ्ज तो उद्देश्य में आया है। लेकिन इस बिल का जो नाम है "राज्य शिक्षा सैनिक दल विधेयक," इसमें कहीं भी शब्द कम्पल्शन का नहीं है। अतः यह कम्पलसरी तो नहीं है। बीच में अंग्रेजी में यह शब्द जरूर आये हैं "shall be liable to undergo drill' इससे कुछ अनिवार्यता जरूर आती है। लेकिन कम्पल्सरी ट्रेनिंग इसको हम नहीं कह सकते' मैं मानता हूं इस बिल में कई ऐसी बातें हैं, यह ड्रिल के लिये हैं, थोड़ी सी फायर आर्म्स की प्रारंभिक ट्रेनिंग के लिये है, इसमें कोई कांस्टीट्यूशनल बात तो नहीं आती। लेकिन इस बिल के लाने से विद्यार्थियों का वास्तविक हित मुझे कोई दिखाई नहीं देता। इसके फंक्शन में जो बताया गया है वह इतने अस्पष्ट हैं कि जिससे मालूम पड़ता है कि इस बिल के बनाने, पास होने और लागू होने में सारा समय हमारा यों ही व्यर्थ जायगा। हमें तो सरकार से इस बात का भी उलाहना देना है कि हो सकता है कि इस बिल के पास होने के बाद चन्द लाख के अधिक व्यय की उसमें आवश्यकता पड़ जाय। कभी-कभी तो वह कुछ सैकड़े ही देने के लिये बड़े ही चिंतित हो जाते हैं और नकार में ही जवाब देते हैं लेकिन इस बिल के पास होने पर इसके परिणामस्वरूप जो व्यय बढ़ेगा उसके लिये तो बिलकुल ही तैयार हैं और चाहते यह हैं कि यह सैनिक शिक्षा आ जाय। बजाय इसके मैं उनसे यह प्रार्थना करूंगा कि यदि उनकी शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ व्यय करने की इच्छा है, कुछ शौक है तो इस सैनिक बिल को तो वह वापस ले लें और दूसरा बिल लावें जो कि उनके स्वास्थ्य की उन्नति को दृष्टि में रखते हुये····

श्री अधिष्ठाता—माननीय अवस्थी जी, आपने जो संशोधन रखा है वह इसको प्रवर समिति में भेजने का है और आप इसको वापस करने की बात कह रहे हैं। तो यह विरोधाभासात्मक भाषण न दीजिये।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मुझे क्षमा कीजिये। प्रवर समिति में जाने के बाद मेरा अधिकार यह भी रहेगा कि मैं इसे बिल को बिल्कुल रद्द करने के लिये प्रस्ताव रखूं। इसलिये उसे रद्द करने की बात मैं कहना चाहता था····

श्री अधिष्ठाता—आप अपना संशोधन इस सदन में प्रस्तुत कर चुके हैं और आपका संशोधन सदन के सामने है। इसलिये दूसरा संशोधन आप नहीं रख सकते।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं नहीं रख रहा हूं श्रीमन्, प्रवर समिति में रखने का जो प्रस्ताव है। मेरा ऐसा विचार है कि प्रवर समिति में जाकर यह बिल कुछ उन लक्ष्यों की ओर बढ़ेगा जिनकी ओर सभी के मन में आशंका है। इस सैनिक शिक्षा बिल का जो लक्ष्य है वह यही है कि ११ वें और १२ वें दर्जे के बालकों को सैनिक शिक्षा दी जाय और उनमें समाज सेवा की भावना विकसित की जाय। इन दोनों चीजों को मैं इस बिल के द्वारा सम्भव नहीं पाता हूं। हो सकता है कि थोड़ी सी मिलिटरी ट्रेनिंग सीख जायं लेकिन समाज सेवा की बात सीख सकेंगे इसमें मुझे शंका है, क्योंकि इस बिल में समाज सेवा करने की क्षमता कहीं भी मुझे नहीं दिखाई देती है। केवल दो ही तीन बातें हैं। इसमें अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में बात है, उन अधिकारियों की डिसिप्लिन की बात है, उन अधिकारियों के द्वारा चलायी गई यूनिफार्मिटी की बात है और उनके पनिशमेंट आदि की भी बात है . . .

श्री अधिष्ठाता—माननीय अवस्थी जी, आप दोहरा रहे हैं। आप अपने भाषण में यह सब कह चुके हैं। कृपा कर दोहराइये नहीं। कोई नयी बात कहनी हो तो कहिये।

श्री मोतीलाल अवस्थी—तो ज्यादा समय न लगाकर अन्त में मैं समराइज कर देना चाहता हूं कि इस बिल में इन चीजों की ज्यादा भरमार अवश्य है, लेकिन जैसा कि उद्देश्य में कहा गया है कि सामाजिक सेवा की भावना पैदा की जायगी, वह मुझे कहीं भी दिखायी नहीं देती है। मैं समझता हूं कि इस बिल में अगर कहीं कोई सुधार हो सकता है तो वह प्रवर समिति के द्वारा ही हो सकता है। यह प्रवर समिति का जो मैंने प्रस्ताव रखा है वह संयुक्त . . .

श्री अधिष्ठाता—आपने संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव किया है।

श्री मोती लाल अवस्थी—मेरा दूसरा सेंटेंस मुंह से निकलने ही वाला था बल्कि निकल चुका था कि यह संयुक्त प्रवर समिति में जाना चाहिए। इसीलिए मैंने संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव किया है जिसमें दोनों सदनों का समय कम लगे। यद्यपि श्रीमान् शिक्षा मन्त्री ने कहा है कि यह छोटा सा बिल है, और मैं भी ऐसा समझता हूं कि छोटे से बिल के लिए ज्यादा समय न लगाया जाय, इसीलिए मैंने यह प्रस्ताव किया है कि यह दोनों सदनों की प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। अब सेशन भी १९ तारीख तक जैसा कि प्रोग्राम है उस के अनुसार अगर चला तो इस सेशन में तो यह बात न हो सकेगी, इसलिए मैंने ३१ अक्तूबर तक की बात रखी है जिस से दोनों ही सदन के सदस्य मिलकर के कुछ समय में इसको सोच लें और देख लें कि सचमुच जो इस के उद्देश्य में बतलाया गया है उस से विद्यार्थियों में सौहार्द्र भाव आ जायगा, समाज सेवा की भावना आ जायगी और चरित्र उच्च हो जायगा। इन सब चीजों को वह जांच लें तो ज्यादा अच्छा होगा। मेरे विचार में इस विधेयक में बहुत सी चीजें सुधार करने योग्य हैं। यदि यह प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जायगा तो इन सभी चीजों को देखने में सभी को सुभीता होगा और विशेष तौर पर जैसा कि शिक्षा मन्त्री जी ने चाहा है, वह शिक्षकों का सहयोग चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि इस बिल में भी शिक्षकों के क्या निर्देश हैं इसे जानने के लिए वह इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें, क्योंकि ऐसे तो वह हाउस के अन्दर किसी की बात मानेंगे नहीं। मैंने शिक्षा की ग्रान्ट के बारे में, या यों कहूं करीब-करीब सारी कैबिनेट के मंत्रियों का रुख देखा कि वे विरोधी पक्ष की कोई बात मानने को तैयार नहीं हैं। मुझे भय है कि इस सम्बन्ध में भी माननीय मन्त्री कुछ सुनने को तैयार नहीं हैं, लेकिन प्रवर समिति में जाने के बाद, जहां एक ऐग्रीड फार्मूला बन कर तैयार होता है, मेरे यह सुझाव मान लिये जायेंगे। इसी आशा से मैं यह प्रस्तावना रख रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता—प्रस्तावना नहीं है, आपका तो संशोधन है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं प्रस्तावक हूं, इस लिए प्रस्तावना है। संशोधन रूपी यह प्रस्तावना मैंने रक्खी है सदन के सामने कि संयुक्त प्रवर समिति के सामने यह बिल भेज दिया जाय जो ३१ अक्तूबर तक इसे वापस करे।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—मैं, अधिष्ठाता महोदय, आज्ञा मांगता हूं इस प्रस्तुत संशोधन में इस प्रकार का संशोधन प्रस्तुत कर सकूं "प्रस्तुत संशोधन की पंक्ति ३ में शब्द तथा अंक में '३१ अक्तूबर, १९५७' के स्थान पर '३० नवम्बर, १९५७' रख दिया जाय"।

श्रीमन् मेरा यह विचार है और विश्वास है कि इस सदन में जितने भी विधेयक आज तक आये उन में से बहुतों से यह प्रस्तुत विधेयक अधिक लाभप्रद, कल्याणकारी और जनता के हितों का संरक्षण करने वाला है। इस विधेयक के द्वारा उन भावनाओं की ओर ध्यान दिया गया है जिन की मांग हमारे प्रदेश में आज से नहीं, दसियों वर्ष से थी।

श्रीमन्, माननीय अवस्थी जी जब अपना संशोधन उपस्थित करने खड़े हुए तो मुझे यह आशा थी कि वे इसका स्वागत करेंगे और पार्लियामेंटरी पद्धति की ए० बी० सी० डी० जानने वाले के नाते माननीय अवस्थी जी को संयुक्त प्रवर समिति को भेजने का यह संकल्प देख कर मुझे यह आशा थी कि वे सिद्धान्ततः उसका स्वागत करेंगे, उसको स्वीकार करेंगे, क्योंकि प्रवर समिति के संकल्प में यह समझा जाता है कि उस बिल में और भी सुधार की आवश्यकता है और उसका महत्व और उसकी उपयोगिता यह तकाजा करती है कि प्रवर समिति द्वारा उस पर विचार हो और प्रवर सिमित उस के उद्देश्य और कारणों में और भी विस्तार और प्रसार कर सकेगी। लेकिन श्रीमन्, जब मैंने माननीय अवस्थी जी का भाषण सुना तो मैं क्या कहूं? मुझे तो इतनी निराशा हुई और मैं बड़ी नम्रतापूर्वक केवल यही कह सकता हूं कि यदि मैं शुरू में न बैठा होता और यदि मुझे यह न मालूम होता कि माननीय अवस्थी जी इस प्रस्ताव के प्रस्तावक हैं तो कदाचित यह भ्रम मुझे होने की गुंजाइश थी कि यह बजट पर डिस्कशन हो रहा है या क्या हो रहा है? मैं ने उन के भाषण में एजूकेशन से सम्बन्धित और करीब-करीब सभी बातों पर कुछ न कुछ सुना और अगर मैं ने नहीं सुना तो इस बिल के सिद्धान्तों के विषय में कुछ नहीं सुना, या जो कुछ सुना वह नहीं के बराबर था। श्रीमन्, शिक्षकों की स्थिति, हाई स्कूल और इन्टरमीडियेट बोर्ड के कम्पेरीजन का मसला इस बिल से किस प्रकार प्रासांगिक है, मैं इसे माननीय सदस्यों पर ही छोड़ता हूं और वे स्वयं ही इस पर विचार कर सकेंगे।

श्रीमन्, आज हमारे प्रदेश में इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि हम इस प्रकार का विधेयक पारित करें। मेरा तो विश्वास है कि विद्यार्थी समाज में सब से बड़ी आवश्यकता है जीवन की। विद्यार्थी समाज में भले ही उद्दंडता हो, अनुशासनहीनता हो, लकिन अगर उन में जीवन नहीं है तो वह समाज और देश के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। अगर उन में उद्दंडता है, अनुशासनहीनता है, जीवन है तब उसका सुधार हो सकता है, लेकिन अगर जीवन नहीं है तब देश का और राष्ट्र का भविष्य खतरे में हो सकता है और यह विधेयक उस जीवन संचार में सहायक होगा।

श्रीमन्, माननीय मन्त्री जी ने अपने भाषण में, मुझे बड़ा हर्ष है, कहा और उन्होंने प्रसन्नता प्रगट की कि हमारे प्रदेश के विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता नहीं है, वे प्रखरबुद्धि हैं, वे दूसरों से ऊंचे हैं बहुत से दृष्टिकोणों में, लेकिन शोक! इस पर भी हमारे माननीय अवस्थी जी को सन्तोष नहीं हुआ। स्वयं भी वह यही कहना चाहते थे और यही कहते रहे, लेकिन कदाचित उन्हें निराशा हुई इस बात को शिक्षा मन्त्री द्वारा सुन कर के कि उनको कम से कम एक मौका रह गया, जिस में वह माननीय मन्त्री जी के भाषण पर और आघात कर पाते। यदि वह माननीय मन्त्री जी से यह सुनते कि विद्यार्थियों में बड़ी अनुशासनहीनता है कदाचित तब उन्हें एक और अंग इस बिल में और इस बिल के अन्तर्गत जितनी भी प्रासांगिक और अप्रासांगिक बातें हैं उनको कहने का मिल जाता। श्रीमन्, मेरा विचार तो यह है कि आज जितनी भी समस्याएं विद्यार्थियों से सम्बन्धित हैं उन में सब से अधिक आवश्यक समस्या यह है कि हम उन की शारीरिक शिक्षा की ओर ध्यान दें, जो कि जैसा मन्त्री जी ने कहा, बुद्धि के लिए भी आवश्यक है। फिर हम यह सोचते रहें कि हमारे हाई स्कूल का परसेंटेज चूंकि कम है इस लिए हम शारीरिक शिक्षा की ओर, सैनिक शिक्षा की ओर ध्यान न दें, हम सामाजिक शिक्षा की बात नहीं कर सकत, तो मैं समझता हूं कि वह दिन कभी आयेगा ही नहीं जब हम इस ओर ध्यान दे सकें।

अभी-अभी श्रीमन्, हाई स्कूल और इण्टरमीडियेट बोर्ड की ३१ तारीख को मीटिंग हुई । इस माननीय सदन ने उसमें मुझे भी चुनकर भेजा है। वहां भी यह प्रश्न आया कि हम अपने प्रदेश में कम्पल्सरी फिजिकल ट्रेनिंग की एक स्कीम चलायें। इस सम्बन्ध में हमारे डायरेक्टर महोदय का यह खयाल था कि चूंकि इस में बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता होगी, इसलिए यह सम्भव नहीं है कि हम इसे शुरू कर सकें, लेकिन जो शिक्षक और शिक्षा के एक्सपर्ट वहां इकट्ठे थे उन सब की यह राय थी और मैं भी उन में से एक था कि आज हमारे प्रदेश के लिए यह आवश्यक है कि हम कम्पल्सरी फिजिकल ट्रेनिंग यहां शुरू करें। इस सम्बन्ध में एक सब-कमेटी इस पर विचारार्थ बनायी । तो उस उद्देश्य में और इस विधेयक में काफी समानता है और वे एक दूसरे के किसी न किसी अंश तक अंग हैं। मैं यह चाहूंगा कि यह सदन उस की महत्ता, आवश्यकता और उपयोगिता को स्वीकार करते हुए पूरी तरह से विचार करे कि जो प्रस्तावना हाई स्कूल इण्टरमीडियेट बोर्ड कर रहा है और जो सदन इस विधेयक द्वारा करने जा रहा है इन दोनों में कहां तक सामंजस्य पैदा हो सकता है जिस से दोनों विद्यार्थियों को एक दिशा में ला सकें और दोनों में एक कोआर्डिनेशन हो सके। इस पर पहले भी यह प्रवर समिति विचार कर सकेगी। मैं प्रवर समिति के संकल्प का इसलिए समर्थन करता हूं कि . . .

(इस समय ठीक ४ बजे अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त, पुनः पीठासीन हुए।)

मेरी समझ में यह विधेयक, जैसा कि मैंने प्रारम्भ में कहा, अत्यावश्यक और उपयोगी है। इस लिए हम प्रवर समिति में बैठें और बैठकर सारे दृष्टिकोणों और बातों को ध्यान में रखते हुए और सारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन चीजों के प्रसार और विस्तार का प्रयत्न करें। मेरा विचार है कि माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने इस विधेयक को जिस भावना से प्रेरित होकर इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है वे जरूर यह कृपा करेंगे कि इस बात को स्वीकार करें और यह विधेयक प्रवर समिति के समक्ष जाय जिस से प्रवर समिति के सदस्यों को यह अवसर मिल सके कि वे सब दृष्टिकोणों से इस पर विचार कर लें।

श्रीमन्, मैंने इस में जो तारीख ३१ अक्तूबर थी उस में जो संशोधन प्रस्तुत किया है और ३० नवम्बर की प्रार्थना की है, वह केवल शाब्दिक नहीं थी और संशोधन करने की नीयत से पेश नहीं की गयी थी, बल्कि उसके लिए वास्तविक कारण है और वह यह है कि श्रीमन्, अक्तूबर में म्युनिसिपैलिटी के चुनाव हमारे प्रदेश में हो रहे हैं उस समय में जो सदस्य इस प्रवर समिति में चुने जायेंगे उन के लिए यह सम्भव न होगा कि वह अपने क्षेत्र से यहां आकर शान्त वातावरण में बैठकर आवश्यक परामर्श दे सकें। इसलिए मेरी सम्मति है कि ३१ अक्तूबर के बजाय ३० नम्बर तक इस की अवधि बढ़ा दी जाय और इस बिधेयक को प्रवर समिति में भेजा जाय।

श्रीमन्, अन्त में मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब एक मत से या अधिकांश मत से यह कह सकें कि इसके उद्देश्य का हम स्वागत करते हैं, जिन भावनाओं से प्रेरित होकर, जिन कामनाओं से प्रेरित होकर इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया है, उस के आगे हम नत-मस्तक हैं और हमारी अभिलाषा है कि हम अपने प्रदेश में ऐसी सैनिक शिक्षा और सामाजिक शिक्षा, जिस की इस विधेयक में कल्पना की गयी है, अधिक से अधिक मात्रा में दे सकें। मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर सम्भव हो सके, अगर आर्थिक स्थिति इजाजत दे तो हम इस शिक्षा को अपने प्रदेश में अनिवार्य रूप से दें। मुझे अभी संदेह है कि इस विधेयक का मंशा अनिवार्य रूप में या आंशिक रूप में शिक्षा देने का है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जब प्रवर समिति इस पर विचार करे तो इस की उपयोगिता और महत्व को ध्यान में रखते हुए ऐसा प्रयत्न करे कि अनिवार्य रूप में इस की शिक्षा सारे प्रदेश में दी जा सके। इस शिक्षा से हमारे विद्यार्थियों में एक नया जीवन आयेगा और उस से हमारे प्रदेश और राष्ट्र का कल्याण होगा।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो बिल आज सदन के सामने प्रस्तुत है, उस के जब में उद्देश्य को देखता हूं और मन्त्री जी ने जो बिल पर अपने

[श्री रामावणराय]

विचार व्यक्त किये हैं, उन पर विचार करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रस्तुत बिल में बहुत सी असंगतियां हैं, बहुत सी त्रुटियां हैं।

सब से पहले मैं इस के लक्ष्य की ओर सदन का ध्यान आपके द्वारा आकर्षित करना चाहता हूं। इस के लक्ष्य के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि हम चाहते हैं कि अपने बालकों को समाज सेवा की शिक्षा दें, उन में अनुशासन लायें, और साथ ही साथ उन को सैनिक शिक्षा दें। लेकिन जब मैं उस के अन्दर अधिकारियों की नियुक्ति के प्राविजन को देखता हूं तो उस में केवल ऐसे ही अधिकारी मिलते हैं जिन को केवल सैनिक शिक्षा देने का ही ज्ञान होता है, जैसे डायरेक्टर आफ मिलिटरी एजुकेशन और असिस्टेंट डायरेक्टर इत्यादि ऐसे अधिकारी हैं जो समाज सेवा की शिक्षा नहीं दे सकते हैं हमारे बालकों को। तो जहां तक इसका उद्देश्य है, उसकी यह पूर्ति नहीं कर सकेगा।

इस के बाद श्रीमन्, इस बिल के द्वारा विद्यार्थियों के अन्दर अनुशासन और समाज सेवा इत्यादि लाने की बात की गयी है। लेकिन इसमें मुझे बड़ा जबरदस्त पक्षपात दिखायी देता है। इस में लिखा है कि इस बिल के पास होने के बाद, केवल जो मेल स्टूडेंट होंगे, वह ही इसका लाभ उठा सकेंगे। इसमें लिखा है कि :

"Every male student, not below the prescribed age, of any school shall be enrolled in the Corps ;"

मैं समझ नहीं पाया। अभी हाल ही में हम लोगों ने १८५७ की शताब्दी मनायी, झांसीकी रानी के गीत गाये और न जाने कितनी बातें उस वीरांगना के सम्बन्ध में कही गयीं। लेकिन इस बिल के द्वारा केवल बालकों के एक विशिष्ट भाग को सैनिक शिक्षा दी जायगी, लड़कियों की शिक्षा की कोई व्यवस्था इसमें नहीं की गयी है।

जहां तक अपराध और दण्ड की बात है, इस में कहा गया है कि जो विद्यार्थी अनुशासन-हीनता दिखायेंगे या अन्य किसी प्रकार का अपराध करेंगे उन्हें अर्थ दण्ड दिया जायगा। श्रीमन्, मैं आप के द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि विद्यार्थी को अर्थ दण्ड कभी नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव विद्यार्थी पर न पड़ कर के उस के गार्जियन पर पड़ा करता है।

इस के बाद, श्रीमन्, अपराधों की सूची जहां इस में दी गयी है, उस में लिखा गया है, कि ऐसे विद्यार्थियों को हड़ताल करने का कोई अधिकार नहीं होगा। हड़ताल करना उन का बहुत बड़ा अपराध समझा जायगा। इस शब्द को पढ़ते ही मुझे ऐसा लगा कि पुनः शिक्षा के क्षेत्र में रेजिमेंन्टेशन की अप्रत्यक्ष चेष्टा की जा रही है। ऐसा लगा, कि जो "पावलाव" का सिद्धान्त है, शिक्षा के क्षेत्र में उस के आधार पर एक अप्रत्यक्ष चेष्टा हो रही है, क्योंकि उस सिद्धान्त के अनुसार स्लोगन्स, वर्दी, ऐसी ही चीजें, विद्यार्थियों के मन में सैनिक भाव लाने के लिए आवश्यक समझी जाती हैं।

जहां तक हमारे देश की प्राचीन काल की शिक्षा पद्धति का सवाल है तब ऐसा जरूर होता था कि एक ही गुरु सैनिक शिक्षा भी देता था और अन्य शास्त्रों की भी शिक्षा दिया करता था। लेकिन आज ऐसा सम्भव नहीं है और मैं तो ऐसा समझता हूं कि सामाजिक शिक्षा और सैनिक शिक्षा दोनों का सामन्जस्य स्थापित करने की चेष्टा कम से कम हमारे देश में भयावह होगी क्योंकि ग्रामीण जनता के मन का जहां तक सम्बन्ध है वह वर्दी से नफरत करता है, वर्दी को शोषण का प्रतीक मानता है, भले से भला आदमी वर्दी में गांवों में चला जाय तो लोग उस से डर जाते हैं और सोचते हैं कि कोई साहब आ गया है। वे उसे एक सेवक नहीं समझ सकते। सेवक की एक परम्परा अपने देश में है जिसका प्रारम्भ बुद्ध से होता है और गांधी तक चलता है और हम और आप भी उसका दावा करते हैं। तो सामाजिक सेवा करने के लिये जाने वाले को जो आप चाहते हैं, कि सैनिक वर्दी पहन कर गांव में जाये वह चीज भारतीय मन के प्रतिकूल पड़ेगी। इस लिए मेरा विचार है कि ये दोनों काम अलग-अलग होने चाहिए।

सैनिक शिक्षा सब क लिए अनिवार्य करना सिद्धान्ततः गलत है। मैं जानता हूं कि एजुकेशन की एक बहुत ही ओल्ड और राटेन थ्योरी है, जिस में यह है कि "स्पेयर दि राड ऐंड स्प्वायल दि चाइल्ड" यानी छड़ी छूट गयी और बच्चा बिगड़ गया। आज के युग में प्रत्येक बालक को इस बात के लिए बाध्य करना कि तुम को सैनिक शिक्षा लेनी होगी, तुमको छड़ी के सहारे एजुकेशन सीखना होगा,बड़ी ही भयावह बात है,मैं समझता हूं कि यह इस देश के जीनियस को पीछे ले जाने वाली बात है। अगर 'रवी बाबू' की बात मैं यहां पर उद्धृत कर दूं तो बुरा नहीं होगा। उन्होंने ८ वें दर्जे में पढ़ाई इस लिए छोड़ दी, कि उन के मास्टर छड़ी का प्रयोग करते थे। उन्होंने लिखा है कि उन के बचपन में उन्हें "उन के मास्टर, स्याह तख्ता और स्कूल की बिल्डिग दैत्य के समान दिखायी देती थीं"। तो प्रत्येक बालक को सैनिक शिक्षा देना या शिक्षा योजना में कुछ ऐसा परिवर्तन करना जिस से सब को सैनिक शिक्षा लेनी पड़े उचित नहीं होगा। इस क्षेत्र में जो यह कम्पल्सरी किया जा रहा है, उचित नहीं होगा। वालन्टरी होना चाहिए। जो लोग चाहते हों, सैनिक शिक्षा लेना, उन्हें आप सैनिक शिक्षा दीजिये। इस बात को स्वेच्छा पर आधारित होना चाहिए। हर बालिग सैनिक शिक्षा जरूर ले, यह बात सिद्धान्ततः मुझे गलत मालूम होती है।

श्रीमन्, मुझे तो ऐसा लगा, कि मन्त्री महोदय न नारी को किसी कवि के कथनानुसार : "नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पदतल में, पीयूषधार सी बहा करो" केवल श्रद्धा की वस्तु मान रखा है। अगर उन्होंने नारी को सरस्वती माना है तो उन्हें उसको दुर्गा भी मानना पड़ेगा, लक्ष्मी भी मानना होगा। उस को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विकसित होने का पूरा-पूरा अवसर देना चाहिए। संविधान में तो हम कहते हैं कि सेक्स के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन काम डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर करते हैं। यह उचित नहीं है। मैं नम्र निवेदन करता हूं क्योंकि मुझे स्मरण है कि जिस दिन नारी पुलिस का जिक्र हो रहा था, एक सदस्या ने प्रश्न पूछा था और माननीय मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया था कि उन के अन्दर झगड़े हुआ करते थे, इस लिए उस योजना को हम ने स्थगित कर दिया और भी बहुत सी बातें थीं। मैं तो समझता हूं कि हजारों कठिनाइयों के बावजूद भी यह प्रवृत्ति भयावह है। यह प्रवृत्ति मनु की प्रवृत्ति हो सकती है, जो नारी को पुरुष के बराबर नहीं देख सकते थे, जर्मन दार्शनिक 'निस्ते' की प्रवृत्ति हो सकती है, किन्तु समाजवादी राज्य की कल्पना करने वालों की यह प्रवृत्ति नहीं हो सकती, नहीं होनी चाहिए। उनका नारी और पुरुष में विवेक करना मुझे उचित नहीं प्रतीत होता।

श्रीमन्, इन तमाम त्रुटियों को देखने क बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि इसके नाम को बदला जाना चाहिए। माननीय मन्त्री जी ने जैसे इसके उद्देश्य बतलाये हैं, यदि उन को मान लिया जाय तो इस बिल का नाम होना चाहिए "शारीरिक तथा सामाजिक प्रशिक्षण विधेयक"। इस बिल का नाम जिस किसी सज्जन ने रखा है, मैं उन्हें धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता। मैं ने शिक्षा बजट पर बोलते समय सदन में निवेदन किया था कि इन्टरमीडियेट बोर्ड के स्थान पर नाम एजुकेशन बोर्ड होना चाहिए। एक ऐसा ही प्रयास इस में जरूर किया गया है। नाम रखा गया है स्टेट एजुकेशनल कोड बिल, लेकिन जहां तक इसकी कार्यपरिधि का सम्बन्ध है, यह केवल हायर सेकेन्डरी स्कूलों तक के, केवल इन्टरमीडियेट के विद्यार्थियों तक ही यह विधेयक सीमित है।

मैं जानता हूं इस में आप की जो कठिनाई है। आप ने कहा था कि एन० सी० सी० से पहले से ही हम इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। हमारे मन्त्री जी ऐसे नगर से आते हैं कि जिस में एन० सी० सी० के पहले से यू० टी० सी० चल रही है। काशी विश्वविद्यालय में और काशी नगर में उसने जो कार्य किया है उसे काशीनिवासी भली प्रकार जानते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि यह कोई नवीन कल्पना हो। यह कल्पना और प्रयास सब से पहले महामना के मन में उठा था और काशी विश्वविद्यालय में काफी अरसे तक काम हुआ और अब स्वाराज्य, प्राप्ति के बाद, १९४७ में यह पहला प्रयास यहां हुआ।

[श्री रामायणराय]

सन् १९४७ में आपने कम्पल्सरी मिलिटरी एजुकेशन और १९४७ में ही आप ने सोशल सर्विस ट्रेनिंग आरम्भ की और अब आपने इस में दोनों का सामन्जस्य प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो ऐसी बात नहीं है कि आप का यह मौलिक प्रयास न हो। इस दिशा में जो प्रयास किया गया है और उस प्रयास के करने में जो त्रुटि रह गयी है उसे आप को जानना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप नहीं जानते हैं। ऐसा भी मैं क्यों कहूं कि आप का उद्देश्य खराब है, लेकिन मैं यह सही कह रहा हूं और मुझे यह दोहराना पड़ता है कि यह बिल एक प्रकार से टोटलिटेरियन मनोवृत्ति का द्योतक है। इस बिल के रूप में आप की यह अभिव्यक्ति है। मैं समझता हूं कि शिक्षा जगत में यह प्रयास अधिकाधिक भयावह सिद्ध होगा। इस लिए मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं कि जैसा मेरा विश्वास है कि इसके पीछे एक पवित्र उद्देश्य है उस पवित्र उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं निवेदन करूंगा कि आप विशेषज्ञों को बुलायें और उन की सलाह पर एक नवीन बिल फ्रेम किया जाय। लेकिन मिलिटरी कमान्डर से हमारे बालकों की शिक्षा नहीं हो सकेगी। इसकी सलाह के लिए कुछ ऐसे लोग होने चाहिएं जो 'यूथ गाइडेंस' को समझते हों, जो युवकों की सही दिशा को बतला सकें। ऐसी योजना लायेंगे तो विद्यार्थियों में अनुशासन आ सकता है।

विद्यार्थियों के अनुशासन का प्रश्न ऐसा है कि जिस के साथ इस तरह के सवाल जुड़े हुए हैं जिनकी उपेक्षा करके आप उन में अनुशासन नहीं ला सकते हैं। आज उनका भविष्य अन्धकार में है जिसके विषय में कोई निश्चय नहीं है कि कल क्या होने वाला है। प्रत्येक क्षेत्र में अनिश्चितता है। यही महान् कारण है कि विद्यार्थियों में एक अनुशासनहीनता की भावना पैदा हुई है।

उस के बाद आज शिक्षा की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में असंगति है। इस सबजेक्ट का जो सोशल मूल्य है उस में और उस के उद्देश्यगत विषयों में, काफी अन्तर है। एक विद्यार्थी सर्वप्रथम यह चेष्टा करता है कि उसका ऐडमिशन मेडिकल कालेज में या इंजीनियरिंग कालेज में हो जाये। इत्तफाक से अगर वह वहां पर असफल रह जाता है तो फिर वह आर्ट की तरफ जाता है। ऐसा यह नहीं है, कि विद्यार्थी के अन्दर जो प्रतिभा छिपी हुई है, उस प्रतिभा के अनुकूल शिक्षा दी जाती हो।

अनुशासन के प्रश्न का जहां तक सम्बन्ध है अनुशासन शिक्षा से इस प्रकार ऐडजस्ट होना चाहिए जिससे विद्यार्थी के मस्तिष्क में किसी प्रकार से अनिश्चित भविष्य का प्रतीक भाव न उपन्न हो। उस के दिमाग में एक क्लियर चीज होनी चाहिए। इस प्रकार की बातों से ही अनुशासन का सम्बन्ध है। यदि "स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन" की कल्पना करना है तो सारी आवश्यकता इस बात की है, कि इस ध्येय की पूर्ति के लिए विशेषज्ञों को बैठाकर इसके सामन्जस्य को साथ लेकर कोई योजना सदन में उपस्थित करें। इस बिल से आप के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होगी। मैं माननीय मन्त्री जी से फिर प्रार्थना करता हूं कि वह इस बिल को कृपा कर प्रवर समिति में भेजने का कष्ट करें, और फिर प्रवर समिति से वापस आने पर इस बिल पर विचार किया जा सकता है।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—मैं यह निवेदन करता हूं कि यदि प्रवर समिति का सुझाव माननीय मन्त्री जी स्वीकार कर लें तो क्या हमारा कार्य कुछ जल्दी खत्म होने की सम्भावना हो सकती है।

श्री अधिष्ठाता—ऐसी सम्भावना नहीं मालूम होती।

श्री भगवती प्रसाद दुबे (जिला गोरखपुर)—अधिष्ठाता महोदय, मैं इस विधेयक का हृदय से स्वागत करता हूं। कुछ भाई इसमें सन्देह प्रकट करते हैं। मैं उनसे निश्चय रूप से और नम्रतापूर्वक यह कहता हूं कि 'संशयात्मा विनश्यति' तो संशय छोड़ देना चाहिए।

इस विधेयक के पीछे हमारे नवयुवकों को उन्नत बनाने का संकल्प है। हम आज इस युग में भीतरी और बाहरी कशमकश में चल रहे हैं जिस के ऊपर यहां विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु हम को राज्य चलाना है और व्यासजी ने कहा है 'वीरभोग्या वसुन्धरा'। तो इस विधेयक की आवश्यकता है।

आज जब हम अपने विद्यार्थियों को देखते हैं तो मुझे वियोगी हरि जी का दोहा याद आ जाता है : "कहा कवच ये धारि हैं लचकीले मृदु गात, सुमन हार के भार ते तीन-तीन बल खात"। परन्तु जो शासन प्रणाली और सरकार इस देश में है उस की यह लोगैसी (देन) नहीं है। यह विदेशी राज्य के समय से ही चला आ रहा है। हमें सैनिक शिक्षा देते समय इस दोहे को अपने सामने रखना होगा।

यद्यपि पूरी शिक्षा प्रणाली इस विधेयक में नहीं है, लेकिन जब हम कार्य आरम्भ करेंगे तो सारी शिक्षा पर हम को विचार करना होगा और सरकार की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जायगी। हमारे शिक्षा मन्त्री जी काशी के हैं जो गुरुओं की नगरी है। उनका हृदय, शरीर और बुद्धि विशाल है, और मुझे आशा है कि प्रवर समिति में सरकार की जिम्मेदारी पर ध्यान रखा जायगा कि सारी शिक्षा पर विचार किया जाय। हमारे स्कूलों में विद्यार्थियों पर, उन के शरीर पर और मस्तिष्क पर बहुत भार है, उसे हलका किया जाय, यह प्रवर समिति में विचार करने की बात है। आज इस का विषय नहीं है, लेकिन मैं आशा करता हूं कि प्रवर समिति में कोई न कोई रास्ता इस के लिए निकल आवेगा। शिक्षा मन्त्री जी इसका कहीं न कहीं से सामंजस्य कर के इस कार्य को करेंगे। बहुत से विचार माननीय मन्त्री जी की जानकारी के लिए व्यक्त किये जा रहे हैं और उनका जवाब देना समय ही बरबाद करना होगा। मैं यह नहीं समझ पाया कि यह कह कर इस विधेयक को विरोध किया गया कि सभी बच्चों को यह शिक्षा नहीं देनी चाहिए और साथ में नारियों का भी आवाहन किया जाता है। इस लिए विरोध का मेल ठीक नहीं बैठता है। राज्य की रक्षा की जिम्मेदारी सभी के ऊपर है। स्त्रियों की शिक्षा की बात मन्त्री जी के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। सरकारी शक्तियां और साधन सीमित हैं। जल्दी करके हम सारे समाज को एक साथ ऊंचा नहीं उठा सकते।

फिर मैं अन्त में इस विधेयक का समर्थन करता हूं और निवेदन करता हूं कि इसे प्रवर समिति में अवश्य जाना चाहिए और वहां विचार करके इसका पूर्णरूप होकर सदन में आवे।

**श्री बंशीधर शुक्ल** (जिला खीरी)—माननीय अधिष्ठाता जी, दो मिनट बाकी हैं, उसमें कुछ कह तो मिलेगा नहीं, मगर इतनी बात मैं अवश्य कहूंगा कि . . .

**श्री अधिष्ठाता**—और समय आपको कल मिलेगा।

**श्री बंशीधर शुक्ल**——हमारे सामने सैनिक शिक्षा सम्बन्धी बात कही जा रही है। मैं चाहता हूं कि भारतवर्ष का प्रत्येक बच्चा सैनिक हो। अगर सैनिक शिक्षा की बात कही जा रही है तो मैं तो कहूंगा कि हमारे ऊपर विश्वास नहीं है। हमारे यहां प्रत्येक नौजवान सैनिक है। अंग्रेजों ने कल भरती की और परसों लेजाकर मैदान में लाद दिया और कटवा दिया। आप कौन सी सैनिक शिक्षा देंगे सिवाय इस के कि पैर चटकाओ, हाथ मटकाओ, ताली बजाओ और चटकीली वर्दी पहनाना है। अगर आप को सैनिक शिक्षा देनी है तो लाठी, कुश्ती इत्यादि छोड़कर ऐटम बम बनाना सिखाइये। आप खर्चा न बढ़ावें। आज देश में उस चीज की जरूरत है जिस से पेट भरे। सैनिक शिक्षा के बेकार के ढकोसले की कोई जरूरत नहीं है। खेती, हिन्दी भाषा, प्रान्तीय बोली, पैतृक पेशा, ये बिना सिखाये ही लोगों में आजाते हैं। लाठी चलाना, कुश्ती, दरख्त पर चढ़ना, खेत जोतना, खाना पकाना, नाचना कविता कहना ये पैदाइशी चीजें होती हैं। अगर आप इन्हें सिखाते हैं तो इसके माने हैं कि आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। आप बच्चों को यूरोप की शिक्षा से सत्यानाश कर रहे हैं। आप हजारों ग्रैजुएट हर साल गरीब किसान की रीढ़ की हड्डी पर लादते हैं। सैनिक शिक्षा होनी चाहिए मगर चार

[श्री वंशीधर शुक्ल[

कामों के लिए सरकार बनती है जैसा मैंने उस दिन भी कहा था। रक्षा, शिक्षा, उत्पादन और न्याय। रक्षा आप ने खत्म कर दी। आज यहां से अमीनाबाद तक कोई मनुष्य सुरक्षित नहीं जा सकता है। शिक्षा में सिवाय नौकरी के और कोई बात नहीं है। उत्पादन की यह हालत है कि आज हमारे लखीमपुर जिले में १६ लाख मन गन्ना खड़ा है और आप कहते हैं कि नहीं। न्याय के लिए कहा ही क्या जाय।

श्री अधिष्ठाता—अब आप कल बोलेंगे।

## पंचायतराज नियमावली के संशोधनों पर विवाद

### नियम २३

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि पंचायत राज नियमावली के नियम २३ के उप-नियम (२) की पंक्ति २ में शब्द 'all the' के स्थान पर शब्द 'one of the' रख दिये जायं।

श्रीमन्, मेरा संशोधन बहुत छोटा सा है, और मैं समझता हूं माननीय मन्त्री जी इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे। उसके विषय में मैं दो एक बातें ही कहना चाहता हूं वह यह हैं कि पंचायतों के चुनावों में कोई विशिष्ट व्यक्ति दो जगहों पर चुन लिया जाता है . . .

श्री अधिष्ठाता—उग्रसेन जी, अच्छा हो यदि आप पहले यह बता दें कि नियम २३ में क्या लिखा हुआ है।

श्री उग्रसेन—नियम २३ में दिया हुआ है कि यदि कोई सदस्य किन्हीं दो स्थानों पर चुन लिया जाता है और यदि निश्चित समय के अन्दर वह किसी एक जगह से इस्तीफा नहीं देता तो इस के बारे में नियम यह है कि दोनों पदों से उसका नाम काट दिया जाता है और वे पद रिक्त घोषित कर दिये जाते हैं। इस लिए मेरा संशोधन यह है कि 'all the' के स्थान पर शब्द 'one of the' रख दिये जायं।

श्रीमन्, पंचायत हमारी सब से अन्तिम इकाई डेमोक्रैटिक सेट-अप में है। इसके चुनावों के द्वारा जनतंत्र प्रणाली का प्रवेश होता है। हमारे सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि हमारे यहां साक्षरता का प्रतिशत २० फी सदी से कम है। विदेशों में जहां शतप्रतिशत साक्षर हैं वहां तो ऐसी बात हो सकती है, लेकिन एक छोटी सी कानूनी पेचीदगी को लेकर एक बड़े अधिकार की हत्या कर देना उचित नहीं मालूम पड़ता। संविधान से हमें एक नागरिकता का अधिकार मिला है और जनता उस को पालन करने के लिए किसी को चुनती है तो सिर्फ इस कारण से कि उसने एक निश्चित समय में एक पद से इस्तीफा नहीं दिया, दोनों पदों को खारिज कर दिया जाय। हो सकता है कुछ कानूनी कठिनाई हो, पीपुल्स रिप्रेजेन्टेशन ऐक्ट में भी कुछ ऐसी व्यवस्था की हुई हो, कि दोनों पदों से इस्तीफा न देने की हालत में नाम खारिज कर दिया जायगा, फिर भी यह चीज ठीक नहीं मालूम होती। असेम्बली और संसद् में काफी पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें देश के लिए बड़े बड़े कानून बनाने पड़ते हैं लेकिन गांव पंचायत में तो कोई विधेयक तैयार नहीं होता, उस का सम्बन्ध तो गांवों की व्यवस्था, गांवों की हालत को सुधारने, सड़कों आदि को ठीक रखने से होता है। इस काम को वही लोग कर पाते हैं जो प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं, जिनको जनता अपने मत से चुन कर भेजती है। सम्भव हो सकता है इस में कानूनी अड़चनें हों, सम्भव हो सकता है कि इस सम्बन्ध में जो नियम बने हुए हैं उनके अनुसार यह न हो सकता हो लेकिन फिर भी इतना तो कर ही देना चाहिए कि अगर वह समय पर इस्तीफा न दे पायें, तो भी तो पंचायत विभाग को यह अधिकार होगा कि वह उसको किसी एक पद से हटा दे, उसका नाम काट दे, लेकिन एक पद पर उसका नाम अवश्य बना रहा। श्रीमन्, जब माननीय मंत्री जी

मेरा यह सुझाव मान जायं तो मैं समझता हूं कि दूसरा जो मेरा संशोधन है कि निश्चित समय के अन्दर जो भी स्थान हो, उस की पूर्ति हो जानी चाहिए, उस की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है और उसे मैं वापस ले लेना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि जनता की अन्तिम इकाई द्वारा न्याय सुलभ कराने में अगर थोड़ी सी कोई कानूनी पेचीदगी भी पड़े तो माननीय मन्त्री जी उसको ध्यान में रखेंगे और उसे जरूर स्वीकार करेंगे।

जहां तक सूचना देने का प्रश्न उठता है, उन को सूचना कैसे दी जाती है? मैं जानता हूं कि पंचायत विभाग के सेक्रेटरी और निरीक्षक महोदय डुग्गी करवा देते हैं और एक आदेश पंचायत सेक्रेटरी के पास भेज देते हैं। लेकिन मैंने यह देखा है जब से पंचायत ऐक्ट इस प्रदेश में लागू है तब से कहीं पर भी किसी के पास लिखित नोटिस नहीं जाती है और न उनका दस्तखत ही कराया जाता है। बहुत से स्थानों पर तो ठीक से नोटिस न मिलने के कारण सही न्याय पंचायतों में नहीं मिल पाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक पद पर जरूर बने रहना चाहिए।

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि जनतांत्रिक प्रणाली में न्याय इकाई में जो गांव पंचायत से चुन कर आते हैं, अगर वहां पर कोई इस तरह की चीज रख दी जाती है, तो उसका नतीजा यह होता है कि पंचायतों के अन्दर गुटबन्दी होती है, और पार्टीबाजी घुस जाती है, और जिन उसूलों को लेकर, जिन सिद्धान्तों को लेकर और जिन उच्चादर्शों को लेकर पंचायत-राज कायम किया गया है, वह राम राज्य का उद्देश्य पंचायत विभाग के एक आदेश द्वारा, इस उपनियम द्वारा ही पूरा नहीं हो पाता है। इस लिए न्याय के नाम पर, जनतांत्रिक प्रणाली के नाम पर और देश में साक्षरता नहीं है, पढ़े लिखे लोग समाज में अधिक नहीं हैं, इस लिए माननीय मन्त्री जी बिना ज्यादा समय लिये इस संशोधन को मान जायं और जब वे इसको मान लेते हैं तो हमारा जो दूसरा संशोधन है, उस की आवश्यकता नहीं पड़ती है और मैं मजबूर हूंगा कि अपने उस संशोधन को वापस ले लूं। मैं स्वीटजरलैन्ड का उदाहरण देना चाहता हूं जहां डाइरेक्ट डेमोक्रैसी है। डाइरेक्ट डेमोक्रैसी में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है लेकिन वहां का ज्वलन्त उदाहरण और प्रमाण है कि जब उन के सामने कठिनाइयां आयीं, तो उन्होंने कानून को कुछ हटा कर काम करना ही उचित समझा। फिर अगर हमारे यहां भी कुछ कानून से हट कर कोई काम करना पड़े तो उसको ठीक कर लेना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करता हूं कि माननीय मन्त्री जी मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर लें जो कि मैंने सदन के सामने रखा है।

श्री अधिष्ठाता--माननीय स्वशासन मन्त्री . . .

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--एक माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए हैं।

श्री अधिष्ठाता--आखिर हम कैसे जानें कि वे बोलना चाहते हैं, पहले तो उठते ही नहीं, बैठे ही रह जाते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--इसकी कोई सूचना भी तो आपको दे दी गयी होगी?

श्री अधिष्ठाता--मगर इसको समझ लें कि अगर खत्म नहीं होगा तो लैप्स कर दिया जायगा। जो दो संशोधन हैं उनको समय के अन्दर आज हो जाना चाहिए। अगर ये समय के अन्दर नहीं होंगे तो लैप्स हो जायंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी--किस नियम के अनुसार?

श्री अधिष्ठाता--आधा घंटा टाइम इस पर डिस्कशन करने के लिए निर्धारित किया गया है, आधे घंटे में इसे खत्म हो जाना चाहिए।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या ऐडवाइजरी कमेटी ने कोई समय निर्धारित किया है ?

श्री अधिष्ठाता--इसके लिए आधा घंटा टाइम निश्चित किया गया है । ऐडवाइजरी कमेटी की बात मुझे नहीं मालूम है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--कोई टाइम निश्चित नहीं किया गया है ।

श्री अधिष्ठाता--जहां तक सेक्रेटरी से मुझे मालूम हुआ है, शाम के ५ बजे तक का समय है । अगर आप और समय बढ़ाना चाहें तो दूसरी बात है, नहीं तो यह ५ बजे तक खत्म हो जायगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--यह कल भी जारी रह सकता है ।

श्री उग्रसेन--इसके लिए कोई समय नहीं रखा गया था ।

श्री अधिष्ठाता--नियमावली में है कि कोई संशोधन पर डिस्कशन होता है तो उस के लिए समय आधा घंटा दिया जाता है । आधा घंटा तक आप डिस्कस कर लीजिये, अगर फिर समय बढ़ाने का प्रस्ताव होगा, तो समय बढ़ाया जा सकता है । ऐसे इसके लिए केवल आधा घंटा समय स्पीकर साहब ने निर्धारित किया था । अगर आप बोलना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री उग्रसेन--श्रीमन्, ५ मिनट तो इसी में निकल गये ।

श्री अधिष्ठाता--अब इसके लिए क्या किया जाय ?

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)--अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटा और बढ़ा दिया जाय ।

स्वशासन मंत्री के सभासचिव (श्री रामस्वरूप यादव)--मैं इसकी सम्मति नहीं दे सकता और इसके लिए असमर्थ हूं ।

श्री अधिष्ठाता--फिर क्या हो सकता है ?

*श्री रामस्वरूप यादव--अधिष्ठाता महोदय, मुझे खेद है कि जो संशोधन श्री उग्रसेन जी द्वारा नियम २३ में दिया गया है उसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता । यह नियम कोई नया नियम नहीं है बल्कि पहले भी १९ (जे जे) में और नियम २३ में यह था कि अगर कोई व्यक्ति गांव सभा और गांव पंचायत के दो स्थानों में चुन गया है तो उसे एक से इस्तीफा देना होगा । पहले उस के लिए दस दिन का समय था १९ नियम के अनुसार और २३ के अनुसार ३० दिन का समय था । समय की समानता लाने के लिए यह आवश्यक हुआ कि दोनों को एक कर दिया जाय और उन दो नियमों को हटाकर नियम २३ यह रखा गया है । इस के अनुसार यह आवश्यक है कि कोई व्यक्ति गांव पंचायत और न्याय पंचायत का दोनों का सदस्य नहीं रह सकता और दो गांव सभाओं में भी सदस्य नहीं रह सकता । मेरा निवेदन है कि जिस तरह से माननीय सदस्य ने संशोधन दिया है कि 'आल दि' के स्थान पर शब्द 'वन आफ दि' रख दिये जायं, तो उस के मानने से अंग्रेजी का जो सेंटेंस है उस के माने ही कुछ नहीं रह जाते । जो शब्द अंग्रेजी के हैं वह यह है कि--

"in the event of failure of the person to resign in accordance with the provisions of sub-rule (1) all the offices or seats, as the case may be, to which he has been elected shall become vacant".

अगर 'आल दि आफिसेज' की जगह 'वन आफ दि आफिसेज' कर भी दिया जाता है तो उसका कोई आशय ही नहीं रह जाता । लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य ने अभी कहा है कि उस को

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

एक जगह के लिए रख दिया जाय तो उस स्थिति में अगर इस बात को हम स्वीकार कर लें तो प्रश्न होता है कि उस को किस जगह पर रखा जाय और इस का निर्णय करने की जिम्मेदारी किस पर हो। जब दोनों ही स्थान रिक्त होंगे, तो उन दो रिक्त स्थानों में से किस पर उस को बनाये रखा जाय और किस पर से इस्तीफा दिलाया जाय उस की जिम्मेदारी हमें किसी अधिकारी पर देनी होगी, कि वह कहां पर उसे रहने दे। यह भी उचित नहीं मालूम होता।

दूसरे यह नियम बहुत पहले से प्रचलित है और माननीय सदस्य ने स्वयं इस को स्वीकार किया है कि पीपुल्स रिप्रेजेन्टेशन ऐक्ट में भी ऐसा ही नियम है।

जहां तक यह प्रश्न है कि हमारे गांवों में बहुधा ऐसे लोग हैं जो जानते नहीं कि नियमों में क्या है और उस अनजानकारी से उन्हें हानि होने की सम्भावना रहती है, मैं निवेदन करूंगा कि अब इस चीज के ज्यादा प्रचार करने की वहां गुंजाइश नहीं है और वहां पर लोगों को काफी जानकारी नियमों की हो चुकी है, वहां चुनाव भी हो चुके हैं, हमें शिक्षा तो केवल उन्हीं को देना है जो पढ़े लिखे न हों, वह सब जानते हैं कि एक व्यक्ति एक समय में दो स्थानों पर नहीं रह सकता। अगर आंकड़े भी देखे जायं, तो प्रदेश में कोई ऐसी जगह न होगी जहां ऐसी गलती हुई हो। फिर घोषणा होने के बाद ३० दिन के अन्दर इस्तीफा दिया जा सकता है। इस लिए मुझे खेद है कि अगर इसे स्वीकार किया जायगा तो इस से और भी दिक्कतें पड़ जायंगी और मैं इसे स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

*श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)---मान्यवर, मैं श्री उग्रसेन जी के संशोधन का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे माननीय मन्त्री जी के भाषण के उपरान्त केवल इतना कहना पड़ता है कि यह नहीं समझ पाते हैं कि किस तर्क के आधार पर वह यह कहना चाहते हैं कि इस में बड़ी कठिनाइयां हो जायंगी, या जिस तरह से उन्होंने उस को पढ़ा उस में कौन सी आपत्ति और विपत्ति आ जायगी कि जिस की वजह से ऐसे निर्दोष संशोधन को स्वीकार करने में वह अपने को असमर्थ पा रहे हों। सीधी सी बात है कि जहां पर उस में 'आल दि आफिसेज' है उसकी जगह पर 'वन आफ दि आफिसेज' हो जाय, इस में क्या आपत्ति आ जाती है?

जब वह इसका मुकाबला रिप्रेजेन्टेशन आफ पीपुल्स ऐक्ट से करना चाहते हैं तो सम्भवतः वह भूल जाते हैं कि पंचायतों के चुनावों के लिए आप ने जो नियम रखे हैं वह रिप्रेजेन्टेशन आफ पीपुल्स ऐक्ट के बिलकुल विरुद्ध हैं। आज पंचायतों का जो चुनाव होता है उस में सीक्रेसी और बैलट पेपर नहीं है। हाथ उठा कर वोट दिया जाता है। आप ने वह क्यों नहीं रखा? सिर्फ इस लिए नहीं रखा कि वह कर नहीं सकेंगे। लिहाजा पंचायत की असेम्बली या पार्लियामेंट के चुनावों से तुलना करना उसी लेविल पर रखना अनुचित है। देहात के लोग यह क्या समझें, बहुत समझदार, पढ़े लिखे भी भूल करते हैं। मैं यह जानता हूं कि बहुत से लोग जो कि पार्लियामेंट के मेम्बर चुने जाते हैं और स्टेट असेम्बली के लिए भी चुने जाते हैं उन के लिए भी देखना पड़ता है कि उसकी परिस्थिति क्या होगी। फिर जो साधारण पढ़े लिखे हैं, जो कि पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी के नियमों और उपनियमों के बारे में जानते नहीं उन से यह कहा जाय, यह अनुचित है। मामूली सी बात है आप के पास पंचायत इन्स्पेक्टर, पंचायत सेक्रेटरी हैं। उन के द्वारा आप उन से एक पद का इस्तीफा मंगवा लीजिये। ऐडमिनिस्ट्रेटिव प्वाइन्ट आफ व्यू से क्या कठिनाई है? अगर कोई इस्तीफा नहीं देता है, तो एक पद से उस को डिसमिस किया जा सकता है। लेकिन यह परिस्थिति ही उपस्थित नहीं होगी। जैसे उस को मालूम होगा कि उसे काननन इस्तीफा दे देना चाहिए वह फौरन दे देगा। लेकिन आप कहते हैं कि अभी तक कोई मिसाल नहीं है। मेरे पास फैक्ट्स ऐन्ड फीगर्स नहीं हैं। लेकिन वह केवल ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट मंगा कर देख लें और पता लगवा लें मैं दावे के साथ उन को चुनौती देता हूं उन्हीं का स्टाफ यह कहेगा कि इस में बहुत सी कठिनाइयां हो सकती हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेशप्रताप सिंह]

श्रीमन्, मैं यह भी बतलाना चाहता हूं, मुझे पश्चिमी यू० पी० के सम्बन्ध में जानकारी नहीं है लेकिन पूर्वी यू० पी० के लिए मैं कह सकता हूं कि बहुत सी पंचायतें ऐसी हैं जहां पर सीट्स अब भी खाली हैं। अब उनका यह कहना कि लोग इसके पास नहीं आना चाहते, आप हर तरह का प्रोत्साहन देना चाहते हैं। अगर वह इस्तीफा देने की बात नहीं समझ पाता है तो वह एक प्योरली टेक्निकल चीज है। आप उस को दोनों पदों से हटा देना चाहते हैं। अतः मैं आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय इस संशोधन को स्वीकार करेंगे और फाल्स नोशन आफ प्रेस्टीज के कारण वह इसको अस्वीकार नहीं करेंगे। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि स्वीकार न किया जाय।

*श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मुझे इस विवाद में इस प्रकार हिस्सा लेने की आवश्यकता तो नहीं थी लेकिन माननीय सभासचिव महोदय के निवेदन के बाद मैं यह समझता हूं कि इस सम्बन्ध में कुछ अधिक स्पष्टीकरण आवश्यक है।

श्रीमन्, अगर आप इस संशोधन को और जिस उपनियम के हेतु यह संशोधन प्रस्तुत किया गया है इन दोनों को देखने का कष्ट करेंगे तो आपको पता होगा कि उस त्रुटि को दूर करना जिसकी ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया गया बहुत ही आवश्यक है। माननीय सभा सचिव की यह दलील कि चूंकि अब पंचायतों के आम चुनाव हो चुके हैं इसलिये हम अपनी गलती दुरुस्त न करें, इसमें कोई शक्ति नहीं है। यह निर्जीव तर्क उन्होंने प्रस्तुत किया। अगर कानून में किसी भी समय त्रुटि दृष्टिगोचर होती है तो सदन का और सदन के प्रत्येक सदस्य का यह पवित्र कर्त्तव्य है कि उस त्रुटि को जब भी अवसर प्राप्त हो सके उसे दूर करें। दुर्भाग्य तो हमारा यह है कि जिस नियम के सम्बन्ध में ग्राम सभाओं के आम चुनाव होने से पहले विवाद हो जाना चाहिये था उसके सम्बन्ध में आज विवाद हो रहा है। मैं इसके लिये किसी को दोषी नहीं ठहराता कि क्यों इस विवाद में इतनी देरी हुई, लेकिन मेरी यह मांग अवश्य होगी कि अगर सरकार इस नियम को त्रुटिपूर्ण समझती है और यह नियम त्रुटिपूर्ण है तो अत्यावश्यक है कि हम इस संशोधन को जरूर स्वीकार करें।

दूसरा जो मेरा बुनियादी एतराज है वह यह है कि नियम ऐक्ट की परिधि के बाहर नहीं जा सकते। इस उपनियम के अनुसार आप क्या कर रहे हैं? ऐक्ट की जो धारा होनी चाहिये थी उसको आप नियम में ला रहे हैं। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का यह प्रिंसिपुल नहीं है कि जो अधिकार ऐक्ट में सरकार को मिलना चाहिये, सरकार उसको नियमों के द्वारा ले। श्रीमन्, आप देखेंगे कि उपनियम (२) जो है वह यहां तक अधिकार देता है कि सीट वेकेंट हो जायगी सारी की सारी, जैसे मान लीजिये कोई व्यक्ति तीन आफिस में एक साथ चुना जाता है और वह इस्तीफा नहीं देता है तो इस नियम में अधिकार यह दे रहे हैं कि तीनों सीटें आटोमेटिकली वेकेंट हो जायंगी। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का सिद्धांत यह है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के द्वारा हम नियम और उपनियम बनाने की शक्ति अवश्य ले सकते हैं लेकिन ऐक्ट की धाराओं को रिप्लेस करने की शक्ति नहीं ले सकते। तो इसका अधिकार अगर कोई होना चाहिये था तो वह ऐक्ट के अन्दर होना चाहिये था न कि रूल्स के मातहत।

जहां तक माननीय उग्रसेन जी के संशोधन का सवाल है, इसमें मैं समझता हूं उनको एक शाब्दिक संशोधन अवश्य कर लेना चाहिये। जहां वह एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि एक सीट वैकेंट होगी, मेरा खयाल है कि उनका मन्तव्य यह है कि बाकी सब सीटें वैकेंट हो जायेंगी, एक सीट में वह एलेक्टेड रहेगा। मान लीजिये तीन में वह चुना गया तो अगर वह इस्तीफा नहीं देता तो दो सीटें वैकेंट हो जायेंगी और एक में वह एलेक्टेड रहेगा। तो इस प्रकार अगर हम इस संशोधन को दुबारा लिख लें तो मैं समझता हूं कि यह माननीय मंत्री जी को भी मान्य होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता---मगर जो अमेंडमेंट उन होंनेदिया है उससे तो वही मतलब निकलता है, यह तो उससे नहीं निकलता ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---मगर उनका मतलब यही है ।

श्री अधिष्ठाता---आप उनकी वकालत कर रहे हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---जी मैं इंटरप्रेट कर रहा हूं उसको और माननीय मंत्री जी का ध्यान में आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता---वह एक जरूरी मसले पर बात कर रहे हैं और आपके फायदे के लिये ही बात कर रहे हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---मैं यह निवेदन कर रहा था कि माननीय उग्रसेन जी की मंशा यह नहीं कि तीन में वह एलेक्ट हो गया तो केवल एक वेकेंट होगी और बाकी में वह एलेक्टेड रहगा । उनका मंशा यही है कि एक में वह एलेक्टेड रहेगा और बाकी सीटें वैकेंट हो जायेंगी । मैं समझता हूं कि इस त्रुटि को दुरुस्त करने में माननीय मंत्री जी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।

इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन के तात्पर्य का समर्थन करता हूं । शाब्दिक संशोधन का नहीं ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)---अधिष्ठाता महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि इस विषय पर वादविवाद समाप्त किया जाय ।

श्री सुरथ बहादुर शाह (जिला खीरी)---अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करूंगा कि इसके लिये २० मिनट का समय बढ़ा दिया जाय यदि मन्त्री महोदय इसके लिये सहमत हों ।

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां, २० मिनट बढ़ा दिया जाय, मुझको कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता---इसमें किसी को एतराज तो नहीं है ?

(कोई आपत्ति नहीं की गई ।)

तो अब ५ बजकर २० मिनट तक हम बैठेंगे ।

श्री शिवराजबहादुर (जिला बरेली)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, दो चीजें हैं ...

श्री अधिष्ठाता---मगर एक बात मैं आपसे कहूंगा कि रेपिटीशन नहीं होना चाहिये ।

*श्री शिवराजबहादुर---इसीलिये मैंने अपने बोलने का तरीका बदल दिया है ।

दो चीजें होती हैं । एक मिस्टेक आफ फैक्ट और एक मिस्टेक आफ ला । मिस्टेक आफ फैक्ट तो काबिले माफी है । मान लीजिये कि एक आदमी जंगल में शिकार कर रहा है । वहां पर एक भेड़िया छिपा हुआ बैठा है । उसको मारने के लिये वह तीर छोड़ता है और वहां पर एक आदमी बैठा हुआ है, उस तीर से वह मर जाता है, तो यह कानून की जद में नहीं आता, यह काबिले माफी है, यह मिस्टेक आफ फैक्ट है । लेकिन कानूनी गलती अगर कोई होती है, मिस्टेक आफ ला अगर कोई है तो वह काबिले माफी नहीं है । इस वक्त सवाल यह पेश है कि एक आदमी कई जगह एलेक्ट हो जाता है । वह इस्तीफा अगर नहीं देता है तो वह सभी जगहों से मुस्तफी हो जायगा या एक जगह से । तो यह फैक्ट की बात तो है नहीं, इसलिये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री शिवराज बहादुर]

काबिले माफी नहीं है। यह एक कानूनी बात हो जाती है। एक आदमी कई जगह से चुनकर आता है। एक मुद्दत मुकर्रर है। उस मुद्दत के अन्दर उसको इस्तीफा दे देना चाहिये। अगर उसने इस्तीफा उस मुद्दत के अन्दर नहीं दिया तो इस मौजूदा कानून के मुताबिक उसे तमाम जगह से मुस्तफी समझा जायगा, किसी जगह भी नहीं रहेगा। अधिष्ठाता महोदय, मैं इसका यही मंशा समझता हूं।

लेकिन सवाल यह है कि यह चीज फैक्ट की गल्ती से नहीं, कानूनी गल्ती से है। ऐसे आदमी मौजूद हैं जो असेम्बली के मेम्बर हैं, ग्राम सभा के भी मेम्बर हैं। कोई नुकसान नहीं होता। असेम्बली का काम कर रहे हैं और ग्राम सभा का भी काम कर रहे हैं। मगर एक आदमी उस जगह से मुंतखिब हो जाता है और पंच भी हो गया। आज भी यह कानून एग्जिस्ट कर रहा है। माननीय मंत्री जी इसे मानेंगे। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि ऐसे आदमी मौजूद हैं जो ग्राम सभा के मेम्बर हैं और पंच भी हैं। आप कहते हैं कि दो जगह वह रह नहीं सकता लेकिन यह एग्जिस्ट कर रहा है। कोई पंच ऐसा नहीं है जो ग्राम सभा का मेम्बर न हो। आज भी एक आदमी दो जगहों पर काम कर रहा है। एक आदमी कई जगह से चुना जाय और एक ही सीट पर हो तो बाकी स्थान रिक्त होने चाहियें। सवाल पैदा होता है कि चीज कानून में तो मौजूद है लेकिन होता क्या है? जिस सूरत से यह अमेंडमेंट आपके सामने मौजूद है, जिस बात पर इस अमेंडमेंट के द्वारा जोर दिया जा रहा है, वह इससे पूरी नहीं उतरती। देखना यह है कि किस सूरत से यह अमेंडमेंट अपने स्थान पर पूरा उतरता है। ऐसा हो जाय तो बड़ा अच्छा है कि एक शख्स कई जगह से निर्वाचित होता है। उसके बाद भी अगर किसी वजह से वह वक्त के अन्दर इस्तीफा नहीं देता है तो और मौका देना चाहिये और अवधि इस्तीफा देने की बढ़ा दी जाय ताकि उसके अन्दर दोबारा इस्तीफा दे सके। मैं समझता हूं कि दिक्कतें हैं। बहुत से पंच मेरे जिले में मौजूद हैं जिन्होंने प्रधान का इलेक्शन लड़ने के बाद ग्राम सभाओं का भी इलेक्शन लड़ा। उनके स्थान रिक्त हैं। न वे सभापति रहे और न ग्राम सभा के मेम्बर। आज यह हालत है। जो काम होना चाहिये वह नहीं हो पा रहा है। इसलिये मैं ज्यादा न कहकर इतनी बात कहूंगा कि इसमें थोड़ी सी कानूनी गुंजाइश जरूर कर देना चाहिये जो कि इसमें नहीं है।

श्री सुरथ बहादुर शाह—मैं एक अमेंडमेंट पेश करना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—पहले आप उसे मेरे पास भेज दीजिये।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, मैंने माननीय सभासचिव का भाषण सुना। उन्होंने मेरे संशोधन के मानने में कठिनाई व्यक्त की।

श्री अधिष्ठाता—मैं एक बात बतला दूं कि उग्रसेन जी का संशोधन जिस प्रकार से है उसका कोई मतलब नहीं निकलता, इसको माननीय नारायणदत्त जी ने भी अपने भाषण में कहा है।

श्री उग्रसेन—मैं सुरथबहादुर जी का संशोधन मान गया हूं।

श्री अधिष्ठाता—वह तो बाद में आयेगा। फिर देखूंगा कि वह नियमित्त है या नहीं। अगर पर्मिशन दूंगा तब वह पेश होगा।

श्री उग्रसेन—मैं अर्ज कर दूं कि यह जो नियमावली दी गई थी वह अंग्रेजी में दी गई थी और जो मंशा थी वह मैंने व्यक्त कर दी थी, लेकिन लिखावट और भाषा में कोई अन्तर नहीं है वह दूसरी बात है। मंशा यह थी कि जितनी सीट्स हैं एक को छोड़ कर सबको वेकेन्ट मान लिया जाय। माननीय मंत्री जी ने मेरी मंशा को समझा भी है। और उन्होंने इसी के सम्बन्ध में जवाब भी दिया इसलिये शाब्दिक जाल में न जा कर मैं चाहता हूं कि जो मंशा है उस पर

विचार किया जाय और अगर उचित हो तो हमारे माननीय शाह जी का जो संशोधन आ रहा है 'आल दि आफिसेज आर सीट्स एक्सेप्ट वन' उसी को मान लिया जाय ।

माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि सरकार यह तय करे कि किस पद पर उस सदस्य को रखा जाय और किस पद से खारिज कर दिया जाय । श्रीमन्, जब नोटिस पाने पर या उसकी सूचना देने पर वह विशिष्ट सदस्य अपने अन्य पदों से इस्तीफा नहीं देता, कई पदों पर बना रहता है, कोई भी कार्यवाही उसमें नहीं करता तो सरकार को इतना तो अधिकार रखना चाहिये कि वह जिस पद से चाहे उसे खारिज कर दे । कठिनाई जरूर थोड़ी सी होगी, मगर इतनी बड़ी हत्या नहीं होगी जितनी कि इससे हो जाती है कि इस्तीफा टाइम के अन्दर नहीं दे पाते हैं तो तमाम पदों से खारिज कर दिये जाते हैं । थोड़ी सी कठिनाई जरूर होगी कि किस पद पर रखा जाय, उसमें सरकार अपना डिस्क्रिशन इस्तेमाल कर सकती है, जैसा कि बहुत जगह पर करती है । तो इस तथ्य की ओर मैं आपका और आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता था कि अगर यह संशोधन स्वीकार नहीं किया गया तो जिस फ्रेंचाइज के अधिकार का इस्तेमाल करके गांव सभा के सदस्यों ने उनको चुनकर भेजा है उसका हनन हो जाता है । तो अगर मेरे संशोधन का भाव पकड़ लिया जाय तो भाषा तो विदेशी भाषा है और ज्यादा अच्छा है कि पंचायत राज की नियमावली में तो कम से कम इसका प्रयोग नहीं होना चाहिये हम तो कम पढ़े लिखे आदमी हैं, इसलिये अगर हिन्दी में यह चीज रहे तो उसके इंटरप्रिटेशन में गड़बड़ी नहीं होगी और मैं उम्मीद करूंगा कि आइंदा इस प्रकार की जरूरी चीजें हिन्दी में ही आयेंगी, माननीय मुख्य मंत्री ने भी इस प्रकार का आश्वासन दिया था जो जेल में मैंने पढ़ा था ।

श्री अधिष्ठाता—एक मेरे पास संशोधन आया हुआ है :

"All the offices or seats except one office or seat, as the case may be, to which he has been elected shall become vacant".

यह संशोधन बिलकुल नया संशोधन है और जैसा कि हमारा नियम है, नियमावली जो पंचायत राज की है वह जब मेज पर रख दी गयी उसके १४ दिन के अन्दर जो संशोधन आ जाता उसको हम ले लेते और उसके लिये टाइम फिक्सड है ।

दूसरी बात यह है कि अगर यह संशोधन पर कोई संशोधन होता तब भी हम उसको ले लेते मगर इस समय तो बहुत लेट स्टेज पर आया है । यह संशोधन, मैं समझता हूं, क्लियर नहीं है । यह भी उसी प्रकार से वेग है जैसा कि माननीय उग्रसेन जी का था । इससे अड़चन यह पैदा होगी कि मान लीजिये ३ जगहों में से एक जगह रिटेन होगा तो वह कैसे डिसाइड होगा कि कौन सी जगह पर रिटेन रहे । इसलिये यह भी वेग है, इस वास्ते मैं इसको अस्वीकृत करता हूं ।

एक सदस्य—मैं कुछ कहना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—अब तो माननीय उग्रसेन जी जवाब दे चुके हैं, आप बोल नहीं सकते ।

श्री सुरथ बहादुर शाह—इस संशोधन के लिये आपका 'वेग' शब्द का प्रयोग उचित नहीं होगा, वैसे आपकी रूलिंग शिरोधार्य है ।

श्री अधिष्ठाता—वेग आपके विचार से नहीं है, मेरे विचार से है ।

श्री सुरथ बहादुर शाह—आपकी आज्ञा शिरोधार्य है और अंग्रेजी के हिसाब से भी वेग नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता—ठीक है ।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—दूसरा संशोधन मैं ला सकता हूं ?

श्री अधिष्ठाता—जी नहीं ।

*श्री रामस्वरूप यादव—माननीय तिवारी जी ने कहा कि जो अधिकार ऐक्ट के ारा है वही सरकार नियम बनाकर लेना चाहती है । मैं आपका ध्यान इधर दिलाना चाहता हूं कि मूल ऐक्ट की धारा ११ (बी) में लिखा हुआ है कि:

"No person shall simultaneously hold any office both in the Gaon Panchayat and Nyaya Panchayat in more than one Gaon Sabha and the rules may provide for the vacation of one or the other".

मैं यह निवेदन कर रहा था कि मूल ऐक्ट की धारा में यह प्राविजन दिया हुआ है और इसके सम्बन्ध में नियम बना दिये जायं । 'वेकेशन आफ ए मेम्बर' इसके सम्बन्ध में निवेदन किया था कि जैसा मूल नियम २३ था वैसा ही है और उसकी थोड़ी बहुत शब्दावली बदल दी गई है । इसलिये त्रुटि वगैरह का कोई सवाल नहीं है बल्कि जो नियम बने हुये थे, उनसे दिक्कत होती थी । इसलिये ठीक से नियम रख दिये गये हैं । इसलिये मेरा निवेदन है कि जैसा नियम है उसको वैसा ही स्वीकृत किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि प्रस्तावित नियम २३ के उपनियम (२) की पंक्ति २ में शब्द 'all the' के स्थान पर शब्द 'one of the' रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, दूसरा मेरा संशोधन यह है कि "प्रस्तावित नियम २३ के उपनियम (३) की पंक्ति १ में शब्द 'shall be filled' के पश्चात् शब्द 'within one month' रख दिये जायं ।"

जैसा कि नियम २३ के अन्दर लिखा हुआ है कि जब कोई सीट खाली हो जाती है या कोई स्थान रिक्त हो जाता है तो वह विभाग की ओर से रिक्त घोषित कर दिया जाता है । आज भी देखा जाय तो गांव सभाओं में बहुत से ऐसे स्थान हैं, जो वैसे ही पड़े हुये हैं और उनकी पूर्ति नहीं होती है जिससे पंचायत के कामों में बड़ी दिक्कत होती है और इस तरह से उनको कोई महत्त्व नहीं दिया जाता है इसी कारण से कैजुअल वैकेन्सीज डिक्लेअर करके छोड़ दी जाती हैं यह ठीक नहीं है । इसके लिये एक सीमा होनी चाहिये और उसके अन्दर रिक्त स्थानों की पूर्ति हो जानी चाहिये जिससे पंचायत का काम न रुके । इसलिये मेरा संशोधन है कि अगर कोई स्थान रिक्त हो तो उसकी पूर्ति एक महीने के अन्दर हो जानी चाहिये, इसका चुनाव हो जाना चाहिये, उस स्थान पर दूसरा आदमी आजाना चाहिये ताकि पंचायत के काम में कोई रुकावट न पड़े । जितने भी चुनाव हैं, चाहे जिला बोर्ड के हों, असेम्बली के हों या पार्लियामेंट के हों, उनके लिये कोई स्थान रिक्त हो जाता है तो उसके लिये कुछ समय निर्धारित है कि उसके अन्दर उसकी पूर्ति हो जानी चाहिये । मैं समझता हूं कि यहां पर भी समय निर्धारित कर दिया जाय जिसके लिये मैंने यह संशोधन रखा है । मैं जानता हूं कि बहुत से ऐसे स्थान रहे जो पांच साल तक खाली पड़े रहे और कोई चुनाव नहीं किया गया और लोगों को उन स्थानों की पूर्ति करने का मौका नहीं मिल सका । हमारी इस पद्धति में यह चीज बड़ी घातक है । वहां लोग डिक्टेटरशिप की मेन्टेलिटी में काम करते हैं, जब वह चाहे चुनाव करें, जब चाहे स्थानों की पूर्ति करें, जब चाहें रिक्त स्थानों को डिक्लेअर करें, इस तरह से यह उनकी स्वीट विल पर है, जैसे अवध के राजाओं के जमाने में 'टेनेन्ट्स ऐक्ट बिल' हुआ करते थे । खास तौर से उनको मनमानी करने का मौका मिला हुआ है । जब चाहेंगे तब चुनाव करेंगे, जब चाहेंगे तब रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे, जब उनके यस मैन तैयार हो जायेंगे, तब गांव में सारा मसला ठीक कर लेंगे तब घोषित किये जायेंगे और बैक डोर से उनको आसानी से ले लिया जायगा । और वहां जाकर क्या करते हैं विभागीय अफसरों की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बातों की पूर्ति गांव समाज में करते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि रिक्त स्थान जल्द से जल्द भरे जांय और इस लिये मैंने यह संशोधन पेश किया है।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल--मैं इस संशोधन के सिद्धान्त का समर्थन करता हूं वस्तुतः ऐसा होता है कि जब स्थान रिक्त हो जाता है तो काफी समय तक वह भरा नहीं जाता है। मैं यह समझ सकता हूं कि ऐसा संशोधन स्वीकार करने में ऐडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टी हो सकती है। यदि ऐसा हो और एक महीने का समय इसके लिये काफ़ी न समझा जाय तो दो महीने का समय हो जाय लेकिन समय का निश्चित होना परमावश्यक प्रतीत होता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि कृपया इस की जानकारी कराने का यत्न करें और इस तरफ वे सचेत रहें और यह प्रयत्न करें कि जो स्थान रिक्त होते हैं वे शीघ्रातिशीघ्र भरे जायं अन्यथा महत्त्व ही समाप्त हो जाता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं माननीय जगदीशशरण जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक बड़ा समयानुकूल संशोधन प्रस्तुत किया है।

श्री अधिष्ठाता--उन्होंने संशोधन तो कोई प्रस्तुत नहीं किया।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मौखिक रूप से।

श्री अधिष्ठाता--उन्होंने तो एक सुझाव दिया है कि कुछ न कुछ समय निश्चित होना चाहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मेरा प्रस्ताव है कि जहां पर 'One month' लिखा है उसमें 'one' की जगह 'two' कर दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता--आप मंत्री जी से बात करलें तो ज्यादा अच्छा हो। उसके बाद लिख कर भेज दें तो मैं स्वीकार कर लूं।

श्री अवधेशप्रताप सिंह--मैं एक ऐसा रास्ता निकाल देना चाहता हूं जिस से किसी को कोई आपत्ति न हो। न एक महीना, न दो महीना, तीन महीना रख लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता--यह बड़ा मुश्किल है। उन्होंने दो महीना कहा, आप तीन महीना कह रहे हैं, तीसरा चार महीना कहेगा, तो इस तरह से तो देयर विल बी नो एन्ड आफ़ अमेंडमेंट्स (There will be no end of amendments)।

श्री अवधेशप्रताप सिंह--अगर मंत्री महोदय इसे स्वीकार कर लें तब तो कोई आपत्ति नहीं है। आप मुझे इजाजत दे दें तो मैं उनको मना लूं।

श्री अधिष्ठाता--मैं अब इजाजत नहीं दे सकूंगा। दो महीने के संशोधन के लिये मैंने इजाजत दे दी है। तीन महीने के लिये आप उनसे बातचीत कर लीजिये। अगर वे मन्जूर करें तो मैं उसकी भी इजाजत दे सकता हूं।

(कुछ ठहर कर)

माननीय स्वशासन मंत्री जी, नारायणदत्त जी का यह संशोधन है कि एक महीने की जगह दो महीने कर दिया जाय।

*श्री रामस्वरूप यादव--श्रीमन्, मुझे खेद है कि मैं इस संशोधन को भी स्वीकार नहीं कर सकता। यह सही है कि चुनाव काफी दिनों के लिये नहीं रोका जाना चाहिये लेकिन न तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट में न म्युनिसिपल बोर्ड ऐक्ट में कोई ऐसी धारा है जिसके अन्तर्गत समय निर्धारित कर दिया जाय। साथ ही साथ ग्राम सभाओं की संख्या तो हजारों की होती है। किसी वजह से अगर काफी स्थान रिक्त हो गये तो बहुत बड़ा चुनाव हो जायगा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामस्वरूप यादव]

जिस को एक निर्धारित समय के अन्दर कराने में ऐडमिनिस्ट्रेटिव दिक्कत हो सकती है। इस के अलावा और भी चुनाव आ सकते हैं जिस के कारण सम्भवतः वे उस अवधि के अन्दर चुनाव न करा सकें। ऐसी दिक्कतों के कारण मुझे स्वयं खेद है लेकिन मैं यह विश्वास दिला सकता हूं कि ऐसे उप-चुनाव ज्यादा समय के लिये न टाले जायं ऐसे आदेश जरूर भेजे जा सकते हैं। और मैं समझता हूं कि आपका पहला संशोधन कुछ महत्व रखता था। यह संशोधन तो जैसा आपने पहले ही कहा, महत्व का नहीं था। पहला संशोधन जैसा हुआ, वैसा हो गया। मैं समझता हूं कि इस संशोधन को आप वापस ले लें, वह ज्यादा अच्छा होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--माननीय मंत्री जी को कुछ यह दिक्कत मालूम हो रही है कि यदि चुनाव दो महीने में न हो सके तो क्या होगा। श्रीमन्, आपको याद होगा पीपुल्स रिप्रेजेन्टेशन ऐक्ट में जहां इलेक्शन पेटीशन का जिक्र है वहां यह लिखा है कि ६ महीने के अन्दर ट्राइब्यूनल रिवाइज करेगा और ३ महीने के अन्दर हाई कोर्ट, और इस में शब्द है 'ऐज फार ऐज मे बी'। तो श्रीमन्, मैं यह कहूंगा कि यदि माननीय मंत्री जी मान जायं तो यहां भी शब्द 'ऐज फार ऐज में बी विदिन टू मंथ्स' रख दिये जायं।

श्री उग्रसेन--श्रीमन्, मैं तो बड़ी परेशानी में पड़ गया हूं। कुछ कहते नहीं बनता। पहला संशोधन महत्व का था, वह तो माना नहीं गया, तो यह तो बिना महत्व का है, जैसा कि मैंने अपने भाषण में भी कहा था। लेकिन कुछ आशा मुझे माननीय तिवारी जी के संशोधन से जरूर हुई कि 'टू मन्थ्स' के बाद 'ऐज फार ऐज मे बी' के साथ लिख दिया जाय तो यह माना जा सकता है। तिवारी जी तो बहुत आगे तक चले गये लेकिन मंत्री जी ने कुछ कमिट नहीं किया। यह मेरी खुशकिस्मती है या बदकिस्मती, समझ नहीं पाता कि सरकार क्यों एक हठवादिता पर अड़ी हुई है। मैं तिवारी जी से तो कहूंगा कि आगे जाना तो ठोकर खाना और टकराकर सिर फोड़ लेना है। क्यों सदन का समय भी व्यर्थ नष्ट किया जाय। किन्तु यह अवश्य है कि मैंने दिया है उन लोगों के नाम पर जो देहातों में रहते हैं और जिनके लिये यह बहुत जरूरी है।

श्री अधिष्ठाता--मैं नारायणदत्त जी तिवारी का संशोधन पहले रखता हूं।

प्रश्न यह है कि माननीय उग्रसेन जी के संशोधन में शब्द 'within one month' के स्थान पर शब्द 'within two months' रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता --प्रश्न यह है कि प्रस्तावित नियम २३ के उपनियम (३) की पंक्ति १ में शब्द 'shall be filled' के पश्चात् शब्द 'within one month' रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ--

पक्ष में --२१,

विपक्ष में--५२।)

(इसके बाद सदन ५ बजकर २२ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
९ सितम्बर १९५७।

## नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६४ पर)

### तालिका 'क'

| Sl. no. | Name of Mills | Total amount collected upto July 31, 1957. (In lakh Rupees) | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1 | Bazpur Co-operative Sugar Factory Ltd., Bazpur. | 27·92 | This includes amounts given by Government and the growers and that collected by the Unions. |
| 2 | Bagpat Co-operative Sugar Mills Ltd., Baghpat. | 12·69 | This includes amounts given by government and the growers and that collected by the Unions. |
| 3 | Sarsawa Co-operative Sugar Factory Ltd., Sarsawa. | 6·44 | This amount has been collected by the growers only. |

### तालिका 'ख'

**Statement showing details of collections in respect of Bazpur Sugar Factory as it stood on July 31, 1957**

| Sl. no. | Particulars | Total amount collected | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Rs. | as. | p. |
| 1 | U. P. Cane Co-operative Unions Federation Ltd., Lucknow .. .. .. | 2,49,000 | 0 | 0 |
| 2 | U. P. Co-operative Federation Ltd., Lucknow | 2,50,000 | 0 | 0 |
| 3 | Contributions of growers through deductions from their cane price .. .. | 5,70,912 | 2 | 6 |
| 4 | Cane societies .. .. .. | 4,73,154 | 0 | 0 |
| 5 | State Government's Shares .. .. | 12,49,800 | 0 | 0 |
| | Total .. | 27,92,866 | 2 | 6 |

## तालिका 'ग'

**Statement showing details of collections in respect of Baghpat Sugar Mills as they stood on 31 –7—1957.**

| Sl. no. | Particulars | Total amount collected | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Rs. | a. | p. |
| 1 | Cane Societies .. .. .. | 3,13,500 | 0 | 0 |
| 2 | State Government Shares .. .. | 7,50,000 | 0 | 0 |
| 3 | Growers Contributions .. .. | 1,13,000 | 0 | 0 |
| 4 | Non-members contributions .. .. | 92,500 | 0 | 0 |
| | Total .. | 12,69,000 | 0 | 0 |

अपर गृहसचिव भवन

## नत्थी 'ख'

( देखिये अतारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६६ पर )

### तालिका 'अ'

### राज्य भर में सन् १९५६–५७ में जारी किये गये कुटीर तथा गृह उद्योग की स्थानों सहित सूचना

| क्रम-संख्या | योजना का नाम | उद्योग का नाम | स्थान व जिला जहां पर उद्योग जारी किये गये |
|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | रेशम योजना .. | रेशम .. | देहरादून, हलद्वानी, गोरखपुर, इटावा। |
| २ | औद्योगिक शिक्षालय योजना। .. | १—चर्म विकास .. | सरोजनी नगर, लखनऊ। |
| | | | केप्टनगंज, देवरिया। |
| | | | नगीना, बिजनौर। |
| | | | इटावा। |
| | | | देवबन्द, सहारनपुर। |
| | | २—लोहारगीरी .. | सरोजनी नगर, लखनऊ। |
| | | | इलाहबाद। |
| | | ३—बढ़ईगिरी .. | डालीगंज, लखनऊ। |
| | | | वाराणसी। |
| | | | कीटगंज, इलाहबाद। |
| | | | घोसी, आजमगढ़। |
| | | | मेरठ। |
| | | | नगीना, बिजनौर। |
| | | | देवबन्द, सहारनपुर। |
| | | | चकराता, देहरादून। |
| | | | नैनीताल। |
| | | ४—पीतल के बर्तन का उद्योग | ओयल। |
| | | ५—बटन उद्योग | जफराबाजार। |
| | | ६—चीनी के बर्तन | निजामाबाद। |
| | | ७—कशीदाकारी | देहरादून। |
| | | ८—नमदा उद्योग | देहरादून। |
| | | ९—काष्ठ कला | देहरादून। |
| | | १०—कागज के गूदे से खिलौने बनाना। | देहरादून। |
| | | ११—टैपिस्ट्री | देहरादून। |
| | | १२—गलीचा बुनना | देहरादून। |
| | | १३—हस्तनिर्मित कागज | रामपुर। |
| | | १४—सोपस्टोन | लक्ष्मन झूला, देहरादून। |

उत्तर प्रदेश संग्रहालय

| क्रम-संख्या | योजना का नाम | उद्योग का नाम | स्थान व जिला जहां पर उद्योग जारी किये गये |
|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ |
| ३ | पर्वतीय ऊन योजना .. | ऊन की कताई और बुनाई । | नैनीताल, अल्मोड़ा, पौड़ी-गढ़वाल, टेहरी-गढ़वाल, जौनसार-बावर । |
| ४ | गुड़ उद्योग | गुड़ बनाना | गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, देवरिया इत्यादि । |
| ५ | ताड़गुड़ योजना | ताड़गुड़ बनाना | नैनीताल, बिजनौर, फर्रुखाबाद, मेरठ इत्यादि । |
| ६ | अंडी रेशम योजना | अंडी का रेशम बनाना | रामपुर, देवरिया । |
| ७ | चिकन कढ़ाई योजना | चिकन का काम | लखनऊ । |
| ८ | सुगन्धित तेल योजना | सुगंधित तेल बनाना | जौनपुर, अलीगढ़, बलिया, गाजीपुर, कन्नौज । |
| ९ | चर्म विकास योजना .. | चर्मशोधन | आगरा, अलीगढ़, जौनपुर, गोंडा गाजीपुर, कानपुर, लखनऊ, मिर्जापुर, नैनीताल, सहारनपुर इत्यादि । |
| १० | प्रगाढ़ विकास योजना | (उद्योगों की सूची स्थानों सहित संलग्न तालिका 'ब' में है ।) | |
| ११ | चीनी के बर्तन बनाने का उद्योग । | चीनी के बर्तन .. | खुर्जा । |
| १२ | सींग उद्योग योजना | सींग का सामान बनाना | सम्भल । |
| १३ | तारकशी योजना .. | तारकशी बनाना | मैनपुरी । |
| १४ | लकड़ी के खिलौने | लकड़ी के खिलौने बनाना | वाराणसी । |
| १५ | हाथी के दांत का उद्योग | हाथी के दांत का सामान | रामनगर, वाराणसी । |
| १६ | विदरी | विदरी उद्योग | लखनऊ । |
| १७ | लकड़ी पर सुनहली पालिश | लकड़ी पर सुनहली पालिश का काम | अमरोहा । |
| १८ | बांसबेंत का उद्योग | बांस बेंत का काम | बहराइच । |
| १९ | कांच की चूड़ी का उद्योग | कांच की चूड़ी बनाना | सराय छबीला, बुलन्दशहर । |
| २० | कलावत्तू योजना | कलावत्तू का काम | वाराणसी । |
| २१ | दरी योजना | दरी बनाना | फतेहपुर सीकरी । |
| २२ | हस्तनिर्मित कागज योजना | हाथ से कागज बनाना | कालपी । |
| २३ | हस्त करघा योजना | हस्त करघा का कपड़ा बनाना । | कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा, फैजाबाद, जौनपुर, वाराणसी, गोरखपुर, सहारनपुर मेरठ, बुलन्दशहर, अलीगढ़, झांसी, मथुरा, फर्रुखाबाद, इटावा, हरदोई, शाहजहांपुर, बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, बाराबंकी इत्यादि । |

## तालिका 'ब'

### प्रगाढ़ विकास क्षेत्रों में प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्रों की सूची

| क्रम-संख्या | जिला | शिल्प कला |
|---|---|---|
| १ | २ | ३ |
| १ | पौड़ी-गढ़वाल .. | .. १--बढ़ईगीरी<br>२--लोहारगीरी<br>३--महिला सिलाई एवं कटाई |
| २ | टेहरी-गढ़वाल .. | .. १--ऊन कताई व बुनाई<br>२--दर्जीगीरी |
| ३ | गोरखपुर .. | .. १--बढ़ईगीरी<br>२--लोहारगीरी |
| ४ | देवरिया .. | .. १--बढ़ईगीरी<br>२--दर्जीगीरी<br>३--चर्मकला |
| ५ | आगरा .. | .. १--दर्जीगीरी<br>२--दरी की बुनाई |
| ६ | आगरा .. | .. १--महिला सिलाई व कढ़ाई<br>२--लोहारगीरी |
| ७ | इलाहाबाद .. | .. १--बढ़ईगीरी<br>२--दर्जीगीरी |
| ८ | मुजफ्फरनगर .. | १--कम्बल बनाना<br>२--चर्मकला<br>३--महिला सिलाई व कढ़ाई |
| ९ | मेरठ .. | .. १--बढ़ईगीरी<br>२--लोहारगीरी<br>३--चर्मकला |
| १० | बुलन्दशहर .. | .. १--लोहारगीरी<br>२--दर्जीगीरी |
| ११ | अलीगढ़ .. | १--लोहारगीरी<br>२--दर्जीगीरी |
| १२ | मथुरा .. | .. १--दर्जीगीरी<br>२--बढ़ईगीरी |
| १३ | मुरादाबाद .. | .. १--बढ़ईगीरी<br>२--लोहारगीरी<br>३--महिला सिलाई व कढ़ाई |
| १४ | बिजनौर .. | १--ऊन कताई व बुनाई<br>२--चर्मकला |
| १५ | पीलीभीत .. | .. १--बढ़ईगीरी<br>२--बेंत का काम |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| क्रम संख्या | जिला | शिल्प कला |
|---|---|---|
| १ | २ | ३ |
| १६ | जालौन .. | .. १—बढ़ईगीरी<br>२—लोहारगीरी |
| १७ | बांदा .. | १—बढ़ईगीरी<br>२—दर्जीगीरी |
| १८ | हमीरपुर .. | १—बढ़ईगीरी<br>२—लोहारगीरी |
| १९ | वाराणसी .. | .. १—कम्बल बनाना<br>२—लोहारगीरी<br>३—महिला सिलाई व कढ़ाई |
| २० | जौनपुर .. | १—बढ़ईगीरी<br>२—टिन लोहारी |
| २१ | नैनीताल .. | १—ऊन कताई व बुनाई<br>२—वनस्पति के रेशों द्वारा कताई ।<br>३—महिला सिलाई व कढ़ाई |
| २२ | लखनऊ .. | .. १—फल संरक्षण<br>२—बढ़ईगीरी<br>३—महिला सिलाई व कढ़ाई |
| २३ | उन्नाव .. | १—बढ़ईगीरी<br>२—दर्जीगीरी |
| २४ | रायबरेली .. | .. १—टिन लोहारी<br>२—चर्मकला |
| २५ | सीतापुर .. | .. १—दरी बुनना<br>२—साबुन बनाना |
| २६ | लखीमपुर-खीरी .. | .. १—चर्मकला<br>२—दर्जीगीरी |
| २७ | हरदोई .. | .. १—टिन लोहारी<br>२—बढ़ईगीरी |
| २८ | बहराइच .. | .. १—बढ़ईगीरी<br>२—लोहारगीरी |

पी० एस० यू० पी० ए० पी० १४९ एल० ए०—१९५७—७९६ ।